राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

मूल्य: ₹15/-

उभरता बिहार

वर्ष : 15, अंक : 2, अगस्त 2022

सच्चाई, ऊर्जा, सकारात्मक विचार

नरेन्द्र मोदी के खिलाफ

शरारतों का हश्र

बहुत कुछ बदलना बाकी है

बेरोजगारी के लिए हो ठोस उपाय

ENVISION MEDICAL
IMAGING & SCAN CENTRE

(A UNIT OF ENVISION MEDICAL IMAGING & SCAN CENTRE PVT. LTD)

C-14 BEHIND V-MART, KANKARBAGH AUTO STAND, KANKARBAGH, PATNA - 800 020
MOBILE : 9155998970, 9155998971, E-mail : envisionimagingpatna@gmail.com

उभरता बिहार

वर्ष : 15, अंक : 2, अगस्त 2022

RNI No. BIHHIN/2007/22741

संपादक
राजीव रंजन

छायाकार
विनोद राज

विधि सलाहकार
उपेन्द्र प्रसाद
चंद्र नारायण जायसवाल

साज-सज्जा
मयंक शर्मा

प्रशासनिक कार्यालय
सी-49 हाऊसिंग कॉलोनी, लोहियानगर
कंकड़बाग, पटना - 800020
फोन : 7004721818

Email : ubhartabihar@gmail.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक राजीव रंजन द्वारा कृत्या पब्लिकेशन, लंगरटोली, बिहार से मुद्रित एवं सी-49 हाऊसिंग कॉलोनी, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना - 800020 से प्रकाशित।
संपादक: राजीव रंजन

सभी कानूनी विवाद पटना न्यायिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निपटाये जायेंगे। लेखकों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने है। इसकी जिम्मेदारी उनकी है एवं इसके लिये संपादक, प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नही है। सामग्री की वापसी की जिम्मेवारी उभरता बिहार की नहीं होगी। इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित है। कुछ छाया चित्र और लेख इंटरनेट, एजेंसी एवं पत्र-पत्रिकाओं से साभार। उपरोक्त सभी पद अस्थायी एवं अवैतनिक है। किसी भी आलेख पर आपत्ति हो तो 15 दिनों के अंदर खंडन करें।

नोट : किसी भी रिपोर्टर द्वारा अनैतिक ढंग से लेन-देन के जिम्मेवार वे स्वयं होंगे।

संरक्षक

डॉ. संतोष कुमार | अखिलेश कुमार जायसवाल
राजा बाबू | डॉ. राकेश कुमार

वृद्ध इतना कुंठित एवं उपेक्षित क्यों है? 08

भ्रमजाल में फंसी आधुनिकता की धारणा... 12

रक्षा बंधन का इतिहास, महत्व और उद्देश्य...21

मातृछाया ऑर्थो एण्ड हेल्थ केयर

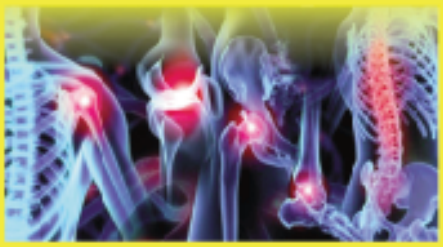

Consultant Trauma & Spinal Surgeon
हड्डी, जोड़, रीढ़, नस एवं गठिया रोग विशेषज्ञ

विशेषता:
1. यहां हड्डी रोग से संबंधित सभी रोगों का इलाज होता है।
2. मशीन के द्वारा टूटे-हड्डी बैठाने की सुविधा उपलब्ध है।

विशेषता:
3. स्पाइन सर्जरी की भी सुविधा है।
4. Total Joint Replacement विशेषज्ञों की टीम के द्वारा सस्ते दरों पर की जाती है।

24 HRS.
ORTHO & SPINAL EMERGENCY

Dr. Rakesh Kumar
M.B.B.S. (Pat), M.S. (Pat), M.Ch.
Ortho Fellowship in Spine Surgery
Indian Spinal Injury Centre, New Delhi

G-43, P.C. Colony, Kankarbagh, Patna-20, Mob. - 7484814448, 9504246216

सत्ता के मायने

राजीव रंजन
संपादक

लोकतंत्र का मूल चरित्र होता है पक्ष और विपक्ष के सहयोग-सामंजस्य से शासन चलाना। भारी बहुमत से हासिल सत्ता के ये मायने कदापि नहीं हैं कि विपक्षी दलों की आवाज को कमजोर किया जाये। उन्हें वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिये बनी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दबाया जाये। हालांकि, यह कोई नई प्रवृत्ति नहीं है और विगत में कई केंद्र में आसीन सरकारों पर भी इन सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप विपक्ष द्वारा गाहे-बगाहे लगाये जाते रहे हैं। बात केवल इतनी ही कि ऐसे कानूनों व एजेंसियों के दुरुपयोग के मामलों की संख्या में कुछ अंतर रहता है। हाल के दिनों में प्रवर्तन निदेशालय की अति सक्रियता को लेकर विपक्ष मुखर रहा है। उसका आरोप है कि गैर-भाजपा वाली राज्य सरकारों व उनके नेताओं को ही निशाना बनाया जाता है। जबकि भाजपा शासित राज्यों में किसी नेता पर कार्रवाई होती नजर नहीं आती। यही वजह कि हाल ही में ईडी के अधिकारों को लेकर आए शीर्ष अदालत के फैसले पर विपक्षी दलों ने निराशा जताई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने साझा बयान जारी करके प्रवर्तन निदेशालय को मिले अधिकारों पर सवाल उठाकर धनशोधन निवारण कानून यानी पीएमएलए की समीक्षा की भी मांग की है। विपक्ष का मानना है कि ईडी को मिले अधिकारों पर शीर्ष अदालत के फैसले से केंद्र सरकार की मनमानी बढ़ेगी। कालांतर सरकारें मनमाने व्यवहार करेंगी और भारतीय लोकतंत्र में उसके दूरगामी परिणाम होंगे। विपक्ष का कहना है कि कोर्ट के फैसले में धनशोधन निवारण कानून में किये गये संशोधनों को यथावत रखा गया है। इन संशोधनों की व्यापक पड़ताल की जरूरत थी। दरअसल, विपक्षी दलों को आशंका है कि ईडी के अधिकारों को मान्यता से केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की प्रवृत्ति बढ़ेगी। विपक्ष ने विश्वास जताया है कि इसके बावजूद कालांतर संवैधानिक प्रावधानों की ही जीत होगी। उल्लेखनीय है कि इस साझा बयान पर कांग्रेस, आप, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, शिवसेना आदि सत्रह दलों की सहमति है। दरअसल, बड़े बहुमत से सत्ता में लगातार दूसरी बार आई भाजपा की केंद्र सरकार पर विपक्ष बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाता रहा है। महाराष्ट्र में पूर्व सरकार के मंत्रियों व नेताओं के अलावा पश्चिम बंगाल आदि में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को विपक्ष राजनीतिक दुराग्रह की कार्रवाई के रूप में देखता है। नेशनल हेराल्ड मामले में कार्रवाई को इसी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सर्वप्रथम कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं से पूछताछ और फिर नेशनल हेराल्ड के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी को राजनीतिक दुराग्रह के रूप में देखा जा रहा है। फिर यंग इंडियन के दफ्तर को सील करने पर भी विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी समाचार पत्र के कार्यालय में इस तरह की कार्रवाई कई सवालों को जन्म देती है।

स्वदेशी, स्वराज, सत्याग्रह

आजादी के दीवानों के लिए खादी महज एक वस्त्र नहीं था बल्कि वह उनके स्वाभिमान का प्रतीक भी था। जब हम हिन्दुस्तान कहते हैं तो खादी का खाका हमारे सामने खींच जाता है। इतिहास साक्षी है कि स्वदेशी, स्वराज, सत्याग्रह के साथ चरखे और खादी ने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभायी है। युगीन कवि सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां बरबस स्मरण हो आती है- खादी के धागे धागे में, अपनेपन का अभिमान भरा/ माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। इन दो पंक्तियों में खादी का टेक्सर आपको देखने और समझने को मिलेगा। खादी का रिश्ता हमारे इतिहास और परम्परा से है। आजादी के आंदोलन में खादी एक अहिंसक और रचनात्मक हथियार की तरह थी। यह आंदोलन खादी और उससे जुड़े मूल्यों के आस-पास ही बुना गया था। खादी को महत्व देकर महात्मा गांधी ने दुनिया को यह संदेश दिया था कि आजादी का आंदोलन उस व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आजादी से जुड़ा है, जो गांव में रहता है और जिसकी आजीविका का रिश्ता हाथ से कते और बुने कपड़े से जुड़ा है, और जिसे अंग्रेजी व्यवस्था ने बेदखल कर दिया है। अब खादी से जुड़ा यह इतिहास भी लोगों को याद नहीं है और वक्त भी काफी बदल गया है।

खादी के जन्म की कहानी भी रोचक है। महात्मा गांधी लिखा है- हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे। इसलिए आश्रमवासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद किया और यह निश्चय किया कि वे हाथ-करघे पर देशी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने मे होने वाली उनकी कठिनाई की, इसमे वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन-दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सबकी जानकारी हमें मिली। हम स्वयं

> आजादी के आंदोलन में खादी एक अहिंसक और रचनात्मक हथियार की तरह थी। यह आंदोलन खादी और उससे जुड़े मूल्यों के आस-पास ही बुना गया था। खादी को महत्व देकर महात्मा गांधी ने दुनिया को यह संदेश दिया था कि आजादी का आंदोलन उस व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आजादी से जुड़ा है, जो गांव में रहता है और जिसकी आजीविका का रिश्ता हाथ से कते और बुने कपड़े से जुड़ा है।

अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके, ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवा लेना पड़ता था। देशी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिले सूत कातती नहीं थी।

आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही कातती हैं, बहुत महीन तो कात ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे, जिन्होंने देशी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देशी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जायेगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया यों हम कातने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने। मिलों के सम्पर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद कातकर खुद ही बुनना था। वे हाथ-करघे की सहायता स्वेच्छा से नहीं, बल्कि अनिच्छा से करते थे। यह सब देखकर हम हाथ से कातने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से कातेंगे नहीं, तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। खादी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस खादी ने अंग्रेजों की आर्थिक ताना-बाना को छिन्न-भिन्न कर दिया था। खादी के कारण अंग्रेजों की अकूत आय टूट रही थी और वे कमजोर हो रहे थे। भारत को स्वाधीन कराने में खादी की अहम भूमिका रही है। खादी भारत की अस्मिता का प्रतीक है और यह खादी ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत का एक रास्ता है जिसे अपनाकर हम एक नवीन भारत के निर्माण का सपना साकार कर सकते हैं। यह मसला थोड़ा दिल को कटोचती है लेकिन सच है कि भारत की खादी, भारत में ही मरणासन्न अवस्था में है। आम आदमी की पहुंच से दूर होती खादी अब सम्पन्न लोगों के लिए फैशन का प्रतीक बन गया है। इन सबके बावजूद उम्मीद अभी मरी नहीं है। आंकड़ों पर जायें तो प्रधानमंत्री के प्रयासों से खादी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है लेकिन इस बढ़ते कारोबार के इतर गांव की खादी अभी भी नेपथ्य में है। खादी को तलाशना होगा और इसके लिए एकमात्र विकल्प है कि हम खादी को हर घर की अस्मिता का प्रतीक बनायें।

मत विभिन्नता के बाद भी यह माना जा सकता है कि समय के साथ खादी वस्त्रों के निर्माण एवं खादी को व्यवहार में लाना समय की जरूरत है। जब देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं और प्रयास करते हैं तब खादी उद्योग को विस्तार देने की जरूरत हो जाती है। यह भी तय है कि खादी अन्य वस्त्रों के मुकाबले महंगा है लेकिन इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि खादी फैशन का वस्त्र ना होकर व्यवहार का वस्त्र बने।

“आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही कातती हैं, बहुत महीन तो कात ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे, जिन्होंने देशी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देशी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जायेगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ।

अमरनाथ यात्रा, साम्प्रदायिक सौहार्द की भी मिसाल

कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली श्री अमरनाथ यात्रा को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में माना जाता है. अमरनाथ गुफा में प्रकृतिक रूप से निर्मित बर्फ.के शिवलिंग की पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालू अमरनाथ गुफा में बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के दर्शन हेतु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं. परन्तु इस गुफा की खोज के पीछे की कहानी न केवल काफी दिलचस्प है बल्कि यह कहानी भारतीय हिन्दू मुस्लिम सद्भाव से संबंधित एक स्वर्णिम इतिहास भी लिखती है। श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस गुफा की खोज एक मुस्लिम गरड़िया चरवाहे ने की थी. कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज करने वाले मुस्लिम गड़रिया का नाम बूटा मलिक था। एक बार भेड़ बकरियां चराने के दौरान बूटा मलिक की भेंट एक साधू से हो गई और दोनों की दोस्ती हो गई। एक बार जब बूटा को सर्दी लगी तो वो उस गुफा में चले गए। गुफा में ठंड लगने पर साधू ने उन्हें एक कोयले से भरी एक कांगड़ीदी। घर जाकर जब उसने देखा तो वह कोयले की कांगड़ी सोने की कांगड़ी में तब्दील हो चुकी थी। यह देखने के बाद जब आश्चर्यचकित बूटा मलिक उस साधू का आभार व्यक्त करने के लिए उस गुफा में पहुंचा तो उस गुफा में वह साधू नहीं मिला. परन्तु जब उसने उस गुफा के भीतर जाकर देखा तो बर्फ से निर्मित सफेद शिवलिंग चमक रहा था. इसकी सूचना जब उसने पास पड़ोस के हिन्दू भाइयों को दी तो वे वे गुफा में बने बर्फ. के शिवलिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद से इस बर्फानी शिवलिंग के दर्शन की शुरूआत हुई और अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू हुई। बताया जाता है कि गुफा के नजदीक ही बटकोट नामक स्थान में बूटा मालिक के वंशज आज भी रहते हैं. बटकोट में मलिक मोहल्ला है और वहां 11 परिवार रहते हैं वे सभी बूटा मलिक के ही वंशज हैं। बताया जाता है कि गुफा की खोज 1850 में हुई और यात्रा शुरू होने के बाद मलिक के परिवार वाले ही वहां की देखभाल करते थे. अमरनाथ के आस पास उस समय में तीन समुदाय के लोग रहा करते थे। एक कश्मीरी पंडित दूसरा मुस्लिम मलिक परिवार और तीसरा महंत परिवार। ये तीनों समुदाय के लोग ही मिलजुलकर छड़ी मुबारक की रस्म अदा करते थे। अमरनाथ यात्रा को लेकर विधानसभा में बिल भी पारित हुआ था, जिसमें मलिक परिवार का भी वर्णन है। हालांकि बाद में साल 2000 को एक बिल पारित हुआ था जिसके द्वारा मलिक परिवार को बाहर निकाल दिया गया. पहले परिवार को एक तिहाई हिस्सा मिलता था, परन्तु अब ऐसा नहीं है. श्राइन बोर्ड के गठन के बाद उस परिवार को बेदखल कर दिया गया।

अब इसे महज एक इत्तेफाक कहा जाए या भारतीय संस्कृति की जड़ों में समाहित अनेकता में एकता का एक जीवंत उदाहरण कि लाख साम्प्रदायिक तनाव,आतंकवादियों की धमकी तथा सीमापार की नापाक कोशिशों के बावजूद आज तक अमरनाथ यात्रा में मुस्लिम समुदाय के हस्तक्षेप तथा उनकी सहभागिता को नकारा नहीं जा सका। बल्कि यह कहा जा सकता है कि इस यात्रा में मुस्लिम भाइयों का सहयोग,दखल व उनकी भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जब आप यात्रा के लिए पठानकोट-जम्मू मार्ग पर बढ़ें तो कई ऐसे स्टाल,लंगर व छबीलें मिलेंगी जो मुसलमान भाइयों द्वारा अमरनाथ यात्रियों की सुविधा हेतु संचालित की जाती हैं। मुस्लिम समाज के लोग ही न केवल इसका पूरा खर्च उठाते हैं बल्कि स्वयं सेवक के रूप में 24 घंटे अपनी सेवाएं भी देते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को यह तो जरूर मालूम है कि अमर नाथ यात्रा के रस्ते में यहाँ तक कि पवित्र गुफा के बिल्कुल करीब तक अनेक छोटे बड़े शानदार लंगर भंडारे आयोजित किये जाते हैं। कई अस्थाई विश्राम गृह भी टेंटों व तंबुओं में लगाए जाते हैं। परन्तु इन सभी लंगरों,भंडारों व विश्राम गृहों के निर्माण,उनके भण्डारण व रखरखाव में भी मुसलमान भाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही लोग

इससे संबंधित सामग्री का पूरे वर्ष सुरक्षित रखरखाव करते हैं। मुस्लिम लोगों द्वारा इन सामग्रियों के वर्ष भर भण्डारण हेतु गोदाम आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। इतना ही नहीं पूरे वर्ष इन सामानों की रक्षा का भी ज़िम्मा लिया जाता है। भंडारा आयोजकों के पहुँचने से पहले यही कश्मीरी मुस्लिम उन कैम्पों के लिए आधार तैयार करते हैं तथा यात्रा की शुरूआत से लेकर समापन तक सभी लंगरों,भंडारों व विश्राम गृहों के सुचारु संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी तीर्थ यात्रियों के साथ भी स्थानीय कश्मीरियों का व्यवहार अत्यंत प्रेम,सहयोग व श्रद्धापूर्ण रहता है। अनेक ऐसे तीर्थ यात्री भी अमरनाथ जाते हैं जो कि शारीरिक कारणों की वजह से अमरनाथ गुफा तक पैदल नहीं जा सकते। उनकी सुविधा हेतु खच्चर उपलब्ध कराना या अपनी पीठ पर लादकर यात्रियों को गुफा तक सुरक्षित पहुँचाने आदि का कार्य पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इनके द्वारा पूरा किया जाता है। आपको यह जानकार भी आश्चर्य होगा कि धर्म,आस्था व विश्वास में भिन्नता के बावजूद अनेक कश्मीरी मुसलमानों का यह मानना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान उनकी मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। वे अपने को यह कहकर और भी सौभाग्यशाली बताते हैं कि एक हिन्दू तीर्थ यात्री तो एक वर्ष में यात्रा के दौरान केवल एक ही बार बर्फानी बाबा के दर्शन करते हैं परन्तु हम लोग तो ऐसे कि स्मत वाले हैं कि यात्रा शुरू होने के बाद हमें भोले बाबा लगभग रोजाना अपने पास बुलाते हैं। देश में अनेक तीर्थ यात्री आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने इसी यात्रा के दौरान ऐसे ही कई कश्मीरी मुसलमानों से दोस्ती गाँठ ली जो फोन और वाट्सएप आदि के माध्यम से स्थाई दोस्ती का रूप ले चुकी है।

“ अब इसे महज एक इत्तेफाक कहा जाए या भारतीय संस्कृति की जड़ों में समाहित अनेकता में एकता का एक जीवंत उदाहरण कि लाख साम्प्रदायिक तनाव,आतंकवादियों की धमकी तथा सीमापार की नापाक कोशिशों के बावजूद आज तक अमरनाथ यात्रा में मुस्लिम समुदाय के हस्तक्षेप तथा उनकी सहभागिता को नकारा नहीं जा सका। बल्कि यह कहा जा सकता है कि इस यात्रा में मुस्लिम भाइयों का सहयोग,दखल व उनकी भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

वृद्ध इतना कुंठित एवं उपेक्षित क्यों है?

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा श्रीगणेश किया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संसार के बुजुर्ग लोगों को सम्मान देने के अलावा उनकी वर्तमान समस्याओं के बारे में जनमानस में जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न है कि दुनिया में वृद्ध दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों वृद्धों की उपेक्षा एवं प्रताड़ना की स्थितियां बनी हुई है? चिन्तन का महत्वपूर्ण पक्ष है कि वृद्धों की उपेक्षा के इस गलत प्रवाह को रोके। क्योंकि सोच के गलत प्रवाह ने न केवल वृद्धों का जीवन दुश्वार कर दिया है बल्कि आदमी-आदमी के बीच के भावात्मक फासलों को भी बढ़ा दिया है। वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा-सहमा खड़ा है, उसकी आंखों में भविष्य को लेकर भय है, असुरक्षा और दहशत है, दिल में अन्तहीन दर्द है। इन त्रासद एवं डरावनी स्थितियों से वृद्धों को मुक्ति दिलानी होगी। सुधार की संभावना हर समय है। हम पारिवारिक जीवन में वृद्धों को सम्मान दें, इसके लिये सही दिशा में चले, सही सोचें, सही करें। इसके लिये आज विचारक्रांति ही नहीं, बल्कि व्यक्तिक्रांति की जरूरत है।

विश्व में इस दिवस को मनाने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, परन्तु सभी का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे अपने बुजुर्गों के योगदान को न भूलें और उनको अकेलेपन की कमी को महसूस न होने दें। हमारा भारत तो बुजुर्गों को भगवान के रूप में मानता है। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण है कि माता-पिता की आज्ञा से भगवान श्रीराम जैसे अवतारी पुरुषों ने राजपाट त्याग कर वनों में विचरण किया, मातृ-पितृ भक्त श्रवण कुमार ने अपने अन्धे माता-पिता को काँवड़ में बैठाकर चारधाम की यात्रा कराई। फिर क्यों आधुनिक समाज में वृद्ध माता-पिता और उनकी संतान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। आज का वृद्ध समाज-परिवार से कटा रहता है और सामान्यतः इस बात से सर्वाधिक दुःखी है कि जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय न तो लेना चाहता है और न ही उनकी राय को महत्व देता है। समाज में अपनी एक तरह से अहमितय न समझे जाने के कारण हमारा वृद्ध समाज दुःखी, उपेक्षित एवं त्रासद जीवन जीने को विवश है। वृद्ध समाज को इस दुःख और कष्ट से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरुरत है। आज हम बुजुर्गों एवं वृद्धों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के साथ-साथ समाज में उनको उचित स्थान देने की कोशिश करें ताकि उम्र के उस पड़ाव पर जब उन्हे प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो जिंदगी का पूरा आनंद ले सके। वृद्धों को भी अपने स्वयं के प्रति जागरूक होना होगा, जैसाकि जेम्स गारफील्ड ने कहा भी है कि यदि वृद्धावस्था की झूर्रियां पड़ती है तो उन्हें हृदय पर मत पड़ने दो। कभी भी आत्मा को वृद्ध मत होने दो।

> “ शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा ह्वद स्पिरिट ऑफ द क्वाडह्व में लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता, रूल बेस्ड आर्डर, और इंडो-पसिफिक रीजन की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करना बताया गया। क्वाड देशों के पिछले महीने टोक्यो में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्धोषण में कहा कि क्वाड ने अपने छोटे से इतिहास में जो परस्पर विश्वास और सहयोग हांसिल किया हैं। वह इन देशों के लोकतान्त्रिक मूल्यों को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

वृद्ध समाज इतना कुंठित एवं उपेक्षित क्यों है, एक अहम प्रश्न है। अपने को समाज में एक तरह से निष्प्रयोज्य समझे जाने के कारण वह सर्वाधिक दुःखी रहता है। वृद्ध समाज को इस दुःख और संत्रास से छुटकारा दिलाने के लिये ठोस प्रयास किये जाने की बहुत आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को समाप्त करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाने का निर्णय लिया। यह सच्चाई है कि एक पेड़ जितना ज्यादा बड़ा होता है, वह उतना ही अधिक झुका हुआ होता है यानि वह उतना ही विनम्र और दूसरों को फल देने वाला होता है, यही बात समाज के उस वर्ग के साथ भी लागू होती है, जिसे आज की तथाकथित युवा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त पीढ़ी बूढ़ा कहकर वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। वह लोग भूल जाते हैं कि अनुभव का कोई दूसरा विकल्प दुनिया में है ही नहीं। अनुभव के सहारे ही दुनिया भर में बुजुर्ग लोगों ने अपनी अलग दुनिया बना रखी है। जिस घर को बनाने में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, वृद्ध होने के बाद उसे उसी घर में एक तुच्छ वस्तु समझ लिया जाता है। बड़े बूढ़ों के साथ यह व्यवहार देखकर लगता है जैसे हमारे संस्कार ही मर गए हैं। बुजुर्गों के साथ होने वाले अन्याय के पीछे एक मुख्य वजह सामाजिक प्रतिष्ठा मानी जाती है। तथाकथित व्यक्तिवादी एवं सुविधावादी सोच ने समाज की संरचना को बदसूरत बना दिया है। सब जानते हैं कि आज हर इंसान समाज में खुद को बड़ा दिखाना चाहता है और दिखावे की आड़ में बुजुर्ग लोग उसे अपनी शान-शौकत एवं सुंदरता पर एक काला दाग दिखते हैं। आज बन रहा समाज का सच डरावना एवं संवेदनहीन है। आदमी जीवनमूल्यों को खोकर आखिर कब तक धैर्य रखेगा और क्यों रखेगा जब जीवन के आसपास सबकुछ बिखरता हो, खोता हो, मिटता हो और संवेदनाशून्य होता हो। डिजरायली का मार्मिक कथन है कि यौवन एक भूल है, पूर्ण मनुष्यत्व एक संघर्ष और वार्धक्य एक पश्चाताप। वृद्ध जीवन को पश्चाताप का पर्याय न बनने दे।

कटू सत्य है कि वृद्धावस्था जीवन का अनिवार्य सत्य है। जो आज युवा है, वह कल बूढ़ा भी होगा ही, लेकिन समस्या की शुरूआत तब होती है, जब युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों को उपेक्षा की निगाह से देखने लगती है और उन्हें अपने बुढ़ापे और अकेलेपन से लड़ने के लिए असहाय छोड़ देती है। आज वृद्धों को अकेलापन, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा, तिरस्कार, कटुक्तियां, घर से निकाले जाने का भय या एक छत की तलाश में इधर-उधर भटकने का गम हरदम सालता रहता। वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं हुई, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अधुनातन बोध के तहत बदलते सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े-बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। इसीलिये सिसरो ने कामना करते हुए कहा था कि जैसे मैं वृद्धावस्था के कुछ गुणों को अपने अन्दर समाविष्ट रखने वाला युवक को चाहता हूं, उतनी ही प्रसन्नता मुझे युवाकाल के गुणों से युक्त वृद्ध को देखकर भी होती है, जो इस नियम का पालन करता है, शरीर से भले वृद्ध हो जाए, किन्तु दिमाग से कभी वृद्ध नहीं हो सकता। वृद्ध लोगों के लिये यह जरूरी है कि वे वार्धक्य को ओढ़े नहीं, बल्कि जीएं।

आज जहां अधिकांश परिवारों में भाइयों के मध्य इस बात को लेकर विवाद होता है कि वृद्ध माता-पिता का बोझ कौन उठाए, वहीं बहुत से मामलों में बेटे-बेटियां, धन-संपत्ति के रहते माता-पिता की सेवा का भाव दिखाते हैं, पर जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री तथा वसीयतनामा संपन्न होते ही उनकी नजर बदल जाती है। इतना ही नहीं संवेदनशून्य समाज में इन दिनों कई ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जब संपत्ति मोह में वृद्धों की हत्या कर दी गई। ऐसे में स्वार्थ का यह नंगा खेल स्वयं अपनों से होता देखकर वृद्धजनों को किन मानसिक आघातों से गुजरना पड़ता होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वृद्धावस्था मानसिक व्यथा के साथ सिर्फ सहानुभूति की आशा जोहती रह जाती है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां काम करती हैं। वृद्धजन अव्यवस्था के बोझ और शारीरिक अक्षमता के दौर में अपने अकेलेपन से जूझना चाहते हैं पर इनकी सक्रियता का स्वागत समाज या परिवार नहीं करता और न करना चाहता है। बड़े शहरों में परिवार से उपेक्षित होने पर बूढ़े-बुजुर्गों को 'ओल्ड होम्स' में शरण मिल भी जाती है, पर छोटे कस्बों और गांवों में तो ठुकराने, तरसाने, सताए जाने पर भी आजीवन घुट-घुट कर जीने की मजबूरी होती है। यद्यपि 'ओल्ड होम्स' की स्थिति भी ठीक नहीं है। पहले जहां वृद्धाश्रम में सेवा-भाव प्रधान था, पर आज व्यावसायिकता की चोट में यहां अमीरों को ही प्रवेश मिल पा रहा है। ऐसे में मध्यमवर्गीय परिवार के वृद्धों के लिए जीवन का उत्तरार्द्ध पहाड़ बन जाता है। वर्किंग बहुओं के ताने, बच्चों को टहलाने-घुमाने की जिम्मेदारी की फिक्र में प्रायः जहां पुरुष वृद्धों की सुबह-शाम खप जाती है, वहीं महिला वृद्ध एक नौकरानी से अधिक हैसियत नहीं रखती। यदि परिवार के वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रुग्णावस्था में बिस्तर पर पड़े कराह रहे हैं, भरण-पोषण को तरस रहे हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में लज्जा एवं शर्म का विषय है। पर कौन सोचता है, किसे फुर्सत है, वृद्धों की फिक्र किसे हैं? भौतिक जिंदगी की भागदौड़ में नई पीढ़ी नए-नए मुकाम ढूंढने में लगी है, आज वृद्धजन अपनों से दूर जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर कवीन्द्र-रवीन्द्र की पंक्तियां गुनगुनाने को क्यों विवश है-'दीर्घ जीवन एकटा दीर्घ अभिशाप', दीर्घ जीवन एक दीर्घ अभिशाप है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहा तो हम उस अनुभव से भी दूर हो जाएंगे, जो इन लोगों के पास है। वृद्ध दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम उन्हें परिवार में सम्मानजनक जीवन देंगे, उनके शुभ एवं मंगल की कामना करेंगे।

> " भारतीय जनता पार्टी में एक साथ मिलकर काम करने की श्रेष्ठ परंपरा बहुत पहले से रही है। पार्टी के अंदर आज भी वह परंपरा आगे बढ़ती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की उस श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह एवं पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार एवं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पार्टी में इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है ।

आजादी के समय किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से इंकार कर दिया था और क्यों ?

1947 में भारत और पाकिस्तान देश बनने के बाद 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई । आजादी के समय भारत में 565 रियासतें थी जो स्वतंत्रता चाहते थे परन्तु आजादी प्राप्ति के बाद सरदार पटेल अंतरिम सरकार में उप प्रधान मंत्री के साथ देश के गृह मंत्री थे जो अखंड भारत बनाना चाहते थे लेकिन रियासतों की मंशा के कारण संभव नहीं हो पा रहा था । माउण्टबैटन ने भारत की आजादी को लेकर जो प्रस्ताव दिया था उसके अनुसार भारत के 565 रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विल को चुनेंगे और वे चाहें तोा दोनों के साथ न जाकर अपने को स्वतंत्र भी रख सकेंगे । इन 565 रजवाड़ों जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के हिस्से थे । सरदार बल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के दृढ निश्चय के कारण ही 562 रियासतों ने विलय की स्वीकृति दी ं। पटेल के साथ वीपी मेनन ने भी देश के एककीकरण में मुख्य भूमिका निभाई तथा दबाब बनाकर उन्हें विलय कराया । हैदराबाद,जूनागढ़ और काश्मीर ने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर भारत में विलय से इंकार कर दिया । इसका मुख्य कारण था कि उन रियासतों के शासक मुसलमान थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे । बाद में सरदार पटेल के दबाब आगे उनलोगों ने घुटने टेक दिये और भारत में विलय हो गया । सरदार पटेल ने सभी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांध और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया । उनके कुशल प्रशासक और दृढ निश्चय के कारण उन्हें लौह पुरूष के नाम से याद किया जाता है । सरदार पटेल एक बेहतरीन वक्ता ,कुशल संगठनकत्र्ता, प्रशासक और राजनेता थे । आजाद भारत के निर्माण में और उसके सुदृढीकरण में उन्होंने बखूबी भूमिका निभाई । किसानों की समस्या के समाधान तथा उनके हित की लड़ाई को उन्होंने अपना कत्र्तव्य माना । सरदार पटेल की दूरदृष्टि और उनकी कत्र्तव्यनिष्ठा ने भारत के एकीकरण का भी मार्ग प्रशस्त किया ।

त्रावणकोर रियासत

भारत देश की स्वतंत्रता के बाद कई रियासत राज्य थे जिन्हें भारत में विलय के लिए प्रस्ताव दिया गया । महाराज श्री चितिरा तिरूनल बलराम वर्मा 1924-1949 के राजकाल में राज्य ने सामाजिक और ंआिर्थक उत्थान के लिए कई प्रयास किये थे जिसके कारण ब्रिटिश शासन काल का दूसरा सबसे समृद्ध रियासत बन गया था । उसमें सर्वप्रथम त्रावणकोर रियासत जो दक्षिण भारत में स्थित था जिस पर त्रावणकोर परिवार राज्य करते थे तथा उनका शासन था, सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने से इंकार किया था , यहां तक कि वे देश में जवाहर लाल नेहरू के नीतियों से सहमत नहीं थे ।यह रियासत समुद्री व्यापार और खनिज संसाधनों के लिए बहुत समृद्ध मानी जाती थी । 1946 में त्रावणकोर के दीवान सर सीप़ीऱामास्वामी अय्यर ने त्रावणकोर को स्वतंत्र राज्य बनाने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी परन्तु सरदार बल्लभ भाई पटेल के साथ ऐसी समीकरण बना कि रियासत का विलय अखंड भारत में कर दिया गय ।

राजस्थान

उस समय राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा प्रान्त को छोड़कर कुल 22 देशी रियासतें थीं , जिस पर राजपूताना रियासतों के शासन थे । जो भारत की आजादी मिलने के साथ ही स्वतंत्र बनाने की होड़ में लग गए । सभी रीयासतों पर देशी राजा- महाराजाओं का ही राज था, हालांकि, 1947 के बाद 18 मार्च 1948 को रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया नवंबर 1956 को सात चरणों में सरदार पटेल के नेतृत्व में इनको एकीकरण करके विलय किया गया जो राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा ।

भोपाल

भोपाल एक ऐसी रियासत थी , जो सबसें बाद में भारतीय गणतंत्र में शामिल की जा सकी । इसका मुख्य कारण था कि उस रियासत के शासक नवाबहमीदुल्लाह खान था जिनकी रियासत भोंपाल,सीहोर और रायसेन तक फैली हुई थी । इस रियासत की स्थापना 1723-24 में औरंगजेब की सेना के बहादुर अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने की थी , जो भारत की आजादी मिलने के साथ ही अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया किन्तु सरदार बल्लभ भाई पटेल के एककीकरण नीति के आगे मई 1949 को भोपाल के नवाब ने भारत में विलय होना स्वीकार कर लिया । सूत्रों के अनुसार नवाब ने सरदार पटेल को पत्र लिखते हुए कहा कि अब जब मैंने हार मान ली है तो मुझे उम्मीद है कि आप मुऐ उतना ही पक्का मित्र पाएंगे जितना पक्का मैं आपका विरोधी था ।

हैदराबाद

हैदराबाद भारत की दूसरी बड़ी रियासत थी , जिसकी जनसंख्या 85 प्रतिशत हिन्दू की आबादी थी । उसके बावजूद निजाम मीर उस्मान अली खान एक बूढ़ा और सनकी तानाशाह था जिसने भारत की स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद

“ भारत देश की स्वतंत्रता के बाद कई रियासत राज्य थे जिन्हें भारत में विलय के लिए प्रस्ताव दिया गया । महाराज श्री चितिरा तिरूनल बलराम वर्मा 1924-1949 के राजकाल में राज्य ने सामाजिक और ंआिर्थक उत्थान के लिए कई प्रयास किये थे जिसके कारण ब्रिटिश शासन काल का दूसरा सबसे समृद्ध रियासत बन गया था । उसमें सर्वप्रथम त्रावणकोर रियासत जो दक्षिण भारत में स्थित था।

के स्वतंत्र रहने का ऐलान कर दिया । निजाम का झुकाव पाकिस्तान की ओर था और वह चाहता था कि पाकिस्तानी सैना की सहायता से अपने रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था । इसलिए उसने हिन्दूओं की हत्या और लूट कर जुल्म करना शुरू किया । इस तरह हैदराबाद भयानक हिंसा की चपेट में आ गया जिसका शिकार मूल रूप में हिन्दू हो रहे थे । ऐसे स्थिति में सरदार बल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए मेजर जनरल जेएन्नचैधरी को रवाना किया । सेना की अन्य टुकड़ियों ने विजयवाड़ा और अन्य दिशाओं से हैदराबाद को घेर लिया तब 17 सितम्बर 1948 को हैदराबाद स्टेट फोर्स ने भारतीय सेना के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया और इस तरह हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गया ।

जूनागढ़

पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके का एक बड़ा राज्य जूनागढ़ था वहां के नवाब महावत खान की रियासत का ज्यादतर हिस्सा हिन्दुओं का था । मुस्लिम लीग और जिन्ना के इशारों पर जूनागढ़ के दीवान अल्लाहबक्स को अपदस्थ करके बेनजीर भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो को वहों का दीवान बनाया गया था ।शाहनवाज भुट्टो ने महावत खान पर दवाब बनाया और इस दबाव में आकर महावत खान ने 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया । इस निर्णय से सरदार बल्लभ भाई पटेल विचलित हुए और उन्होंने तुरंत जूनागढ़ के दो प्रान्त मांगरोल और बाबरियावाड़ पर बिग्रेडियर गुरूदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर उस पर कब्जा कर दिया और फिर उसी वर्ष नवंबर माह भारतीय फौज ने पूरे जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया । सरदार बल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की रणनीति से लार्ड माउंटबेटन नाराज हो गए इसके बाद पटेल ने जूनागढ में जनमत संग्रह करवाया जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक जनता ने भारत में विलय की अपनी सहमति जतायी । इस तरह से 20 फरवरी1948 को जूनागढ देश का हिस्सा बन गया और महावत खान पाकिस्तान भाग गया ।

जम्मू कश्मीर

जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे जो एक बड़ी रियासत थी । इसके पश्चिम में पाकिस्तान,उत्तर में चीन का जिनजियांग प्रान्त, पूरब में तिब्बत और उत्तर पश्चिम में अफगानी जमीन थी । इस रियासत के राजा स्वतंत्र के पक्षधर थे लेकिन 1947 के बाद सारी स्थिति बदल चुकी थी । पाकिस्तान की नजर काश्मीर पर लगा हुआ था और उसे कब्जा करने के प्रयास में लग गया था परन्तु सीधे हमला न कर एक बड़ी जनसंख्या में कबाइलियों के जत्थे को भेजकर कब्जा करने का प्रयास किया । इस हमला से राजा हरि सिंह घबड़ा कर अपने रियासत को भारत में विलय कर दिया । इस तरह जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया । जय प्रकाश नारायण जी की जीवनी

प्रारंभिक जीवन

जय प्रकाश नारायण जी का जन्म 11 टूबर 1902 को बिहार सारण जिले के सिताब दियारा के गांव में हुआ था । उनके पिता का नाम हर्सुल दयाल श्रीवास्तव और माता का नमा फूल रानी देवी था । जय प्रकाश नारायण जी अपने माता-पिता के चैथे संतान थे । गांव के बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ.ाई की। 1920 में जब जय प्रकाश 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ । विवाह के उपरान्त जय प्रकाश अपनी पढ.ाई में रहने के कारण अपनी पत्नी प्रभावती को अपने साथ नहीं रख सके । पटना कॉलेज छोड.कर उन्होंने विद्यापीठ में दाखिला ले लिया । बिहार विद्यापीठ में पढ.ाई के पश्चात सन 1922 में जय प्रकाश आगे की पढ.ाई के लिए अमेरिका चले गस । अमेरिका जाकर उन्हांने जनवरी 1923 में बर्कल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया । अमेरिका में अपनी पढ.ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने खेतों ,कंपनियों, रेस्टोरेन्टों इत्यादि में कार्य किया । इसी दौरान उन्हें श्रमिक वर्ग के परेशानियों का अनुभव हुआ और वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए । इसके पश्चात उन्होंने एम.ए. की डिग्री प्राप्त की पर पी.एच.डी पूरी न कर सके क्योंकि माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड.ा

भारत वापसी और स्वाधीनता आन्दोलन

अमेरिका से लौटने के बाद वे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड.े । इसी दौरान उनका संपर्क जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी से हुआ और वो स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय आन्दोलनकारी नेता बन गये । 1932 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान जब गांधी,नेहरू समेत अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी जेल चले गए तब उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में आन्दोलन का नेतृत्व किया । ब्रिटिश सरकार ने अन्तः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 गिरफ्तार कर नासिक जेल भेज दिया । नासिक जेल में इनकी मुलाकात अच्युत पटवर्धन,एम आर.मसानी जैसे नेताओं से हुई और उनसे वे प्रभावित हुए । इन नेताओं के विचारधारा से प्रभावित होकर काग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की नींव रखी । जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव हिस्सा लेने का फैसला किया तब कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया ।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें जल भेज दिया गया ।गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेदों को सुलझाने का प्रयास भी किया । सन 1942 में भारत छोड.ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए । उन्होंने नेपाल में जाकर आजाद दस्ते का गठन किया और उसे प्रशिक्षण दिया । उन्हें एक बार फिर पंजाब में चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये । बाद में उन्हें आगरा जेल में स्थानान्तरित किया गया । इसी बीच अंग्रेजी सरकार समझौता के लिए गांधी जी से बात करना चाहते थे । पर गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना लोहिया और जय प्रकाश के रिहाई के बिना अंग्रेजी सरकार से समझौता नामुमकीन है । गांधी जी के इरादा को अंग्रेजी सरकार ने भाप कर उनलोगों को 1946 में रिहा कर दिया।

देश की आजादी के बाद उन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की । 19 अप्रैल 1954 में बिहार में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषण की । 1957 में उन्होंने राजनीति छोंड.ने का निर्णय लिया । 1970 के दशक में भारतीय राजनीति की दशा- दिशा बदल दी । वे वत्रमान राजनीति के दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं थे । भ्रष्टाचार का बोल बाला हो गया था । जनता के हित की उपेक्षा की जा रही थी और विकास नगण्य थी । ऐसी स्थिति में एक बार फिर देश को जगाने का काम 1974 में किया । कांग्रेस अपने दिशा एवं रचनात्मक कार्य से भटक गई और राजनीतिज्ञ अपने पद का दुरूपयोग करने लगे । जय प्रकाश जी की निगाह में प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती जा रही थी । 1973 में देश महंगाई और भ्रष्टाचार से ग्रस्ति था ।सरकार के कामकाज और सरकारी गतिविधियां निरंकुश हो गई थी । जिससे जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही थी । ऐसे स्थिति में जय प्रकाश नारायण जी सरकार के विरूद्ध आंदोलन छेड.ने का निर्णय लिया ।

भ्रष्टाचार का विगुल गुजरात में छात्रों द्वारा आंदोलन चलाया गया । स्थिति की पहचान करते हुए जय प्रकाश नारायण जी ने 1974 में छात्र आन्दोलन का प्रर्दशन किया । यह आन्दोलन पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया । यह आन्दोलन पूरे देश में चल ही रहा था कि 1975 में इंदिरा गांधी के चुनाव रद्द हो जाने के कारण इंदिरा गांधी आपातकालीन लागू कर जय प्रकाश नारायण के साथ विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया । जिसका असर जनता पर बुरा प्रभाव पड.ा और 1977 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई।

“ जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे जो एक बड़ी रियासत थी । इसके पश्चिम में पाकिस्तान,उत्तर में चीन का जिनजियांग प्रान्त, पूरब में तिब्बत और उत्तर पश्चिम में अफगानी जमीन थी । इस रियासत के राजा स्वतंत्र के पक्षधर थे लेकिन 1947 के बाद सारी स्थिति बदल चुकी थी । पाकिस्तान की नजर काश्मीर पर लगा हुआ था और उसे कब्जा करने के प्रयास में लग गया था ।

भ्रमजाल में फंसी आधुनिकता की धारणा

हमारा समाज संक्रमण के जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें हम परम्परा और आधुनिकता के बीच चुनाव के द्वंद्व में फंसे हैं. एक ओर पश्चिमी जीवनशैली का सम्मोहन है तो दूसरी ओर सांस्कृतिक अस्मिता का आग्रह है. अनिश्चय और अनिर्णय कई बार हमसे ऐसे आधारहीन, अवसरवादी, हास्यास्पद और सिद्धांतहीन समझौते करवाते हैं कि लगता है जैसे हमारा विवेक खो गया है. महिलाओं और दलितों के संदर्भ में तो यह सच है ही किंतु प्रेम और विवाह के मामले में भी हमारा रुख विसंगतियों भरा है.

यह मान लिया गया है कि विदेशी पूंजी होगी तभी विकास होगा. विकास को अपने भरोसे, अपने श्रम-कौशल द्वारा, अपने ही संसाधनों के बल पर प्राप्त किया जा सकता है—यह संकल्पना अब लुप्त होती जा रही है. हालांकि इस बात के सहीझसही बहुत कम उदाहरण हैं कि जिन देशों ने विकास किया है, उनमें विदेशी पूंजी का कितना बड़ा योगदान रहा है. यहां सिंगापुर जैसे कुछ छोटे देशों को, जिनकी अर्थव्यवस्था सैलानियों के बल पर चलती हैछोड़ा जा सकता है. हम औपनिवेशक दौर की बात भी नहीं कर रहे हैं, जब तीसरी दुनिया के देशों के संसाधनों को, ताकत या कूटनीति के बल पर अपने अधीन कर लिया जाता था. यूरोपीय देशों और अमेरिका, जो आज विकासशील देशों की सूची में हैं, की प्रगति की अगर विवेचना करें तो पता चलेगा कि उसमें उनके उपनिवेशों का बहुत बड़ा योगदान है. औद्योगिक क्रांति के दौर में नए बाजारों और संसाधनों की खोज के लिए यूरोप और अमेरिका की व्यापारी कंपनियां दुनिया के विभिन्न देशों में पहुंचीं. और जहां, जितना भी उनका बस चला, अपना उपनिवेश कायम किया. फिर उनके संसाधनों से तैयार माल उन्हीं को बेचकर सालों-साल मुनाफा बटोरते रहीं. आज वैसी परिस्थितियां नहीं हैं. आर्थिक शोषण के लिए राजनीतिक उपनिवेश बनाना आवश्यक नहीं रह गया है. उपर्युक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में से अधिकांश ने अपनी समृद्धि-गाथा, औपनिवेशिक संपदा यानी बाहर की पूंजी के आधार पर लिखी है. अंतर केवल इतना है कि वह पूंजी न तो आमंत्रित थी, न ही स्वयं-स्फूत्र्त भाव से निवेश की गई. वह बलात् कब्जाई गई पूंजी थी, जिसका उपयोग उन लोगों के शोषण के लिए किया जा रहा था, जिनका उसपर नैसर्गिक अधिकार था. इसलिए यह सवाल कि क्या विकास के लिए विदेशी पूंजी अपरिहार्य है, विशेषकर भारत जैसे साधन-संपन्न देशों में—अब भी खड़ा है. समय के साथ उपनिवेशों में सामाजिक-राजनीतिक चेतना का विकास हुआ. लंबे आंदोलन के बाद वे एक-एक कर स्वतंत्र होने लगे. लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जिस परिवर्तन की अपेक्षा वहां के लोगों ने की थी, जो जनसाधारण का आजादी से जुड़ा स्वप्न था, उससे वे निरंतर दूर होते गए. ब्राजील के प्रखर शिक्षाशास्त्री पाऊलो फ्रेरा के अनुसार उत्पीड़ित अपनी मुक्ति उत्पीड़क की भूमिका में आ जाने में देखता है. यह शार्टकट रास्ता है, जिसमें व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का लक्ष्य पीछे छूट जाता है. कई बार तो परिवर्तन चक्र ही उल्टा घूमने लगता है. वही हो रहा था. आजाद होते उपनिवेशों में जैसे-जैसे विकास की मांग बढ़ी, अपनी मुक्ति के लिए वे उन्हीं रास्तों का अनुसरण करने लगे, जो उनकी दासता का सबब थे. आपाधापी में वे उन्हीं देशों के आगे मदद के लिए हाथ पसारने लगे, जिन्होंने उन्हें शताब्दियों तक गुलाम बनाए रखा था, तथा जिनके स्वार्थ, सामान्य नैतिकता मैत्री-भाव से कहीं ज्यादा प्रबल थे. इस तथ्य को जानबूझकर नजरंदाज किया गया कि साम्राज्यवाद से मुक्ति का संघर्ष जितना राजनीतिक होता है, उतना ही आर्थिक एवं सांस्कृतिक भी होता है. यह भी कि सांस्कृतिक दासता राजनीतिक परतंत्रता की सदैव पश्चगामी होती है. वह देर से आती और राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद सामान्यतः देर तक बनी रहती है.

औपनिवेशीकरण का दौर वस्तुतः नए साम्राज्यवाद के उदय का दौर था. उसकी डोर पूंजीपति घरानों तथा उनके चहेते बुद्धिजीवियों और नौकरशाहों के अधीन थी. इस विचलन के कुछ कारण ऐतिहासिक भी थे. उपनिवेशों की स्वतंत्रता किसी बड़े संघर्ष के बजाय स्थानीय जनाक्रोश और लोक-जागरण का सुफल थी. उसके पीछे तीव्र वैश्विक घटनाक्रम था, जिसने दुनिया को कई धड़ों में बांट दिया था. स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर उनके मूल में जिन जनांदोलनों और वैचारिक क्रांतियों का योगदान था, उनमें से अधिकांश पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध

यूरोपीय देशों में जन्मी थीं. दूसरे शब्दों में औपनिवेशिक देशों को यूरोपीय दासता के विरुद्ध मुख्य औजार सीधे पश्चिम; अथवा वहां की वैचारिक प्रेरणाओं के माध्यम से प्राप्त हुए थे. यही कारण है कि आजाद होते उपनिवेशों के बुद्धिजीवियों में पश्चिम के प्रति खास आकर्षण था, जिसके दबाव में शताब्दियों पुरानी राजनीतिक दासता को बिसरा दिया गया था. पश्चिम के प्रति विशिष्ट आकर्षण का स्वरूप विभिन्न वर्गों के लिए अलगझअलग था. जो लोग पहले से ही पश्चिमी संस्कृति के प्रति आकर्षित थे, वे स्वतंत्र होने के बाद भी उसे अपनी जीवन-शैली के रूप में अपनाए हुए थे. पश्चिमी संस्कृति की विशेषताएं यथा भाषा, पहनावा, जीवन-शैली आदि उनके लिए पराए नहीं रह गए थे. वे इन्हें अपनी विशिष्ट पहचान के रूप में, कई बार तो अपने ही देशवासियों से अलग दिखने के लिए अपनाए रहते थे. यह उनके लिए गर्व का विषय था. इस श्रेणी में मुख्यतः अभिजात लोग सम्मिलित थे, जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के निकट रहकर पर्याप्त सुख-सुविधाएं भोगी थीं.

दूसरा वर्ग उन प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का था जो अपने देश और समाज के बौद्धिक नेतृत्व का दावा करते थे. किंतु अपनी वैचारिक प्रेरणाओं के लिए जब-तब पश्चिम की ओर झांकते रहते थे. यह आकस्मिक नहीं था. मानवतावादी विचार तो प्रायः सभी धर्मों और संस्कृतियों में आए थे. और भिन्न भौगोलिक स्थितियों के बावजूद उनमें आश्चर्यजनक एकरूपता थी. लेकिन धर्म-संस्कृति को नैतिकता का आश्रय बताने वाले पारंपरिक विचारों की सीमा थी कि वे सामाजिक न्याय एवं मानव-कल्याण को ईश्वर या उसकी समानधर्मा किसी तीसरी शक्ति की देन के रूप में देखते थे. यूरोपीय देशों की प्रौद्योगिकीय क्रांति ने परंपरागत विचार-शैलियों को चुनौती दी थी. उनमें सबसे प्रमुख धर्म-संबंधी अवधारणा थी. ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तार्किकता के कंधों पर सवार वे क्रांतियां धर्म को सीधे रूप में भले ही नुकसान न पहुंचा पाई हों, लेकिन लोगों के सोच को बदलने, बौद्धिक जड़ता को समाप्त करने में उनका बड़ा योगदान था.

“यह मान लिया गया है कि विदेशी पूंजी होगी तभी विकास होगा. विकास को अपने भरोसे, अपने श्रम-कौशल द्वारा, अपने ही संसाधनों के बल पर प्राप्त किया जा सकता है—यह संकल्पना अब लुप्त होती जा रही है. हालांकि इस बात के सहीझसही बहुत कम उदाहरण हैं कि जिन देशों ने विकास किया है, उनमें विदेशी पूंजी का कितना बड़ा योगदान रहा है.

बहुत कुछ बदलना बाकी है

हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी समारोह का वर्ष होने के कारण विशेष है। गणतंत्र रोमन के रिपब्लिक शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ ऐसे राज्य से है, जहां शासन की शक्तियां जनता में निहित होती हैं। गणतंत्र की हमारी उपलब्धियां छोटी नहीं हैं। बल्कि इतने वर्षों में हमारी नींव मजबूत ही हुई है। हाल के दशकों में मतदान प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी और इसमें महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका एक बड़ा सुबूत है। कुछ दशक पहले तक भी महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचती थीं। इसके अलावा, वे पति या परिवार के निदेर्शानुसार ही मतदान करती थीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर कई फैसले किए जाते हैं-बिहार में नीतीश सरकार द्वारा शराबबंदी कानून लागू करना इसका उदाहरण है। ऐसे ही व्यवस्था के प्रति नाउम्मीदी के बावजूद न्यायपालिका के प्रति जनता का भरोसा कायम है। कभी न्यायाधीश पीएन भगवती ने एक चिट्ठी के आधार पर जनहित याचिका (पीआईएल) की जो शुरूआत की थी, वह परंपरा दिनोंदिन मजबूत हुई है। आम आदमी में यह भरोसा पैदा हुआ है कि वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है, जहां से उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। ऐसे ही पंचायती व्यवस्था का, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है, जिस तरह विकास हुआ है, वह भी गणतंत्र के रूप में हमें उम्मीद से भर देता है।

विज्ञापन

लेकिन इस अवसर पर हमें उन विडंबनाओं पर भी नजर डालनी चाहिए, जिसके कारण गणतंत्र कमजोर पड़ता है। गणतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होनी चाहिए। लेकिन हम पाते हैं कि गण और तंत्र के बीच दूरी बढ़ गई है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में कोई भी जा सकता था। नेहरू ने अपने इर्द-गिर्द सुरक्षा या प्रोटोकॉल की ऐसी दीवारें नहीं खड़ी की थीं। जनता के असुविधाजनक सवालों को आज दबा दिया जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है। आजाद भारत में यह प्रवृत्ति कम या ज्यादा हमेशा पाई गई है। इस उपेक्षा के कारण ही पूर्वोत्तर में समस्याएं पैदा हुई थीं। यह प्रवृत्ति आज भी बरकरार है। कश्मीर का उदाहरण लीजिए। कश्मीर के लोगों को समस्याओं की तरह पेश किया जाता है। जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे में, कश्मीर के लोगों की चिंता हमारी चिंता होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इससे राज्य व्यवस्था के प्रति जनता का भरोसा कम होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा रहा है। असम में नागरिकता विधेयक की आलोचना करने के कारण चर्चित और वयोवृद्ध लेखक हीरेन गोहांई के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाना इसका ताजा उदाहरण है। धर्म के आधार पर नागरिकता देना, धर्म के आधार पर घृणा और हिंसा-यह तो संविधान की मूल धारणा के ही खिलाफ है। ऐसे में, यह सवाल पैदा होता है कि 26 जनवरी, 1950 को जिन उम्मीदों के साथ हमने गणतंत्र की स्थापना की थी, क्या वे उम्मीदें पूरी हुई हैं। संसद एवं विधानसभाओं में हाथापाई होती है। चुनावों के दौरान जनप्रतिनिधियों के संवाद का स्तर गिर जाता है। राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति की कोई कोशिश नहीं है। चुनाव खर्च में पारदर्शिता नहीं है। उच्च सदन में थैलीशाहों को चुनकर इसके उद्देश्य को ही खत्म कर दिया गया है। संविधान की समीक्षा और सेक्यूलरिज्म शब्द को हटाने की बातें होती हैं। इतिहास तक को सुविधाजनक और हास्यास्पद तरीके से बदल दिया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि संसद और संसदीय परंपराओं के प्रति सम्मान कम होता गया है। संसद के काम की अवधि ही केवल कम नहीं हुई है, संसद

“अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा रहा है। असम में नागरिकता विधेयक की आलोचना करने के कारण चर्चित और वयोवृद्ध लेखक हीरेन गोहांई के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाना इसका ताजा उदाहरण है। धर्म के आधार पर नागरिकता देना, धर्म के आधार पर घृणा और हिंसा-यह तो संविधान की मूल धारणा के ही खिलाफ है। ऐसे में, यह सवाल पैदा होता है कि 26 जनवरी, 1950 को जिन उम्मीदों के साथ हमने गणतंत्र की स्थापना की थी।

के अंदर के दृश्य भी हैरान करने वाले हैं। बहसों से बचा जाता है। राज्यसभा में जाने से बचने के लिए मनी बिल का रास्ता अपनाया जाता है। अध्यादेश लाए जाते हैं। आज सरकारें अपना विरोध नहीं सह सकतीं, जबकि नेहरू खुद अपनी नीतियों की आलोचना करते थे। संसदीय लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्षी दलों से भी सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आंबेडकर ने कहा था, संसद विपक्ष का मंच है। जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाए, तो यह खतरनाक है। हालांकि इस बीच हमने अनेक मोर्चे पर प्रगति की है। हम एक आर्थिक ताकत बन चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। गरीबी उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। लेकिन पिछले डेढ़-दो दशक में अमीरी-गरीबी के बीच खाई भी बहुत बढ़ी है। इतनी असमानता पहले नहीं थी। आज लोगों के पास पैसा तो इफरात है ही, वे इसका प्रदर्शन भी खूब करते हैं। शादियों में बेतहाशा खर्च किया जाता है। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी का ही उदाहरण लीजिए। पहले शाहखर्ची की आलोचना होती थी, अब नहीं होती। पर समाज पर इसका असर तो पड़ता ही है। यह संविधान के उद्देश्यों के भी विपरीत है। औरतों की स्थिति बदली है। उनमें साक्षरता बढ़ी है और वे सजग भी हुई हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े राज्यों में बच्चियों के पैदा होने पर पहले जैसा विरोध नहीं होता। हरियाणा में कन्याओं का लिंगानुपात सुधरा है। पर इन्हीं दिनों गुजरात में पाटीदार समाज के बीच बिगड़े लिंगानुपात के कारण ओडिशा और दूसरे राज्यों से दुल्हन लाने का रिवाज चौंकाने वाला है। यानी लड़कियों के प्रति समाज का रवैया नहीं बदला है। वह रवैया बदलेगा, तभी बेहतर उम्मीद की जा सकती है।

इसलिए छोड़ दी थी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की कांग्रेस? ये थी भारत को आजाद कराने की प्लानिंग

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानी, भारत रत्न और आजाद की लड़ाई में नवीन प्राण फूंकने वाले सर्वकालिक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म पिता जानकी नाथ बोस व माता प्रभा देवी के घर 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वे अपने 8 भाइयों और 6 बहनों में नौवीं संतान थे। प्रारंभ से ही राजनीतिक परिवेश में पले बढ़े सुभाष चन्द्र बोस के जीवन पर बाल्यकाल से धार्मिक व आध्यात्मिक वातावरण का गहन प्रभाव था एवं उनके कोमल हृदय में बचपन से ही शोषितों व गरीबों के प्रति अपार श्रद्धा समाई हुई थी। उन्हें स्वामी विवेकानंद की आदर्शता और कर्मठता ने सतत आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़कर उनकी धार्मिक जिज्ञासा और भी प्रबल हुई। सन् 1902 में पांच वर्ष की उम्र में सुभाष का अक्षरारंभ संस्कार संपंन हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कटक के मिशनरी स्कूल व आर. कालेजियट स्कूल से की व 1915 में प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और दर्शन शास्त्र को अपना प्रिय विषय बना लिया। इस बीच 1916 में अंग्रेज प्रोफेसर ओटन द्वारा भारतीयों के लिए अपशब्द का प्रयोग करने पर ये सुभाष को सहन नहीं हुआ और उन्होंने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया व पिटाई कर दी। इसको लेकर सुभाष को कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में 1917 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी की मदद से उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया। तभी से सुभाष के अंर्तमन में क्रांति की आग जलने लग गई थी और उनकी गिनती भी विद्रोहियों में की जाने लगी थी।

कौन थे नेताजी के माता-पिता

दरअसल, सुभाष के पिता जानकी नाथ बोस पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गए थे और वे सुभाष को सिविल सेवा के पदाधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। पिता का सपना पूरा करने के लिए सुभाष ने सिविल सेवा की परीक्षा दी ही नहीं अपितु उस परीक्षा में चौथा पायदान भी हासिल किया। लेकिन उस समय सुभाष के मन में कुछ और ही चल रहा था। सन् 1921 में देश में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के समाचार पाकर एवं ब्रिटिश हुकूमत के अधीन अंग्रेजों की हां-हूजूरी न करने की बजाय उन्होंने महर्षि अरविन्द घोष की भांति विदेशों की सिविल सेवा की नौकरी को ठोकर मारकर मां भारती की सेवा करने की ठानी और भारत लौट आये। गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर नेता जी महात्मा गांधी से जा मिलें।

स्वदेश लौट कर आने के बाद सुभाष अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चितरंजन दास से न मिलकर गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर वे महात्मा गांधी से जा मिलें। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी सुभाष के हिंसावादी व उग्र विचारधारा से असहमत थे। जहां गांधी उदार दल के नेतृत्वक्रेता के रूप में अगुवाई करते थे, वहीं सुभाष जोशीले गरम दल के रूप में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए विख्यात थे।

बेशक महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विचारधारा भिन्न-भिन्न थी, पर दोनों का मकसद एक ही था 'भारत की आजादी'। सच्चाई है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले नेताजी ने 'राष्ट्रपिता' के संबोधन से संबोधित किया था। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद नेताजी ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। कहा जाता है कि यह आयोग गांधीवादी आर्थिक विचारों के प्रतिकूल था।

क्यों छोड़ दी नेता जी ने कांग्रेस?

सन 1939 में बोस पुनः गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हरा कर विजयी हुए। बार-बार के विरोध व विद्रोही अध्यक्ष के त्यागपत्र देने के साथ ही गांधी ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय ले लिया। इसी बीच सन 1939 में अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तय किया कि वो एक जन आंदोलन प्रारंभ कर समस्त भारतीयों को इस आन्दोलन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आंदोलन की भनक लगते ही ब्रिटिश सरकार ने नेतृत्वक्रेता के तौर पर सुभाष को दो हफ्तों के लिए जेल में रखा और खाना तक नहीं दिया।

भूख के कारण जब उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा तो ब्रिटिश हुकूमत ने जनाक्रोश को देख उन्हें रिहा कर उनकी घर पर ही नजरबंदी शुरू कर दी। समय और परिस्थिति से भांप कर वे ब्रिटिशों की आंखों में धूल झोंक कर जापान भाग गये। जापान पहुंच कर बोस ने दक्षिणी-पूर्वी एशिया से जापान द्वारा एकत्रित करीब चालीस हजार भारतीय स्त्री-पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन करना शुरू कर दिया। भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूंबर, 1943 को 'आजाद हिन्द फौज' का गठन किया। सन 1943 से 1945 तक आजाद हिन्द फौज अंग्रेजों से युद्ध करती रही। आजाद हिन्द फौज की स्थापना से पहले बोस ने सन 1933 से 1936 तक यूरोप महाद्वीप का दौरा भी किया था। आजाद हिन्द फौज की स्थापना से पहले बोस ने सन 1933 से 1936 तक यूरोप महाद्वीप का दौरा भी किया था। अंततः वह ब्रिटिश शासन को यह महसूस कराने में सफल रहे कि भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। रंगून के जुबली हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधन के समय ही 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूंगा' और 'दिल्ली चलो' का नारा दिया। सक्रिय राजनीति में आने व आजाद हिन्द फौज की स्थापना से पहले बोस ने सन 1933 से 1936 तक यूरोप महाद्वीप का दौरा भी किया था। उस वक्त यूरोप में तानाशाह शासक हिटलर का दौर था। वहां हिटलर की नाजीवाद और मुसोलिनी की फासीवाद विचारधारा हावी थी और इंग्लैंड उसका मुख्य निशाना था। बोस ने कूटनीतिक व सैन्य सहयोग की अपेक्षा खातिर हिटलर से मित्रवत नाता भी कायम किया। साथ ही 1937 में ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी भी की और दोनों की अनीता नाम की एक बेटी भी हुई। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के कुछ दिन बाद दक्षिण-पूर्वी एशिया से भागते हुए एक हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त,1945 को बोस की मृत्यु हो गई। एक मान्यता यह भी है कि बोस की मौत 1945 में नहीं हुई, वह उसके बाद रूस में नजरबंद थे। उनके गुमशुदा होने और दुर्घटना में मारे जाने के बारे में कई विवाद छिड़े, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया।

“हालांकि इस बीच हमने अनेक मोर्चे पर प्रगति की है। हम एक आर्थिक ताकत बन चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। गरीबी उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। लेकिन पिछले डेढ़-दो दशक में अमीरी-गरीबी के बीच खाई भी बहुत बढ़ी है। इतनी असमानता पहले नहीं थी। आज लोगों के पास पैसा तो इफरात है ही, वे इसका प्रदर्शन भी खूब करते हैं। शादियों में बेतहाशा खर्च किया जाता है।

भारत: जनसंख्या घनत्व, वितरण तथा वृद्धि

अब तक हमने भारत के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल की। इन संसाधनों के अन्तर्गत भूमि, मृदा, जल, वन, खनिज तथा वन्य-जीव इत्यादि आते हैं। हमने इन उपरोक्त संसाधनों के वितरण एवं दोहन की दर एवं दिशा तथा विकास के कार्यक्रमों में उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इन्हीं संसाधनों का यहाँ के देशवासियों के सनदर्भ में अध्ययन करना है। लोगों या जनता से अभिप्राय यहाँ की जनसंख्या को केवल उपभोक्ता की संख्या के रूप में ही नहीं बल्कि उन्हें यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धक के रूप में मानने से है।

इसके लिये सही मायने में लोगों के शैक्षिक तथा स्वास्थ्य स्तर, उनके व्यावसायिक, तकनीकी एवं सामाजिक दक्षता पर ध्यान देते हैं। और इससे भी अधिक लोगों की आकांक्षाओं एवं प्रचलित मान्यताओं के साथ कार्य नीति पर ध्यान देने की जरूरत है। इस संदर्भ में आप अनुभव करेंगे कि लोग प्राकृतिक संसाधनों के केवल उपभोक्ता ही नहीं अपितु ये देश की अनमोल परिसम्पति हैं। इस पाठ में हम भारत की जनसंख्या के आकार का मूल्यांकन विश्व जनसंख्या के सनदर्भ में करेंगे। इसलिये पहले जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व तथा इन पहलुओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न कारकों का अध्ययन करेंगे। अन्त में जनसंख्या में वृद्धि करने वाली प्रवृत्तियों तथा उन्हें प्रभावित करने वाले निर्धारकों के साथ परिणामों का भी विश्लेषण करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप:

- विश्व जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में भारत की जनसंख्या के आकार को समझा सकेंगे
- भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिये उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे ;
- भारत के मानचित्र पर सघन, सामान्य तथा विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों को दर्शा सकेंगे ;
- जनसंख्या के वितरण, घनत्व तथा उसकी वृद्धि के बारे में आँकड़ों की व्याख्या कर सकेंगे ;
- पिछले सौ वर्षों (1901-2001) में जनसंख्या में हुई वृद्धि की प्रवृत्ति का विवेचन कर सकेंगे ;
- जनसंख्या में होने वाली तीव्र-वृद्धि के लिये उत्तरदायी कारकों की पहचान कर सकेंगे ;
- जनसंख्या विवेचन में प्रयुक्त बहुत सी शब्दावलियाँ, जैसे-जन्म-दर, मृत्यु-दर, इत्यादि की भलीभाँति व्याख्या कर सकेंगे ;
- जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि को कम करने की आवश्यकता को महसूस कर

“ इसके लिये सही मायने में लोगों के शैक्षिक तथा स्वास्थ्य स्तर, उनके व्यावसायिक, तकनीकी एवं सामाजिक दक्षता पर ध्यान देते हैं। और इससे भी अधिक लोगों की आकांक्षाओं एवं प्रचलित मान्यताओं के साथ कार्य नीति पर ध्यान देने की जरूरत है। इस संदर्भ में आप अनुभव करेंगे कि लोग प्राकृतिक संसाधनों के केवल उपभोक्ता ही नहीं अपितु ये देश की अनमोल परिसम्पति हैं।

सकेंगे;

- देश के किसी भी क्षेत्र में आप्रवासन एवं उत्प्रवासन के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कर सकेंगे।

26.1 भारत की जनसंख्या

विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। एक मार्च सन 2001 को भारत की कुल जनसंख्या 1027 मिलियन याने एक अरब 27 करोड़ हो चुकी थी। यह संख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 16.7 प्रतिशत के बराबर है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्व का हर छठवां व्यक्ति भारतीय है। चीन हमसे एक कदम आगे है क्योंकि विश्व में हर पाँचवा व्यक्ति चीन का है। भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि का 2.42 प्रतिशत ही है और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17 प्रतिशत भारत में है।

क्षेत्रीय प्रसार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और आस्ट्रेलिया के बाद सातवां है। चीन को छोड़ दें तो बचे पाँचों बड़े क्षेत्रफल वाले देशों की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम है। इन पाँचों देशों के क्षेत्रफल को मिला दें तो वह भारत के क्षेत्रफल से 16 गुना बड़ा क्षेत्रफल होगा और इस क्षेत्रफल में रहने वाली आबादी की मिली जुली जनसंख्या भारत की जनसंख्या से बहुत कम है। यह तथ्य दर्शाता है कि सीमित भूमि संसाधन में इतनी विशाल जनसंख्या के कारण हम कितने असहाय एवं अवरोधों से ग्रसित हैं।

यह भी दृष्टव्य है कि तीन महाद्वीपों-उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो भी भारत की जनसंख्या से कम है। और इसके साथ विडम्बना यह कि प्रति वर्ष हमारी जनसंख्या में 1 करोड़ 70 लाख व्यक्तियों का इजाफा हो रहा है। यह संख्या आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। विश्व की सबसे घनी आबादी वाले चीन में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि-दर भारत की वार्षिक दर से कम है।

26.2 जनसंख्या का घनत्व तथा वितरण

संसार की जनसंख्या अथवा किसी भी देश की जनसंख्या उसके सभी भागों में समान रूप से वितरित नहीं होती। भारत के लिये भी यह तथ्य लागू होता है। देश के कुछ भागों में घनी जनसंख्या है कुछ भागों में मध्यम जनसंख्या है तो कुछ भाग विरल बसे हैं।

विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या के आकार की तुलना कई तरीकों से की जा सकती है। इनमें से एक तरीका है कि विभिन्न क्षेत्रों की पूरी जनसंख्या के आकार की तुलना करना। परन्तु इस विधि में जनसंख्या तथा उस क्षेत्र या प्रांत के क्षेत्रफल अथवा उसके आधार संसाधनों के बीच के सम्बन्धों के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। अतः क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक अध्ययन गुमराह कर सकता है। उदाहरण स्वरूप सिंगापुर की जनसंख्या 42 लाख है और चीन की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ (1,300 मिलियन) है। सिंगापुर का क्षेत्रफल मात्र 630 वर्ग कि.मी. है जबकि चीन का क्षेत्रफल 95 लाख वर्ग कि.मी. है। एक इतना छोटा और दूसरा इतना विशाल। इससे स्पष्ट है कि चीन की तुलना में सिंगापुर कितना भीड़-भाड़ वाला है। इसलिये विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना सामान्यतः उन देशों के जनसंख्या के घनत्व के रूप में की जाती है। इस विधि में मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तरीके में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के वितरण को देश के क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित मानते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या समाहित होती है, इसकी गणना की जाती है। इसे अंक-गणितीय जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किसी भी क्षेत्र या देश की कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के या देश के जमीनी क्षेत्रफल से भाग देने पर प्रति वर्ग किमी जनसंख्या का घनत्व प्राप्त हो जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत वर्ष में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

पिछले सौ वर्षों में जनसंख्या का घनत्व चौगुना से भी ज्यादा बढ़ा है। सन 1901 में यह घनत्व 77 था जबकि सन 2001 में यह 324 हो गया। अब एक बात और समझने की है। जब यह कहा जाए कि भारत में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, इससे यह मतलब नहीं निकालना चाहिये कि देश के प्रत्येक वर्ग

> “ सिंगापुर का क्षेत्रफल मात्र 630 वर्ग कि.मी. है जबकि चीन का क्षेत्रफल 95 लाख वर्ग कि.मी. है। एक इतना छोटा और दूसरा इतना विशाल। इससे स्पष्ट है कि चीन की तुलना में सिंगापुर कितना भीड़-भाड़ वाला है। इसलिये विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना सामान्यतः उन देशों के जनसंख्या के घनत्व के रूप में की जाती है। इस विधि में मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

कि. मी. पर आबादी 324 व्यक्तियों की होगी। वास्तव में जनसंख्या का वितरण भारत वर्ष में बहुत ही अनियमित है। अरुणाचल प्रदेश में औसतन जनसंख्या 13 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, जबकि दिल्ली में सन 2001 की जनगणना के अनुसार 9,294 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

- विभिन्न क्षेत्रों अथवा देशों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन सार्थक एवं उचित तभी हो सकता है जब उन देशों की जनसंख्या के औसत घनत्व को आधार मान कर अध्ययन किया जाए।
- घनत्व से व्यक्ति और भूमि के बीच अनुपातिक सम्बन्ध का बोध होता है।
- किसी क्षेत्र अथवा देश की जनसंख्या के घनत्व को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।

घनत्व = देश की कुल जनसंख्या/देश का सकलभूमि का क्षेत्रफल

26.3 जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक

जैसा कि पहले हमलोगों ने चर्चा की, भारत की जनसंख्या का स्थानीय वितरण एक समान नहीं है। इसमें बहुत अधिक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। आइये देखें वे कौन से कारक हैं जो इस विभिन्नता को बनाते हैं। वे सब कारक जो जनसंख्या के घनत्व एवं उसके वितरण को प्रभावित करते हैं उन्हें दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं। ये हैं (क) भौतिक कारक (ख) सामाजिक-आर्थिक कारक।

(क) भौतिक कारक - ये जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। भौतिक कारकों में सम्मिलित हैं- भूमि की बनावट या आकृति, जलवायु, मृदा इत्यादि। यद्यपि विज्ञान एवं तकनीक में बहुत अधिक प्रगति हुई है परन्तु फिर भी भौतिक कारकों का प्रभाव बरकरार है।

1. भू-आकृति - यह जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को प्रभावित करता है। भू-आकृति का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है उसमें मौजूद ढ़लान तथा उसकी ऊँचाई। इन दोनों गुणों पर जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण बहुत कुछ आधारित रहता है। इसका प्रमाण पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र की भूमि ले सकते हैं। गंगा-सिंधु का मैदानी भूभाग घनी आबादी का क्षेत्र है जबकि अरुणाचल प्रदेश समूचा पहाड़ियों से घिरा उबड़-खाबड़ पर्वतीय भूभाग है, अतः जनसंख्या का घनत्व सबसे कम एवं वितरण भी विरल एवं फैला हुआ है। इसके अलावा भौतिक कारकों में स्थान विशेष का जल-प्रवाह क्षेत्र, भूमि जलस्तर जनसंख्या वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. जलवायु - किसी स्थान की जलवायु जनसंख्या के स्थानिक वितरण एवं प्रसार को प्रभावित करती है। अब राजस्थान के गरम और सूखे रेगिस्तान साथ ही ठंडा एवं आर्द्रता, नमी वाले पूर्वी हिमालय भूभाग का उदाहरण लें। इन कारणों से यहाँ जनसंख्या का वितरण असमान तथा घनत्व कम है। केरल एवं पश्चिम बंगाल की भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल हैं कि आबादी सघन एवं समान रूप से वितरित है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के पवन-विमुख भाग तथा राजस्थान के भागों में घनत्व कम है।

3. मृदा - यह बहुत हद तक जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करता है। वर्तमान औद्योगीकरण एवं उद्योग प्रमुख समाज में मृदा कैसे जनसंख्या को प्रभावित करने में सक्षम हो सकती है। यह स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है। परन्तु इस सच्चाई से कि आज भी भारत की 75 प्रतिशत जनता गाँवों में बसती है, कोई इन्कार नहीं कर सकता। ग्रामीण जनता अपना जीवन-यापन खेती से ही करती है। खेती के लिये उपजाऊ मिट्टी चाहिये। इसी वजह से भारत का उत्तरी मैदानी भाग, समुद्र तटवर्ती मैदानी भाग एवं सभी नदियों के डेल्टा क्षेत्र उपजाऊ एवं मुलायम मिट्टी की प्रचुरता के कारण सघन जनसंख्या वितरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर राजस्थान के विशाल मरुभूमि क्षेत्र, गुजरात का कच्छ का रन तथा उत्तराखण्ड के तराई भाग जैसे क्षेत्रों में मृदा का कटाव तथा मृदा में रेह का उत्फुलन (मिट्टी पर सफेद नमकीन परत चढ़ जाना जो उसकी उपजाऊपन को नष्ट कर देती है) विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हो जाते हैं।

किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण एक से अधिक भौतिक एवं भौगोलिक कारकों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत के उत्तर-पूर्वी भाग को लें। यहाँ अनेक कारक प्रभावशील है - जैसे भारी वर्षा, उबड़-खाबड़, उतार-चढ़ाव वाली जमीनी बनावट, सघन वन एवं पथरीली सख्त मिट्टी। ये सब एक साथ मिलकर जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को विरल बनाते हैं।

(ख) सामाजिक - आर्थिक कारक- भौतिक कारकों के समान ही सामाजिक-आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। परन्तु इन दोनों कारकों के सापेक्षिक महत्त्व के विषय में पूर्ण एकरूपता नहीं भी हो सकती है। कुछ स्थानों पर भौतिक कारक ज्यादा प्रभावशील होते हैं तो कुछ जगहों पर सामाजिक एवं आर्थिक कारक अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य तौर पर आम सहमति है कि सामाजिक एवं आर्थिक (अभौतिक) कारकों की भूमिका बढ़ी है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारक जो जनसंख्या की बसावट में विभिन्नता लाते हैं, इस प्रकार हैं- (1) सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कारक (2) प्राकृतिक संसाधनों का दोहन।

1. सामाजिक - सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कारक- मुम्बई-पुणे औद्योगिक कॉम्पलेक्स (संकुल) एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दशार्ता है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक कारकों के समूह ने इस कॉम्पलेक्स की जनसंख्या और घनत्व की तीव्र वृद्धि की हैं। आज से दो सौ वर्षों से भी पहले पश्चिमी समुद्री तटवर्ती थाणे इलाके के सकरी खाड़ी में महत्त्वहीन छोटे-छोटे बिखरे द्वीप समूह थे। साहसी पुर्तगाली नाविकों ने इन द्वीप समूहों पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। चूँकि अधिग्रहित द्वीपों का स्वामित्व उनके राजा के पास था। पुर्तगाल के राजा ने इसे इंग्लैंड के राजघराने को दहेज स्वरूप भेंट कर दिया। इस द्वीप में निवास करने वाले मछुआरों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसी दिन उनकी यह बसावट एक विशाल जनसंख्या के समूह के रूप में विकसित हो जाएगा।

इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इन द्वीपों पर एक व्यापारिक केन्द्र को स्थापित किया जिसे बाद में बाम्बे प्रेसीडेन्सी के राजधानी शहर में परिर्वितत कर दिया। उद्यमी व्यापार कुशल सम्प्रदायों ने (जैसे पारसी, कच्छी, गुजराती लोग) यहाँ कपड़ा बनाने की मिलों को स्थापित किया और इसके लिये आवश्यक जलशक्ति का विकास किया। इतना ही नहीं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के आर-पार सड़क तथा रेलमार्ग का निर्माण किया। इससे पृष्ठ प्रदेश आवागमन के साधनों से सम्पन्न हो गया। आशा के विपरीत स्वेज नहर का निर्माण हो जाने से बॉम्बे (अब मुम्बई) भारत का ऐसा बन्दरगाह बन गया जो यूरोप का सबसे नजदीक व्यापारिक केन्द्र सिद्ध हुआ। मुम्बई में शिक्षित युवकों की मौजूदगी तथा कोंकण के सस्ते, सशक्त एवं अनुशासित मजदूरों की आसान उपलब्धता ने यहाँ की क्षेत्रीय जनसंख्या को तेजी से पनपने में बहुत बड़ा योगदान दिया।

कुछ समय पश्चात मुम्बई के नजदीक अरब सागर के उथले क्षेत्र में तेल (पेट्रोलियम) तथा गैस-भण्डार की खोज ने इस क्षेत्र में पेट्रो-रसायन उद्योग को उभरने में बहुत बढ़ावा दिया। आज मुम्बई भारत की वाणिज्यिक एवं व्यापारिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिये यहाँ अन्तरराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई-अड्डे स्थापित हैं। मुम्बई देश तथा विदेश के प्रमुख समुद्री बन्दरगाहों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल-मार्ग का अन्तिम छोर मुम्बई है। लगभग ऐसी ही स्थिति औपनिवेशक शासकों द्वारा भारत के अन्य प्रमुख महानगर कोलकाता तथा चेन्नई के साथ लागू होती है।

2. प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता - छोटा नागपुर का पठार हमेशा से एक पर्वतीय, पथरीला एवं उबड़-खाबड़ क्षेत्र रहा है। वर्षा एवं वनों से आच्छादित यह भाग अनेकों आदिवासियों का निवास स्थान रहते आया है। यह आदिवासी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के विरल क्षेत्रों में से एक गिना जाता है। किन्तु प्रचुर मात्रा में खनिज अयस्क जैसे लोहा, मैगनीज, चूना पत्थर, कोयला आदि के उपलब्ध होने के कारण पिछली शताब्दि के दौरान अनेक औद्योगिक केन्द्र तथा नगरों की स्थापना हुई है। लौह अयस्क तथा कोयले की खदाने आस-पास मिलने से बड़े औद्योगिक उपक्रमों एवं कारखानों के स्थापित होने का आकर्षण बना रहा।

इस कारण लोहा तथा इस्पात उद्योग, भारी-इन्जिनियरिंग उद्योग धातुकर्म उद्योग तथा

“कुछ समय पश्चात मुम्बई के नजदीक अरब सागर के उथले क्षेत्र में तेल (पेट्रोलियम) तथा गैस-भण्डार की खोज ने इस क्षेत्र में पेट्रो-रसायन उद्योग को उभरने में बहुत बढ़ावा दिया। आज मुम्बई भारत की वाणिज्यिक एवं व्यापारिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिये यहाँ अन्तरराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई-अड्डे स्थापित हैं।

यातायात में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को बनाने के कारखाने खुले। इस क्षेत्र में उत्तम गुणों के कोयला उपलब्ध होने के कारण शक्तिशाली राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हुई। इन केन्द्रों से विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण दूर-दराज के क्षेत्रों को भी किया जाता है। उदारीकरण के बाद से इस क्षेत्र में अनेकों विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियाँ एवं भारतीय कम्पनियाँ अपने-अपने कारखाने एवं संयंत्रों को स्थापित करने में संलग्न हैं।

26.4 राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व

किसी खास उद्देश्य के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों को कई प्रकार से अंकित एवं आलेखित किया जा सकता है। यदि जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप की जानकारी हासिल करनी हो तो जनसंख्या के आंकड़ों को राज्य-स्तर पर या राज्य के बड़े क्षेत्र के जनसंख्या के आंकड़ों को इकट्ठा कर उन्हें अंकित एवं आलेखित किया जाता है। यदि बारीक तौर पर जानकारी हासिल करनी हो, तो जनसंख्या के आंकड़ों को छोटी-छोटी इकाइयों में जैसे जिला स्तर या तहसील के स्तर पर अंकित किया जाता है। आइये, अब भारत में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के प्रतिरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।

भारत में राज्य स्तर पर उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या घनत्व को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, मध्य घनत्व वाले क्षेत्र तथा कम घनत्व वाले क्षेत्र।

(क) अधिक घनत्व वाले क्षेत्र - दिए गए भारत के मानचित्र (चित्र 26.1) में जनसंख्या के वितरण को दशार्या गया है। जहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र अधिक घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में घनी आबादी होने का मुख्य कारण उपजाऊ मृदा तथा भरपूर वर्षा का पाया जाना है। इससे सघन एवं सशक्त खेती द्वारा उपज मिलती है। इन कारणों से प्रति वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बसी जनसंख्या के अधिकांश लोगों को पर्याप्त भोजन मिल जाता है। ऐसे क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल राज्य में आते हैं। परन्तु, केन्द्र शासित संघीय क्षेत्र जैसे दिल्ली, चण्डीगढ़ एवं पॉण्डिचेरी की स्थिति भिन्न है।

यहाँ जनसंख्या सघन होने का मुख्य कारण उच्च शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण है। इसके कारण लोगों को व्यवसाय तथा नौकरी के अवसर मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा तथा सघन कृषि होती है तथा जिन क्षेत्रों में रोजगार, व्यवसाय व नौकरी के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है।

भारत जनसंख्या घनत्व(ख) मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र - इस श्रेणी में वे राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र आते हैं, जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. के बीच होती है। ये राज्य आन्ध्र प्रदेश, असम, दादर एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय हैं। इस श्रेणी के अन्तर्गत देश के अधिकांश क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। मध्यम घनत्व की आबादी होने का मुख्य कारण उबड़-खाबड़ जमीन के चलते कृषि में अवरोध, वर्षा की निम्न व अनियमित मात्रा तथा सिंचाई के लिये जलाभाव है। यदि उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ तो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं तथा इसकी प्रबल संभावनाएँ भी मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर छोटा नागपुर क्षेत्र को लिया जाए। स्वतंत्रता के समय यह क्षेत्र विरल आबादी का था। किन्तु इस क्षेत्र में विद्यमान अनेकों प्रकार के खनिज एवं अयस्क का खनन एवं खदानों के विकास के साथ बहुत से उद्योग एवं कारखाने स्थापित होते गए और हो भी रहे हैं। इसके प्रभाव से लोगों का आना तथा उनकी आबादी की बसावट भी बढ़ते-बढ़ते मध्यम घनत्व के दर्जे में पहुँच गई है।

(ग) कम घनत्व वाले क्षेत्र - उपरोक्त दोनों वर्गों के घनत्व वाले क्षेत्र के अलावा शेष बचे क्षेत्र इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। इस श्रेणी में शामिल क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति या उससे भी कम प्रति वर्ग कि.मी. होता है। भारत के राज्य एवं केन्द्र शासित संघीय क्षेत्र जो इसके अन्तर्गत आते हैं, वे हैं - अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कम घनत्व के प्रमुख कारणों में - ऊँची-नीची तथा विषम भू-आकृतियाँ, कम वर्षा तथा अस्वास्थ्यकर जलवायु का होना है।

इन्हीं कारणों से जीवन-यापन करने के लिये रोजगार के अवसरों की बहुत कमी होती है। अधिक शीत या अति शुष्क क्षेत्र में भी कृषि का विकास नहीं हो पाता। उबड़-खाबड़, भूमि, कठिन जलवायु तथा निम्न कृषि के कारण नगरीकरण तथा औद्योगीकरण की सम्भावनाएँ अवरुद्ध हो जाती है। इसलिये ऐसे क्षेत्रों में प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें भरण-पोषण की सुविधा उपलब्ध हो सके, स्वतःकम हो जाती है। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में धरातलीय आकृतियों के चलते न केवल आवागमन के साधन तथा संचार माध्यमों का विस्तार करना कठिनाइयों से भरा हुआ है बल्कि कुल मिलाकर विकासात्मक आर्थिक स्तर निम्न होता है। इन सब कारकों के चलते जनसंख्या का घनत्व इन क्षेत्रों में काफी कम है।

- जनसंख्या के अधिक घनत्व वाले राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा हैं। केन्द्रशासित संघीय क्षेत्र चण्डीगढ़, लक्षद्वीप, पॉण्डिचेरी और दमन व दिव भी इसमें शामिल हैं।
- इन सभी उपरोक्त क्षेत्रों में कृषि कार्य अथवा द्वितीय या तृतीय श्रेणी के विभिन्न व्यवसायों द्वारा लोगों को रोजगार प्राप्त करने के भरपूर अवसर प्राप्त होते हैं।
- जनसंख्या के कम घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं।
- ये क्षेत्र या तो कम वर्षा, या पहाड़ी उबड़-खाबड़ जमीन या अवास्थ्यप्रद जलवायु या इन सभी कारणों के मिले-जुले प्रभाव से घनत्व कम है।

26.5 जिलास्तर पर जनसंख्या का घनत्व

जनसंख्या के आँकड़ों का सूक्ष्म अवलोकन इस तथ्य को उजागर करता है कि प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के घनत्व की एक से अधिक श्रेणियां मिलती हैं। जनसंख्या के वितरण का भौगोलिक अथवा स्थानिक प्रारूप और भी स्पष्ट होता है जब जनसंख्या के आंकड़ों को जिलास्तर पर अंकित कर विश्लेषित करते हैं। जनसंख्या के वितरण की विषमताएँ मुख्यतः विविध भौतिक कारकों की मौजूदगी, स्थान विशेष के आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन के वितरण में विषमताओं एवं दशाओं द्वारा प्रभावित होती है। हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिलों में घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं तो दिल्ली में 29,395 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. की घनी आबादी है। देश के शीर्ष 20 जिलों में या तो पूर्णतः शहरीकरण हो गया है अथवा शहरीकरण का व्यापक प्रभाव मौजूद है।

इसके अंतर्गत दिल्ली राज्य के सभी 9 जिले (कोलकाता, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना (पश्चिम बंगाल में) (मुम्बई एवं मुम्बई से लगे चारों तरफ अर्ध विकसित नगरीय बसावट वाले क्षेत्र (महाराष्ट्र में) हैदराबाद (आंध्र प्रदेश में) एवं केन्द्रशासित संघीय राज्य चण्डीगढ़ शामिल हैं। समूचे भारत की जनसंख्या के सघन घनत्व को 2 अविछिन्न तथा स्पष्ट पट्टियों में विभक्त कर समझा जा सकता है। ये पट्टियाँ (क) उत्तरी भारत का विशाल मैदानी भूभाग (पंजाब से पश्चिम बंगाल तक) तथा (ख) समुद्री तटवर्ती क्षेत्र, पूर्व में उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र होकर कोंकण तट तक फैली है।

एक मध्यम उच्च घनत्व की पेटी सम्पूर्ण महाराष्ट्र, गुजरात के मैदानी भाग, तेलंगाना, दक्षिणी कर्नाटक तथा झारखण्ड के छोटा नागपुर क्षेत्र को शामिल करती है। निम्न घनत्व के क्षेत्र सामान्यतः देश के पर्वतीय क्षेत्रों, वनाच्छादित, हिमाच्छादित क्षेत्रों अथवा राजस्थान की शुष्क मरुभूमि में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र मुख्यतः हिमालय के अधिकांश भाग राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके (जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इत्यादि) तथा गुजरात के कच्छ के रन के अंतर्गत आते हैं।

1. अधिक जनसंख्या घनत्व वाले तीन राज्यों के नाम लिखिये -

“ यहाँ जनसंख्या सघन होने का मुख्य कारण उच्च शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण है। इसके कारण लोगों को व्यवसाय तथा नौकरी के अवसर मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा तथा सघन कृषि होती है तथा जिन क्षेत्रों में रोजगार, व्यवसाय व नौकरी के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है।

2. किन्हीं तीन केन्द्र शासित संघीय क्षेत्रों के नाम लिखिए जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक हो -

3. किन्हीं तीन ऐसे राज्यों के नाम लिखिये जो जनसंख्या की कम घनत्व वाली श्रेणी में आते हैं-

4. किसी एक केन्द्रीय शासित संघीय क्षेत्र का नाम लिखिए जहाँ जनसंख्या का कम घनत्व है।

5. कोष्ठक में दिए गए शब्दों से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिये -

(क) ऐसे क्षेत्र जहाँ पर्याप्त वर्षा तथा उपजाऊ मृदा उपलब्ध है वहाँ जनसंख्या घनत्व _____ होने की संभावना है। (अधिक, मध्यम, निम्न)

(ब) ऐसे क्षेत्र जो उबड़-खाबड़ है तथा अक्सर सूखे का प्रभाव बना रहता हो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व____ होने की संभावना है। (अधिक, मध्यम, निम्न)

26.6 जनसंख्या की वृद्धि

किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि वहाँ के जन्मदर, मृत्युदर तथा प्रवास पर निर्भर करती है। जन्मदर को प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या से गणना की जाती है। इसी प्रकार मृत्यु दर को किसी क्षेत्र में प्रति हजार व्यक्तियों में से प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से गणना की जाती है। साधारणतया विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं जनसंख्या के आयुगत ढाँचे का प्रभाव जन्मदर पर पड़ता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अन्तर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश में स्थानान्तरण को प्रवास कहते हैं। एक देश से दूसरे देश में जाकर बसने की प्रक्रिया जनसंख्या प्रवास कहलाती है। जनसंख्या प्रवास की दर उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या बढ़ने या घटने से जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करती है।

जनसंख्या वृद्धि की दर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। धानात्मक वृद्धि दर तब होती है जब किसी क्षेत्र में जन्मे बच्चे तथा अप्रवासी (बाहर से आने वाले) व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र में मरने वाले व्यक्तियों तथा उत्प्रवासी (क्षेत्र से बाहर जाने वाले लोगों) व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा हो। ऋणात्मक वृद्धि दर में उपरोक्त बातें ठीक उल्टी लागू होती हैं तथा इससे किसी क्षेत्र की जनसंख्या में लगातार कमी होती जाती है।

जिलास्तर पर जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप

जिलास्तर पर आंकड़े का विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि 19 जिलों में वृद्धि दर काफी ऊँची है यानी पचास प्रतिशत से भी ज्यादा। इसके दूसरी ओर 58 जिलों में वृद्धि दर बहुत ही कम है यानी दस प्रतिशत से भी कम। उच्च वृद्धि दर के 19 जिलों में से पाँच जिले नागालैण्ड के तथा चार जिले दिल्ली के हैं। इसी तरह कम वृद्धि दर के 58 जिलों में से 40 जिले दक्षिणी भारत में हैं। इन 40 जिलों में से 20 तमिलनाडु, 11 केरल, 5 आन्ध्र प्रदेश तथा 4 कर्नाटक में पाये जाते हैं। अगर जिलास्तर पर वृद्धि का प्रतिरूप देखें तो पूरे सिंधु-गंगा के मैदानी प्रदेशों, पश्चिम में हरियाणा से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक उच्च वृद्धि दर पाया जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से उत्तर की ओर मालवा के पठार तक, वृहत भारतीय मरुस्थल सहित पूरा राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा उत्तर पूर्व राज्यों के भागों में उच्च वृद्धि दर दर्ज की जा रही है।

इसके दूसरी ओर गोदावरी नदी घाटी, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटानागपुर का पठार, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग, तथा उड़ीसा में निम्न वृद्धि-दर अंकित की जाती है। काफी निम्न वृद्धि दर पंजाब, उत्तराखण्ड तथा दक्कन के पठार के दक्षिणी भाग में पाई जाती है।

सारिणी 26.1 को देखिये, आप पायेंगे कि हमारा देश (आज की राजनैतिक सीमाओं के ही अंतर्गत) की कुल आबादी सन 1901 में मात्र 23.84 करोड़ थी। सन 2001 के जनगणना के अनुसार यह संख्या 102.70 करोड़ हो गई है। यानी पिछले एक सौ वर्ष में यह वृद्धि 78.86 करोड़ की हुई है। यह वृद्धि सन 1901 से अब तक 4.3 गुणा की है। अगर पिछले सौ वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को देखें तो इसे सामान्यतः चार निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है:-

गतिहीन वृद्धि दर का काल (सन 1921 से पहले)
नियमित वृद्धि दर का काल (सन 1921 से सन 1951 तक)
तीव्र वृद्धि दर का काल (सन 1951 से सन 1981 तक)
घटती हुई वृद्धि दर का काल (सन 1981 के बाद)

आइए प्रत्येक काल के बारे में संक्षिप्त विवेचन करते हैं-

सन 1921 से पहले जनसंख्या में वृद्धि यंत्र-तंत्र, अनियमित तथा मंद थी। इसका मुख्य कारण उच्च जन्मदर एवं उच्च मृत्यु दर था। अतः प्राकृतिक वृद्धि नगण्य थी। सन 1911-21 के बीच मूल वृद्धि में थोड़ी कमी हुई। इसका मुख्य कारण अकाल, भुखमरी, महामारी इत्यादि का घटित होना था। सन 1921 के बाद जनसंख्या बढ़ती रही है। इसी कारण सन 1921 को भारत के जनसंख्या अध्ययन में जनसांख्यिकी विभाजक के रूप में जाना जाता है।

सन 1921 से सन 1951 तक जनसंख्या में नियमित वृद्धि होती रही। इसका मुख्य कारण मृत्यु दर में नियमित ह्रास था। मृत्युदर में ह्रास का कारण स्वच्छता तथा चिकित्सा में सुधार था। अन्य कारक सड़क सुविधा का विकास है जिससे आपातकालीन स्थिति में देश के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्यान्न को पहुँचाने में मदद मिली जिससे अकाल मृत्यु को रोका जा सका। इसके साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार इसके लिये जिम्मेदार हैं। अतः इस काल में जनसंख्या वृद्धि मृत्यु रोधक वृद्धि के नाम से जाना जाता है।

जहाँ तक भारत में जनसंख्या वृद्धि का सम्बन्ध है, सन 1951 से सन 1981 के बीच का काल बहुत ही संकटकालीन अवस्था का है। इस तीस वर्ष के काल में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो गई। इस काल में तीव्र गति से मृत्युदर में ह्रास हुआ जबकि जन्मदर में नाम मात्र का ह्रास रहा। सारिणी संख्या 26.2 से स्पष्ट है कि सन 1951 से 1981 के बीच जन्म दर में कमी 41.7 प्रति हजार से 37.2 प्रति हजार ही है जबकि मृत्युदर में यह कमी 28.8 प्रति हजार से 15.0 प्रति हजार तक पहुँच गयी। अतः जन्मदर एवं मृत्युदर में काफी बड़ा अंतर रहा जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक वृद्धिदर काफी ऊँची रही। इसका मुख्य कारण विकासात्मक गतिविधि में तेजी, चिकित्सा सुविधाओं में और अधिक सुधार, लोगों के जीवन-निर्वाह की दशा में उन्नति इत्यादि रहा। जनसंख्या वृद्धि का यह काल उत्पादकता रोधक वृद्धि से संबोधित किया जाता है।

अंत के दो दशकों यानी सन 1981 से सन 2001 तक में जनसंख्या वृद्धि की दर में धीरे-धीरे कमी आना प्रारम्भ हुआ। इसने भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक नये दौर के प्रारंभ का संकेत दिया। इस काल में जन्मदर में तेजी से कमी आयी। यह कमी 1971-81 के 37.2 प्रति हजार से 1991-2001 में 24.8 प्रति हजार तक अंकित की गयी। दूसरी तरफ मृत्युदर में कमी घटती दर में अंकित की गयी। इसी अवधि में मृत्यु दर 15.0 प्रति हजार से घटकर 8.9 प्रति हजार हो गयी। प्राकृतिक वृद्धि में यह घटती हुई प्रवृत्ति एक धनात्मक दिशा की ओर संकेत करती है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रमों और लोगों की जागरूकता को इसका श्रेय जाता है।

- जनसंख्या की वृद्धि दर जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास कारकों के कार्यात्मक परिणाम है। जन्मदर तथा मृत्यु दर के अन्तर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं।

- भारत की जनसंख्या सन 1921 से लगातार तेज-गति से बढ़ती रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण मृत्यु दर का तेजी से घटना है।

26.7 राज्यस्तर पर जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप

भारत के सभी प्रांतों में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर एक समान नहीं है। देश के कुछ भागों में वृद्धि दर अन्य भागों के मुकाबले ज्यादा है। 1991-2001 के दशक में पूरे देश की औसत वृद्धि दर 21.39 प्रतिशत थी। यदि अन्तर-राज्य स्तर पर वृद्धि दरों के अन्तर पर ध्यान दें तो पता चलता है कि केरल में सबसे कम वृद्धि

“जिलास्तर पर आंकड़े का विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि 19 जिलों में वृद्धि दर काफी ऊँची है यानी पचास प्रतिशत से भी ज्यादा। इसके दूसरी ओर 58 जिलों में वृद्धि दर बहुत ही कम है यानी दस प्रतिशत से भी कम। उच्च वृद्धि दर के 19 जिलों में से पाँच जिले नागालैण्ड के तथा चार जिले दिल्ली के हैं।

दर 9.42 प्रतिशत है जबकि नागालैण्ड में सर्वाधिक वृद्धि दर 64.41 प्रतिशत। राज्य स्तर के प्रतिरूपों पर सरसरी तौर पर ध्यान देते हैं तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के राज्यों की जनसंख्या वृद्धि के बीच एक विभाजक की मौजूदगी साफ दिखाई देती है। पूरे उत्तर भारत एवं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अधिक वृद्धि दर दर्ज हुई है जबकि समस्त दक्षिण भारत के राज्यों में यह वृद्धि दर कम दर्ज हुई है। इसका प्रमुख कारण सामाजिक व आर्थिक विकास में बहुत अन्तर होना है। दक्षिण भारत के राज्यों में शिक्षा एवं साक्षरता का स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक सुविधा, अधिक शहरी जनसंख्या, सुधरी एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के कारण जनमानस जागृत एवं ज्यादा समझदार हैं।

पाठगत प्रश्न 26.2

1. सबसे उपयुक्त उत्तर पर (√) का निशान लगाइये-

(क) भारत में जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर का सबसे प्रमुख कारण है:

( ) तेजी से बढ़ती हुई जन्म दर ( ) तेजी से घटती मृत्यु दर

( ) बाहर से लोगों का अधिक अप्रवास (५) बहुत ऊँची जन्मदर तथा मृत्यु दर

(ख) भारत में जनसंख्या वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है -

( ) 1901 से ( ) 1921 से ( ) 1951 से (५) 1981 से

2. उस राज्य का नाम लिखिये जहाँ जनसंख्या की वृद्धिदर सबसे अधिक है।

3. उस राज्य का नाम लिखिये जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है।

26.8 प्रवास

पहले ही हमने चर्चा की है कि जनसंख्या की वृद्धि दर जन्मदर, मृत्युदर तथा प्रवासियों की संख्या पर निर्भर करती है। व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। इसके कई प्रकार हो सकते हैं। किसी दूसरे स्थान में आकर बसावट की प्रकृति के आधार पर इस प्रवास को ( ) स्थाई अथवा ( ) अस्थाई कह सकते हैं। स्थाई प्रवास में आए हुए व्यक्ति बसावट करने के बाद वापस अपने मूल स्थान नहीं जाते हैं। इसका सबसे सुन्दर एवं सरल उदाहरण ग्रामीण जनसंख्या का अपने-अपने गाँवों से रोजगार की तलाश में पलायन करके शहरों में आकर स्थाई रूप से बसना। अस्थाई प्रवास के अन्तर्गत वे लोग आते हैं जो कुछ समय रोजगार धंधा इत्यादि करके अपने मूल निवास स्थान को लौट जाते हैं।

उदाहरण के लिये मौसमी प्रवास को लिया जा सकता है। फसल कटाई के समय बिहार के खेतिहर मजदूरों का पंजाब एवं हरियाणा प्रदेश में आकर रहना अस्थाई प्रवास है क्योंकि ये सब फिर से अपने-अपने गाँवों को वापस लौट जाते हैं। बड़े-बड़े शहरों जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई तथा अन्य बड़े शहरी क्षेत्रों में लोग सुबह आकर काम काज करके सायंकाल में वापस अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार के जनसंख्या के आवागमन को दैनिक प्रवास कहा जाता है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः लोग ग्रीष्मकाल में अपने पशुओं के साथ घाटी इलाके से चलकर ऊँची पहाड़ियों पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही शीत ऋतु का आगमन होता है, ये लोग अपने मवेशियों के साथ उतरकर पुनः अपने घाटी के इलाके में लौट आते हैं। इन लोगों का मूल स्थायी आवास घाटी में होता है तथा पर्वतीय ढलानों पर पशुओं को चराने के लिये चले जाते हैं। जब सर्दी में उच्च पर्वतीय ढाल ठंडे होने लगते हैं, वे लोग निम्न भागों की ओर घाटी में लौट आते हैं। आमतौर पर वार्षिक आवागमन के रास्ते तथा चारागाह भी वस्तुतः तय एवं निश्चित होते हैं। इस प्रकार, ऊँचाई के अनुसार प्रवास को ऋतु प्रवास कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति तथा जम्मू-कश्मीर राज्य की बकरवाल जनजाति प्रतिवर्ष ऐसा प्रवास करते हैं।

प्रवासी लोगों के मूलस्थान तथा निर्दिष्ट स्थान के आधार पर प्रवास को चार भागों में बाँटा जा सकता है-

(क) ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में

(ख) ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में

(ग) नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में

(घ) नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में

- लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहा जाता है।
- प्रवास स्थाई, अस्थाई और दैनिक हो सकता है।
- मौसम की अनुकूलता के अनुसार लोगों का अस्थाई रूप से दो निर्दिष्ट स्थानों के बीच अपने सामान एवं पशुओं के साथ एक निश्चित मार्ग से होकर आवागमन करना ऋतु प्रवास कहलाता है।

26.9 भारत में प्रवास की प्रवृत्तियाँ

हमारे देश के एक अरब 2 करोड़ लोगों में से करीब 30 प्रतिशत यानी 30 करोड़ 70 लाख लोगों के नाम प्रवासी (जन्मस्थान के आधार पर) के रूप में दर्ज हैं। जनगणना के समय लोगों की गिनती उनके जन्मस्थान के अतिरिक्त अन्य जगहों पर होती है तो उन्हें प्रवासी की श्रेणी में रखा जाता है। सन 2001 की जनगणना में 30 प्रतिशत का आंकड़ा (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर), 1991 की जनगणना के 27.4 प्रतिशत से अधिक है। वास्तव में पिछले कई दशकों से इन प्रवासी लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

यदि 1961 तथा 2001 की जनगणना की तुलना करें तो प्रवासी लोग 1961 में 14 करोड़ 40 लाख थे जबकि 2001 में इनकी संख्या 30 करोड़ 70 लाख हो गई है। पिछले दशक में अर्थात 1991-2001 के बीच इन प्रवासी लोगों की संख्या में (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) वृद्धि 32.9 प्रतिशत हुई है। इन प्रवासियों की जनसंख्या, उनके लिंगभेद, प्रवास का स्रोत एवं गंतव्य स्थान की जानकारी सारिणी 26.3 में दी गई है।

यदि हम इन प्रवासियों के आगमन के प्रतिरूप पर ध्यान दें तो यह पाया गया कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक अप्रवासियों की संख्या (79 लाख), इसके बाद दिल्ली (56 लाख) फिर पश्चिम बंगाल (55 लाख), है। दूसरी तरफ उत्प्रवासी लोगों के आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान का स्थान है। परन्तु यदि अप्रवासी एवं उत्प्रवासी लोगों की संख्या के अन्तर को देखें तो महाराष्ट्र सर्वोपरि (23 लाख), दिल्ली (17 लाख), गुजरात (6.8 लाख) तथा हरियाणा (6.7 लाख) में प्रवासी हैं। आइये, अब इन प्रवासियों की रूपरेखा को कुछ विस्तार से जानें। प्रवासियों की गणना उनकी उम्र तथा उस स्थान पर रहने की अवधि से की जाती है। जनगणना में पहले वाले को जन्म स्थान के आधार पर तथा दूसरे वाले को पिछले निवास के स्थान के आधार पर प्रवासी करार दिया जाता है। अतः पहला उत्प्रवासी तथा दूसरा अप्रवासी होता है।

(क) आयु-वर्ग के अनुसार प्रवासी - आयु-वर्ग के प्रवासी को समझाने के लिये अन्तरराज्यीय प्रवास तथा अन्तःराज्यीय प्रवास का उदाहरण लेते है। कुल 25 करोड़ 80 लाख अन्तःराज्यीय प्रवासियों में से 17.4 प्रतिशत, 15-24 वर्ष आयु वर्ग के हैं, 23.2 प्रतिशत लोगों का आयु वर्ग 25-34 वर्ष का है तथा 35.6 प्रतिशत प्रवासी लोग 35-59 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इसी प्रकार अन्तरराज्यीय प्रवासियों में से 4 करोड़ 20 लाख (18.5 प्रतिशत) लोग 15-24 वर्ष के आयु वर्ग के, 24.7 प्रतिशत लोग 25-34 वर्ष की आयु वर्ग तथा 36.1 प्रतिशत लोग 35-59 वर्ष के आयु वर्ग वाले हैं। दोनों वर्गों के प्रवासी यानी अन्तरराज्यीय एवं अन्तःराज्यीय प्रवासी में 36 प्रतिशत आर्थिक कार्य में लिप्त तथा अधिक आयु वर्ग के हैं। इन दोनों श्रेणियों के प्रवासियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा अगले अनुच्छेदों में की जायेगी।

(ख) पिछले निवास स्थान के आधार पर प्रवासी - इस प्रकार के आंकड़े का संकलन क्षेत्र में प्रवासियों की जनसंख्या को समझने के लिये किया जाता है। यह संभव है कि कोई व्यक्ति जन्म स्थान से निकल अन्यत्र प्रवास कर सकता है और बाद में उसके प्रवास के स्थान बदल सकते हैं। जन्मस्थान के आधार पर प्रवास की प्रक्रिया का अध्ययन एक कालीय घटना के अध्ययन समान है। परन्तु प्रवास के पूर्व निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करने से पिछले कई वर्षों के अन्तराल में किये गए प्रवासों की भी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार पिछले निवास स्थान के अनुसार भारत में प्रवासियों की संख्या 31 करोड़ 40 लाख है। यदि इनके प्रवास के दौरान बिताए वर्षों पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट है कि इन 31 करोड़ 40 लाख लोगों में से एक वृहद समुदाय (10 करोड़ 10 लाख) 20 वर्ष पहले से ही प्रवास कर रहे हैं।

“पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः लोग ग्रीष्मकाल में अपने पशुओं के साथ घाटी इलाके से चलकर ऊँची पहाड़ियों पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही शीत ऋतु का आगमन होता है, ये लोग अपने मवेशियों के साथ उतरकर पुनः अपने घाटी के इलाके में लौट आते हैं। इन लोगों का मूल स्थायी आवास घाटी में होता है तथा पर्वतीय ढलानों पर पशुओं को चराने के लिये चले जाते हैं। जब सर्दी में उच्च पर्वतीय ढाल ठंडे होने लगते हैं।

रक्षा बंधन का इतिहास, महत्व और उद्देश्य

भारत अतुल्य है। यह त्योहारों, उत्सवों की धरती है। मनुष्य के आपसी संबंधों और जुड़ाव को भी त्योहार के जरिए प्रकट किया जाता है। रक्षा बंधन भी एक ऐसा ही त्योहार है, जो भाई और बहन के बीच बिना शर्त के प्रेम को प्रकट करता है। इसे राखी पूर्णिमा के तौर पर भी जाना जाता है। यह त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर के सावन माह में पूर्ण चंद्र के दिन होता है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। राखी एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार है। इसे पूरे देश में मनाया जाता है। राज्य, जाति और धर्म कोई भी हो, हर व्यक्ति इसे मनाता है। राखी मॉरीशस और नेपाल में भी मनाई जाती है। रक्षा बंधन का शाब्दिक अर्थ हुआ रक्षा का बंधन। भाई और बहन इस दिन एकझदूसरे के प्रति अपने नैसर्गिक प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। भाई अपनी बहन को हर मुश्किल परिस्थिति में रक्षा करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाने का वचन देता है। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं।

रक्षा बंधन का इतिहास

महान ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के मुताबिक एक बार भगवान कृष्ण, पांडवों के साथ पतंग उड़ा रहे थे। उस समय धागे की वजह से उनकी अंगुली कट गई। तब द्रोपदी ने बहते खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांधा था। भगवान कृष्ण द्रोपदी के इस प्रेम से भावुक हो गए और उन्होंने आजीवन सुरक्षा का वचन दिया। यह माना जाता है कि चीर हरण के वक्त जब कौरव राजसभा में द्रोपदी की साड़ी उतार रहे थे, तब कृष्ण ने उस छोटे से कपड़े को इतना बड़ा बना दिया था कि कौरव उसे खोल नहीं पाए।

भाई और बहन के प्रतीक रक्षा बंधन से जुड़ी एक अन्य रोचक कहानी है, मौत के

“ यह त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर के सावन माह में पूर्ण चंद्र के दिन होता है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। राखी एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार है। इसे पूरे देश में मनाया जाता है। राज्य, जाति और धर्म कोई भी हो, हर व्यक्ति इसे मनाता है। राखी मॉरीशस और नेपाल में भी मनाई जाती है। रक्षा बंधन का शाब्दिक अर्थ हुआ रक्षा का बंधन। भाई और बहन इस दिन एक-दूसरे के प्रति अपने नैसर्गिक प्रेम को प्रदर्शित करते हैं।

देवता भगवान यम और यमुना नदी की। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर धागा बांधा था। वह बहन के तौर पर भाई के प्रति अपने प्रेम का इजहार करना चाहती थी। भगवान यम इस बात से इतने प्रभावित हुए कि यमुना की सुरक्षा का वचन देने के साथ ही उन्होंने अमरता का वरदान भी दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा, उसे वह लंबी आयु का वरदान देंगे। यह भी माना जाता है कि भगवान गणेश के बेटे शुभ और लाभ एक बहन चाहते थे। तब भगवान गणेश ने यज्ञ वेदी से संतोषी मां का आह्वान किया। रक्षा बंधन को शुभ, लाभ और संतोषी मां के दिव्य रिश्ते की याद में भी मनाया जाता है।

राखी के सांकेतिक रंग

राखी से पीले, नारंगी और लाल रंग का जुड़ाव ज्यादा है। यह रंग है भी प्रेम और वफादारी के प्रतीक। रबींद्र नाथ ठाकुर ने इन रंगों में सफेद भी जोड़ा था। सफेद रंग भाईझबहनों के आपसी रिश्ते को और मजबूत बताते हुए खून के रिश्ते को दोस्ती में बदलता है।

राखी को बड़े उत्साह के साथ इस तरह मनाया जाता है:

बहनें अपने भाइयों के लिए पसंदीदा राखियां खरीदने के लिए काफी पहले से तैयारी करती हैं। कई बहनें अपने से दूर रह रहे भाइयों को पोस्ट के जरिए राखी भेजती हैं। भाई भी बहनों के लिए उपहार तलाशना शुरू कर देते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कितने पैसे हैं और उनका बजट क्या है। इंटरनेट के इस जमाने में, ऑनलाइन स्टोर से सीधे राखी और उपहार भेजने का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। कुछ तो वास्तविक राखियों के स्थान पर वर्चुअल राखियां देने की भी सोचते हैं। राखी के दिन हर घर में उत्साह का माहौल रहता है। पूरा परिवार एकजुट होता है। परिवार के सदस्य नए कपड़े पहनते हैं। महिलाएं और लड़कियां अपनी हथेलियों पर मेहंदी लगवाती हैं। मिठाइयां बनती हैं और हर घर में एक कार्निवालझसी तैयारी होती है।

घर के देवीझदेवताओं की पूजा करने के बाद बहनें अपने भाई की आरती उतारती हैं। तिलक और चावल माथे पर लगाती हैं। बदले में भाई जिंदगीभर सुरक्षा का वचन देने के साथ ही उपहार भी बहनों को देते हैं। आजादी के बाद रवींद्र नाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में राखी महोत्सव का आयोजन किया। वे पूरे विश्व में बंधुत्व और सहझअस्तित्व की भावना जगाना चाहते थे। यहां राखी मानवीय संबंधों में सद्भाव का प्रतीक है। सशस्त्र सेनाओं को भी इस दिन नहीं भूलाया जा सकता। वर्दी वाले यह जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि हम यहां आराम से सुरक्षित रह सके। इस दिन सीमाई इलाकों के पास रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर सशस्त्र सेनाओं से मिलने जाते हैं। सिपाहियों की कलाइयों पर राखी बांधते हैं।

राखी की आधुनिक अवधारणा

रक्षा बंधन अब खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है, जो भाई और बहन के बीच ही रहे। आज, बहनें भी एकझदूसरे को राखी बांधकर एकझदूसरे को जीवनभर प्रेम और रक्षा करने का वचन देती हैं। दोस्त भी इस त्योहार को मनाने लगे हैं। आपसी रिश्ते को मजबूती देने और एकझदूसरे के प्रति अपने अहसास बताने के लिए। आज रक्षा बंधन एक व्यापक नजरिये को प्रस्तुत करता है। जीवनभर नैतिक, सांस्कृतिक और अध्यात्मिक मूल्य भी इसमें शामिल हैं। कोई भी रिश्ता किसी खास दिन या उत्सव का मोहताज नहीं होता। लेकिन त्योहार और खास दिन ही हमारी रोजमर्रा की बोरियत भरी जिंदगी से दूर करते हुए हमें आपसी रिश्तों और प्रेम के प्रतीक इन त्योहारों को मनाने को प्रेरित करते हैं। हम यहां हर एक को विश्व बंधुत्व और प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। हैप्पी रक्षा बंधन!!!

“बहनें अपने भाइयों के लिए पसंदीदा राखियां खरीदने के लिए काफी पहले से तैयारी करती हैं। कई बहनें अपने से दूर रह रहे भाइयों को पोस्ट के जरिए राखी भेजती हैं। भाई भी बहनों के लिए उपहार तलाशना शुरू कर देते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कितने पैसे हैं और उनका बजट क्या है। इंटरनेट के इस जमाने में, ऑनलाइन स्टोर से सीधे राखी और उपहार भेजने का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है।

स्किन टाइप के अनुसार चुनें सीरम

फेस सीरम्स का लिक्विड जैसा टेक्स्चर उन्हें लगाने में आसान और त्वचा द्वारा अवशोषित करने में सहज बनाता है. इसका नियमित इस्तेमाल त्वचा में कुछ ही दिनों में बदलाव दिखाता है. आप इसका इस्तेमाल मॉइस्चराइजर के पहले कर सकती हैं. आमतौर पर सीरम्स एसेंशियल ऑयल्स से बनते हैं, जो त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करते हैं. नियमित रूप से सीरम्स का इस्तेमाल कर आप बेदाग और निखरी हुई त्वचा पा सकती हैं.

फायदे:

* सीरम्स त्वचा को हाइड्रेट कर चिकना बनाते हैं.
* ये क्रीम की तरह चिपचिपे नहीं होते और हमारे रोमछिद्रों को पूरी तरह से ढंकने की बजाय उन्हें सांस लेने का मौका देते हैं.
* फाउंडेशन लगाने के लिए यह चिकना बेस तैयार करते हैं.
* सीरम्स त्वचा में आसानी से प्रवेश कर त्वचा पर क्रीम्स से बेहतर नतीजे देते हैं.

लेकिन बाजार में मौजूद सीरम्स के ढेरों विकल्प इनके चुनाव को मुश्कि ल बनाते हैं. इसलिए हम यहां आपको आपकी स्किन टाइप के अनुसार सही सीरम चुनने का तरीका बता रहे हैं. सीरम चुनते समय कुछ बातों का खास ख़्याल रखें. पहले तो त्वचा की समस्या को जानें और फिर अपने स्किन टाइप के मुताबिक सीरम्स का चुनाव करें.

ऑयली स्किन

यदि आपकी त्वचा ऑयली, संवेदनशील है, तो सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल वाला फेस सीरम चुनें. रोजहिप सीड ऑयल युक्त सीरम भी आपकी त्वचा पर जादुई असर डालेंगे.

ड्राई स्किन

उम्रदराज या ड्राई स्किन के लिए हाइल्यूरॉनिक एसिड और विटामिन-सी युक्त सीरम बिल्कुल उपयुक्त रहेगा. विटामिन-सी की अधिक मात्रा वाले सीरम प्रदूषण से लड़ने में त्वचा की मदद करते हैं. विटामिन सी अशुद्धियों को मात देकर त्वचा की रौनक को बरकरार रखने में मदद करता है.

नॉर्मल स्किन

नॉर्मल स्किन टाइप के लिए ग्लाइकॉलिक एसिड वाला सीरम बेहतर नतीजे देता है. यह त्वचा को तरोताजा और जवां बनाए रखती है. ग्लाइकॉलिक सीरम त्वचा को एक्सफॉलिएट कर, त्वचा की दमक को बढ़ाता है.

यह तो बात थी डे सीरम की, नाइट सीरम में अल्फा-हाइड्रॉक्सी एसिड्स और रेटिनॉइड्स होते हैं, जो त्वचा को सूरज की किरणों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं. इसलिए इनका इस्तेमाल केवल रात में ही करना चाहिए. रेटिनॉल सीरम ऐंटी एजिंग फायदे पहुंचाता है. इसके अलावा एएचए और बीएचए एसिड्स युक्त सीरम त्वचा को एक्सफॉलिएट कर मृत कोशिकाओं से छुटकारा दिलाते हैं और आपकी त्वचा की कोमलता लौटाते हैं.

नुकसान

वैसे तो सीरम से त्वचा को कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन गलत तरह की स्किन टाइप पर गलत सीरम लगाने से त्वचा को कोई खास फायदा भी नहीं होता है. इसलिए सीरम चुनते वक़्त अपनी स्किन टाइप की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है. इसके अलावा सीरम को इस्तेमाल करने के तरीके और मात्रा पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है. ड्राइ स्किन वालों को ज्यादा मात्रा में सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं ऑयली स्किन को कम से कम सीरम की जरूरत होती है.

> परिवार में पिता और पुत्र रिलेशन मॉडल ही मुख्यतः काम करता है। पुत्र अपने पिता से साफ, सरल और स्पष्ट भाषा में अपनी बात कहने से न हिचकें, बात में हमेशा लचीलापन रखें। पिता की धारणाएँ पुत्र के लिए सिद्धांत हो सकता है, लेकिन उनकी बातों से अलग राय रखने में विनम्रता और अनुभवों का लाभ उठाने में भी नही हिचकना चाहिए। परिवार में पारिवारिक समस्याओं में भावनात्मक हेराफेरी सीखने से सभी को बचना चाहिए।

बेरोजगारी के लिए हो ठोस उपाय

हमारा राष्ट्र आज दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। पिछले कुछ वर्षों में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, खेल, प्रौद्योगिकी व रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और यह उम्मीद भी है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम विश्व की पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। मगर, स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता के पथ पर सतत गतिमान भारत की इस राह का सबसे बड़ा रोड़ा है जनसंख्या विस्फोट। सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही आबादी विकास योजनाओं पर भारी पड़ती जा रही है। आप चाहे कहीं भी हों; सड़क, बाजार, रेलवे स्टेशन, सामाजिक या सार्वजनिक समारोह, सभी जगह सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आती है। दुनिया की वर्तमान जनसंख्या 762 करोड़ है, जिसमें से 135 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। यानी दुनिया की कुल आबादी में 17.9 प्रतिशत भारतीय हैं। चीन के बाद हमारा देश दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला वाला देश है। आजादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी जो आज चार गुना तक बढ़ गयी है। इनमें आधे बिलियन से अधिक भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारी आबादी में हर दिन पचास हजार की वृद्धि हो रही है। अगर हमने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक नहीं लगाई तो 2027 तक चीन को पछाड़ कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। गौरतलब हो कि 11 जुलाई 1987 को जब विश्व की जनसंख्या ने पांच अरब का आंकड़ा छुआ तो देश-दुनिया के प्रबुद्धजनों का ध्यान इस ओर गया कि धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर मानव आबादी को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। तब इस विशेष दिन को यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम द्वारा ह्यविश्व जनसंख्या दिवसह्व घोषित कर प्रति वर्ष इसे मनाने की परम्परा डाली गयी ताकि जनसंख्या को काबू रखने के लिये लोगों को शिक्षित एवं जागरूक किया जा सके। सनद रहे कि आजादी के बाद 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। बावजूद इसके आज हमारे देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, वह वाकई चिंताजनक है। यूं तो अलग-अलग देशों में देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के अलग-अलग कारण होते हैं मगर भारत के संदर्भ में कारणों की पड़ताल करें तो पाएंगे कि वर्तमान में इसका सबसे बड़ा कारण देश की कुल जनसंख्या में 60 प्रतिशत से ज्यादा युवाओं का होना है। जाहिर है, जिस देश में साठ प्रतिशत से ज्यादा प्रजनन आयु समूह के युवा होंगे, वहां आप फर्टिलिटी को कम करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, समुचित जीवन दृष्टि के अभाव में जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी। इसके अतिरिक्त जन्मदर में वृद्धि, मृत्युदर में कमी, निर्धनता, धार्मिक एवं सामाजिक अन्धविश्वास, शिक्षा का अभाव इत्यादि कारणों से भी आबादी पर नियंत्रण टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसके अलावा जल्दी शादी होने से गर्भधारण करने की अवधि भी बढ़ जाती है। आबादी के तेजी से बढ़ने का एक अन्य कारण गरीबी और निरक्षरता भी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि भारत अब भी गर्भ निरोधकों और जन्म नियंत्रण विधियों के इस्तेमाल में पीछे है। मुस्लिम वर्ग में बहु-विवाह की प्रथा तथा कई बच्चों को अल्लाह की देन मानने की सोच ने भी इस समस्या को जटिल बनाता है। अवैध प्रवास भी आबादी बढ़ने का एक अन्य कारण है। हम इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि बांग्लादेश, नेपाल से अवैध प्रवासियों की लगातार वृद्धि से भी देश के जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी हुई है। देश में जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता के नाम पर साल दर साल विभिन्न कार्यक्रम चलाने की कवायद की गयी। बढ़ती आबादी का सबसे बुरा असर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। इस तरह बढ़ती हुई आबादी ने हमारे प्राकृतिक ताने-बाने को क्रूरता से क्षतिग्रस्त कर डाला है। रोजगार की तलाश में शहरों को पलायन की प्रवृति जनसंख्या असंतुलन का बड़ा कारक है। नगरों में यदि एक ओर बढ़ती नागरिक सुविधाएं हैं तो दूसरी ओर तेजी से पैर पसारते स्लम। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में 40 फीसदी आबादी स्लम के प्रदूषित गटर और नाले किनारों के नारकीय माहौल में रहती है। भारी आबादी को राहत पहुंचाने का सरकारी प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा नजर आता है। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की विकराल समस्या हमारे सामने है। यदि जनसंख्या विस्फोट यूं ही होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों के समक्ष रोटी, कपड़ा और मकान की विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

> “ आजादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी जो आज चार गुना तक बढ़ गयी है। इनमें आधे बिलियन से अधिक भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारी आबादी में हर दिन पचास हजार की वृद्धि हो रही है। अगर हमने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक नहीं लगाई तो 2027 तक चीन को पछाड़ कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा।

घर सजाने में की जानेवाली 5 आम डेकोरेटिंग गलतियां

हममें से हर कोई चाहता है कि जो भी उसके घर आए, उसकी साज-सज्जा की तारीफ करे. पूरे जतन से घर को सजाने के बावजूद हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी ओर लोगों का ध्यान बरबस चला जाता है. आइए जानें, लोग घर की साज-सज्जा में कौन-सी आम गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है?

जरूरत से ज्यादा फोटोज का इस्तेमाल

बेशक आप के पास कई ऐसी यादागार तस्वीरें होंगी, जो आपके दिल के करीब होंगी. उन्हें देखकर आपको अच्छा लगता होगा. आप चाहती होंगी कि घर आनेवाले मेहमान भी उन तस्वीरों को देखें. लेकिन यदि आप घर के हर कोने को उन यादगार तस्वीरों से पाट देंगी तो आपका घर बिखरा-बिखरा लगने लगेगा.
यह करें: आप अपनी पसंदीदा फोटोग्राफ़्स का कोलाज केवल एक दीवार पर बनवाएं. यह ध्यान रखें कि फोटोफ्रेम्स सिम्पल और मैचिंग हों.

मैचिंग रंगों का इस्तेमाल

यदि आप घर को कलर करवा रही हैं तो एक बाद दिमाग में बैठा लें कि घर की सारी दीवारों पर मैचिंग कलर करवाने का ट्रेंड बीते जमाने की बात है.
यह करें: अलग-अलग हल्के रंगों के साथ प्रयोग करें. यदि आपको डार्क रंगों से विशेष प्यार हो तो किसी एक दीवार पर इसका इस्तेमाल करें. रंगों को और मोहक बनाने के लिए फर्नीचर और पर्दे के फैब्रिक कलर्स के साथ प्रयोग करें.

जरूरत से अधिक ट्रेंड्स का अनुसरण

कई लोग घर की सजावट के लिए नए ट्रेंड्स का आंख मूंदकर अनुसरण करते हैं. यदि आपकी भी यही आदत है तो आप परेशान में पड़ सकती हैं. होम डेकोर कैटलॉग्स की तरह घर सजाने से आपका अपना अलहदा अंदाज आपके घर की सजावट से गायब हो जाएगा. यह करें: अपने घर को अपने व्यक्तित्व का आईना बनाएं. उसकी सजावट में अपने मौलिक और अनूठे आइडियाज का इस्तेमाल करें. कौन जाने, कल आप ही ट्रेंड सेटर बन जाएं.

ऐंटीक चीजों का प्रदर्शन करने की आदत

घर की सज्जा में दशकों पुराने फर्नीचर्स और सजावटी वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है आपको खूब भाता हो, पर घर आनेवाले मेहमानों को भी रुचे जरूरी नहीं है. आपके ज़िंदगीभर के कलेक्शन के प्रदर्शन से आपका घर अस्त-व्यस्त लग सकता है. यह करें: यदि आपके पास ऐंटीक चीजों का बहुत बड़ा खजाना है तो उनका प्रदर्शन स्मार्ट तरीके से करें. लिविंग रूम को म्यूज़ियम बनाने के बजाय, घर की सजावट की थीम से मेल खाते पीसेस का ही प्रदर्शन करें. कुछ चीजों को रीडिजाइन करके भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है.

नकली फूलों का इस्तेमाल

घर को सजाने के लिए नकली फूलों के इस्तेमाल से बचना ही ठीक रहता है. नकली फूलों से सजावट हॉलिडे होम्स या बीच हाउसेस में भी अच्छी लगती है. यदि आप अपने घर में इनका इस्तेमाल करेंगी तो ये किसी सस्ते सलून सा एहसास दिलाएंगे. यह करें: यदि आप फूलों से घर सजाना चाहती हैं तो थोड़े पैसे खर्च करें और ताजे फूलों का इस्तेमाल करें.

> कई लोग घर की सजावट के लिए नए ट्रेंड्स का आंख मूंदकर अनुसरण करते हैं. यदि आपकी भी यही आदत है तो आप परेशान में पड़ सकती हैं. होम डेकोर कैटलॉग्स की तरह घर सजाने से आपका अपना अलहदा अंदाज आपके घर की सजावट से गायब हो जाएगा. यह करें: अपने घर को अपने व्यक्तित्व का आईना बनाएं. उसकी सजावट में अपने मौलिक और अनूठे आइडियाज का इस्तेमाल करें.

स्वतंत्रता दिवस का इतिहास

भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को सम्बोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने, दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुईं। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। यह संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000

“15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने, दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ।

मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गये और 72,49,000 हिन्दू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए।

इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक, सामान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर इस उत्सव को मनाते हैं और परिवार व दोस्तों के साथ देशभक्ति फिल्में देखते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं।

इतिहास

यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरम्भ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 18वीं सदी के अन्त तक स्थानीय राज्यों को अपने वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य ब्रितानी ताज (ब्रिटिश क्राउन) अर्थात ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे-धीरे अपना विकास किया और इसके परिणामस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई० एन० सी०) निर्माण हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद का समय ब्रितानी सुधारों के काल के रूप में जाना जाता है जिसमें मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार गिना जाता है लेकिन इसे भी रोलेट एक्ट की तरह दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है जिसके कारण स्वरुप भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आवाहन किया गया। इसके परिणामस्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों तथा राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलनों की शुरूआत हो गयी।

1930 के दशक के दौरान ब्रितानी कानूनों में धीरे-धीरे सुधार जारी रहे; परिणामी चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 195-197 अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहाः द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग का अन्तिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय। 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक तनाव बढ़ता गया। इस उपमहाद्वीप के आनन्दोत्सव का अंत भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हुआ।

स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस

1929 लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषणा की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से सविनय अवज्ञा करने के लिए स्वयं प्रतिज्ञा करने व पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक समय-समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निदेर्शों का पालन करने के लिए कहा।

यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरम्भ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 18वीं सदी के अन्त तक स्थानीय राज्यों को अपने वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य ब्रितानी ताज (ब्रिटिश क्राउन) अर्थात ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे-धीरे अपना विकास किया और इसके परिणामस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई० एन० सी०) निर्माण हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद का समय ब्रितानी सुधारों के काल के रूप में जाना जाता है जिसमें मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार गिना जाता है लेकिन इसे भी रोलेट एक्ट की तरह दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है जिसके कारण स्वरुप भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आवाहन किया गया।

इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईधन झोंकने के लिये किया गया व स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना, शांतिपूर्ण व गंभीर होती थीं।[10] गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा, इस दिन को, कुछ रचनात्मक काम करने में खर्च किया जाये जैसे कताई कातना या हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन या निषेध काम, या अछूतों की सेवा। 1947 में वास्तविक आजादी के बाद ,भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया; तब के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

तात्कालिक पृष्ठभूमि

सन् 1946 में, ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष, हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म-प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में, द्वितीय विश्व युद्ध, में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को दो राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया[12] व ये भी घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा।

यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (10 और 11 जियो 6 सी. 30) के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी (अब बांग्लादेश सहित) ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबलियों को पूरा संवैधानिक अधिकार दे

1930 के दशक के दौरान ब्रितानी कानूनों में धीरे-धीरे सुधार जारी रहे; परिणामी चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 195-197 अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहाः द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग का अन्तिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय।

दिया।[17] 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गयी।

स्वतंत्रता व बंटवारा

लाखों मुस्लिम, सिख और हिन्दू शरणार्थियों ने स्वतंत्रता के बाद तैयार नयी सीमाओं को पैदल पार कर सफर तय किया।[18] पंजाब जहाँ सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को दो हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ, बंगाल व बिहार में भी हिंसा भड़क गयी पर महात्मा गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिक हिंसा को कम किया। नई सीमाओं के दोनों ओर 2 लाख 50 हजार से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं, गांधी जी नरसंहार को रोकने की कोशिश में कलकत्ता में रुक गए, पर 14 अगस्त 1947, को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ और पाकिस्तान नामक नया देश अस्तित्व में आया; मुहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली।

भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने पांचवें सत्र की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहर लाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया

सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली। महिलाओं के एक समूह ने भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया व औपचारिक रूप से विधानसभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया।आधिकारिक समारोह नई दिल्ली में हुए जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया, और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला। महात्मा गांधी के नाम के साथ लोगों ने इस अवसर को मनाया। गांधी ने हालांकि खुद आधिकारिक घटनाओं में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसके बजाय, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में एक भीड़ से बात की, उस दौरान ये 24 घंटे उपवास पर रहे।

15 अगस्त 1947 को सुबह 11:00 बजे संघटक सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्यरात्रि की घड़ी आई भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।

जवाहरलाल नेहरू ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण देते हुए

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस दिन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी (नियति से वादा) नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया।

कई सालों पहले, हमने नियति से एक वादा किया था, और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभायें, पूरी तरह न सही पर बहुत हद तक तो निभायें। आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है, मगर इतिहास में विरले ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लम्बे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं।... आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः स्वयं को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वो केवल एक कदम है, नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों-करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता, और अवसर की असमानता मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हर आँख से आंसू मिटे। संभवतः ये हमारे लिए संभव न हो पर जब तक लोगों कि आंखों में आंसू हैं, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद, भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम आम आदमी, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सकें, हम निर्धनता मिटा, एक समृद्ध, लोकतान्त्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें। हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक स्त्री-पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके? कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण हैं।

ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण के अंश, जवाहरलाल नेहरू

इस भाषण को 20वीं सदी के महानतम भाषणों में से एक माना जाता है।

समारोह

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए

पूरे भारत में अनूठे समर्पण और अपार देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

प्रवासी भारतीयों विशेषकर भारतीय आप्रवासियों की उच्च सघनता के क्षेत्रों में परेड और प्रतियोगिताओं के साथ दुनिया भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। न्यूयॉर्क और अन्य अमेरिकी शहरों में कुछ स्थानों में, 15 अगस्त प्रवासी और स्थानीय आबादी के बीच में भारत दिवस बन गया है। यहां लोग 15 अगस्त के आसपास या सप्ताह के अंतिम दिन पर भारत दिवस मनाते हैं व प्रतियोगिताएँ रखते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर

देश के प्रथम नागरिक और देश के राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर "राष्ट्र के नाम संबोधन" देते हैं। इसके बाद अगले दिन दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। जिसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। आयोजन के बाद स्कूली छात्र तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्य राष्ट्र गान गाते हैं। लाल किले में आयोजित देशभक्ति से ओतप्रोत इस रंगारंग कार्यक्रम को देश के सार्वजनिक प्रसारण सेवा दूरदर्शन (चैनल), द्वारा देशभर में सजीव (लाइव) प्रसारित किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी तथा सभी शासकीय भवनों को रंग बिरंगी विद्युत सज्जा से सजाया जाता है, जो शाम का सबसे आकर्षक आयोजन होता है।

राज्य/स्थानीय स्तर पर

देश के सभी राज्यों की राजधानी में इस अवसर पर विशेष झंडावंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तथा राज्य के सुरक्षाबल राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं। प्रत्येक राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, नगरीय निकायों, पंचायतों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शासकीय भवनों को आकर्षक पुष्पों से तिरंगे की तरह सजाया जाता है। छोटे पैमाने पर शैक्षिक संस्थानों में, आवासीय संघों में, सांस्कृतिक केन्द्रों तथा राजनैतिक सभाओं का आयोजन किया जाता है।

एक अन्य अत्यंत लोकप्रिय गतिविधि जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है और यह है पतंगें उड़ाना (अधिकतर दिल्ली व गुजरात में)। आसमान में हजारों

कई सालों पहले, हमने नियति से एक वादा किया था, और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभायें, पूरी तरह न सही पर बहुत हद तक तो निभायें। आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है, मगर इतिहास में विरले ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है।

रंग बिरंगी पतंगें देखी जा सकती हैं, ये चमकदार पतंगें हर भारतीय के घर की छतों और मैदानों में देखी जा सकती हैं और ये पतंगें इस अवसर के आयोजन का अपना विशेष तरीका है।

सुरक्षा खतरे

आजादी के तीन साल बाद, नागा नेशनल काउंसिल ने उत्तर पूर्व भारत में स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का आह्वान किया। इस क्षेत्र में अलगाववादी विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में तेज हो गए और उल्फा व बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड की ओर से आतंकवादी हमलों व बहिष्कारों की खबरें आती रहीं। 1980 के दशक से जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद में वृद्धि के साथ, अलगाववादी प्रदर्शनकारियों ने बंद करके, काले झंडे दिखाकर और ध्वज जलाकर वहां स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया। इसी के साथ लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा धमकियाँ भी जारी की गयीं और स्वतंत्रता दिवस के आसपास हमले किए गए हैं। उत्सव के बहिष्कार की विद्रोही माओवादी संगठनों द्वारा वकालत की गई। विशेष रूप से आतंकवादियों की ओर से आतंकवादी हमलों की आशंका में सुरक्षा उपायों को, विशेषकर दिल्ली, मुंबई व जम्मू-कश्मीर के संकटग्रस्त राज्यों के प्रमुख शहरों में, कड़ा कर दिया जाता है। हवाई हमलों से बचने के लिए लाल किले के आसपास के इलाके को नो फ्लाई जोन (उड़न निषेध क्षेत्र) घोषित किया जाता है और अतिरिक्त पुलिस बलों को अन्य शहरों में भी तैनात किया जाता है।

लोकप्रिय संस्कृति में

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हिंदी देशभक्ति के गीत और क्षेत्रीय भाषाओं में टेलीविजन और रेडियो चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। इनको झंडा फहराने के समारोह के साथ भी बजाया जाता है।[38] देशभक्ति की फिल्मों का प्रसारण भी होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ऐसी फिल्मों के प्रसारण की संख्या में कमी आई है। नयी पीढ़ी के लिए तीन रंगो में रंगे डिजाइनर कपड़े भी इस दौरान दिखाई दे जाते हैं।

खुदरा स्टोर स्वतंत्रता दिवस पर बिक्री के लिए छूट प्रदान करते हैं। कुछ समाचार चैनलों ने इस दिवस के व्यवसायीकरण की निंदा की है। भारतीय डाक सेवा 15 अगस्त को स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं, राष्ट्रवादी विषयों और रक्षा से संबंधित विषयों पर डाक टिकट प्रकाशित करता है। इंटरनेट पर, 2003 के बाद गूगल अपने भारतीय होमपेज पर एक विशेष गूगल डूडल के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाता है।

प्रस्तावनाः- आज हम स्वतंत्रता और उसकी शांतिपूर्ण खुली हवा का आनंद ले रहे हैं जिस शांति का अनुभव हम महसूस करते है वो शांती और खुशी की लहर देने का योगदान में ना जाने कितने देशवासियों ने अपनी जान गवा कर दी है ,15 अगस्त का दिन वो दिन होता है जिस दिन हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे हम बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। सर्वप्रथम झंडा वंदनःझ सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु जी ने लाल किले के के केलाहोरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था जिसकी शुरूआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी जिसके चलते प्रत्येक वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं ,200 साल की ब्रिटिश समाज की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को का दिन हमारे देश का सबसे स्वर्णिम दिन कहां जाता है। स्वतन्त्रता दिवस का कार्यक्रमः स्वतंत्रता दिवस का जब कार्यक्रम शुरू होता था तब हमारे स्कूल में परेड होती थी ठीक उसी तरीके से जैसे एनसीसी में होती है। परेड का एक चक्कर पूरा हो जाने के बाद ध्वजारोहण होता था और उसके बाद राष्ट्रगान शुरू हो जाता था। हमारे स्कूल के प्रोग्राम के अंदर छात्राओं द्वारा राजस्थानी नृत्य किया जाता था इसके अलावा देश भक्ति गीत गाए जाते थे। एनसीसी के द्वारा कुछ तरीके बताए जाते हैं जैसे अगर कोई घायल हो जाता है तो उसको किस तरीके से उठाया जाता है। रस्सी किस तरीके से बांधी जाती है कुछ इस तरीके के बताए जाते थे जब सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता था इसके बाद स्वतंत्रता दिवस में भाग ले जाने वाले छात्र-छात्राओं को बुलाकर एक एक करके पुरस्कार दिया जाता था। पुरस्कार में पांच ₹5 का पेन दिया जाता था उस समय हमें उनके द्वारा दिए गए पुरस्कार से इतनी खुशी होती थी जितनी आज भी नहीं होती थी मेरे बचपन का 15 अगस्त मुझे हमेशा याद रहेगा उसके बाद मिठाई महोत्सव होता था और सबको लाइन से एक-एक करके मिठाई बांटी जाती थी, स्वतंत्रता दिवस का इतिहासःझ आज अगर हम स्वतंत्रता दिवस के इतिहास के बारे में सोचें तो आज उन शहीदों की याद में आंखों में आंसू आ जाते हैं जिन्होंने अपनी जान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई और हमें अंग्रेजो की गुलामी से मुक्त करवाया और आजादी को हमें एक उपहार के रूप में देकर शहीद हो गए.अंग्रेजों के अत्याचार और उनसे से तंग आकर भारतीय एकजुट हो गए ,इन अंग्रेजो से छुटकारा पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ,भगत सिंह ,चंद्रशेखर आजाद ,ने क्रांति की मशाल जलाई और कितने ही देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी जिनमे महात्मा गांधी, सरदार भाई पटेल ,ने सत्य और अहिंसा के सहारे सत्याग्रह आंदोलन चलाके ,उनकी लाठियां खाई और जेल गए इन आंदोलनों की वजह से अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए आखिरकार 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है जिससे हम खुली हवा में सांस ले सके और उसके बाद हमे ये स्वर्णिम आजादी मिली. धन्य है वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने शहीद होकर हमें आज स्वतंत्रता का स्वर्णिम दिन दिखया।

स्वतंत्रता दिवस एक महोत्सव का दिन

15 अगस्त 1918 को पूरे भारत में 72 वा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। स्वतंत्रता दिवस पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के 1 दिन पहले राष्ट्रपति जी राष्ट्र के नाम संबोधन में भाषण देते हैं 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं, और तोपों की सलामी दी जाती है स्वतंत्रता दिवस के दिन उन देशभक्तो को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपने प्राणो की आहुति दी श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं उस भाषण में देश की उपलब्धि और सामाजिक मुद्दों और विकास के बारे में बाते होती है उस दिन ध्वजारोहण, राष्ट्रगान ,परेड समारोह, और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ध्वजारोहण भारत के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय महाविद्यालय सभी जगह पर होता है और सभी जगहों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और मिठाइयां बांटी जाती है।

स्वतंत्रता दिवस पर खतरा

स्वतंत्र दिवस मनाने के दौरान खतरों का डर रहता है जो की आतंकवाद का डर है इसलिए उस दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की कड़ी सुरक्षा के साथ ही दिल्ली मुंबई और जम्मू कश्मीर जैसे अन्य बड़े शहरों को हमलो से बचाने के लिए लाल किले पर ह्यनो फ्लाई जॉन ह्य घोषित कर दिया है , सुरक्षा की वजह से पूरे देश में पुलिस बल को तैनात किया जाता है देश भले ही स्वतंत्र हो गया हो पर ब्रिटिश राज्य के धार्मिक आधार के कारण भारत का विभाजन हूआ जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ भारत के विभाजन के बाद देश में हिंसक दंगे भड़के और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होने लगी देश के बंटवारे में आतंकवाद को जन्म दिया जिसका असर आज हमारा देश सह रहा है।

“खुदरा स्टोर स्वतंत्रता दिवस पर बिक्री के लिए छूट प्रदान करते हैं। कुछ समाचार चैनलों ने इस दिवस के व्यवसायीकरण की निंदा की है। भारतीय डाक सेवा 15 अगस्त को स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं, राष्ट्रवादी विषयों और रक्षा से संबंधित विषयों पर डाक टिकट प्रकाशित करता है। इंटरनेट पर, 2003 के बाद गूगल अपने भारतीय होमपेज पर एक विशेष गूगल डूडल के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाता है।

पर्यावरण संरक्षण : संवैधानिक दायित्व

भारत प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव सजग रहा, इसी कारण उसने संवैधानिक स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान दिया। हमारे देश में पर्यावरण के अनुकूल एक समृद्ध संस्कृति भी रही है यही कारण है कि देश में हर स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान दिया गया और हमारे संविधान निमार्ताओं ने इसका ध्यान रखते हुए संविधान में पर्यावरण की जगह सुनिश्चित की। पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता देते हुए इसे सरकार और नागरिकों के संवैधानिक दायित्व से जोड़ा गया।मानवीय जीवन के आरम्भ से ही मनुष्य एवं पर्यावरण में आपसी संबंध बना हुआ है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः उसके अस्तित्व के लिये प्राकृतिक परिवेश अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति ह्यपृथ्वीह्ल को माँ कहा गया है। ह्यमाता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याह्ल1 अर्थात पृथ्वी हमारी माँ है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। चूँकि पृथ्वी माता रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का पालन पोषण करती है। अतः इसका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। भारतीय समाज आदिकाल से पर्यावरण संरक्षक की भूमिका निभाता रहा है। हमने प्रकृति प्रेम को सर्वोपरि रखा इसका कारण यह है कि हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में पेड़-पौधों एवं अन्य जीव-जंतुओं के सामाजिक महत्त्व को बताते हुए उनको पारिस्थितिकी से जोड़ा जाता है। प्राचीन युग में विभिन्न दार्शनिकों, शासकों और राजनेताओं ने प्रकृति के प्रति जागरूकता दिखाई है। प्राचीन युग के विद्वान कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वन संरक्षण का उल्लेख किया है तथा पशुओं के शिकार के संबंध में अनेकों जटिल नियम प्रस्तुत किए हैं। अधुनातन परिभाषा के अनुसार चाणक्य भारत के प्रथम वन एवं वन्य जीव संरक्षक थे।

इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण के लिये वैदिक युग में नदियों के देवत्व वाला स्वरूप उभरकर हमारे समक्ष उपस्थित हुआ था। नदी सूक्त में कहा गया है -

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती।
नर्मदे सिंधु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ।।

हे गंगा, हे यमुना, आदि नदियों तुम मेरे स्रोत सुनो! गंगा के प्रति विशेष आदर अवश्य रहा, किंतु एक समय था, जब स्वयं गंगा नदी शब्द नदी मात्र का द्योतक था झ सभी नदियाँ गंगा थी। नदी मात्र के प्रति जो आत्मीयता थी वह आज भी सुरक्षित है। यही कारण है कि आज वर्तमान सरकार ने गंगा नदी को माँ माना है और उसे प्रदूषण से रहित करने के लिये पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चला रही है। अतः यही कहा जा सकता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिये न केवल वर्तमान में बल्कि प्राचीन समय से जागरूकता विद्यमान थी। इस परिप्रेक्ष्य में हमें पर्यावरण के अर्थ को जानना होगा।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

वर्तमान समय में मनुष्य प्रगति की ओर उन्मुख है। वह प्रतिदिन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में उन्नति कर विकास की ओर बढ़ता जा रहा है वहीं दूसरी ओर विकास की गति हमारे लिये कष्टकारी सिद्ध होती जा रही है और इसी विकास के कारण हमारा पर्यावरण प्रभावित होकर प्रदूषित होता जा रहा है। वनों की कटाई, वनस्पतियों और जीवों के संबंधों में कमी, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि, विज्ञापन तथा तकनीकी का अप्रत्याशित प्रसार और जनसंख्या विस्फोट तथा परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाली रेडियोधर्मी ईंधन की राख, रासायनिक प्रदूषक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जनित प्रदूषक सामग्री के विस्तार से जो पारिस्थितिकी परिवर्तन प्रदूषण के रूप में सामने आ रहे हैं, उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है।

> “ मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः उसके अस्तित्व के लिये प्राकृतिक परिवेश अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति ह्यपृथ्वीह्ल को माँ कहा गया है। ह्यमाता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याह्ल1 अर्थात पृथ्वी हमारी माँ है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। चूँकि पृथ्वी माता रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का पालन पोषण करती है। अतः इसका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।

प्रकृतिदोहन के कारण जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, उसमें प्रकृति कब तक मनुष्य का साथ दे पाएगी यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। विकसित देश जिस आर्थिक विकास का लाभ उठा रहे हैं वह भूतकाल में मानवीय पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखे बिना प्राप्त किया गया था। आज से पचास वर्ष पहले से ही पर्यावरणविद मानव और प्रकृति के बिगड़ते संबंधों के बारे में सचेत किए जा रहे हैं, लेकिन उपभोग के नाम पर औद्योगीकरण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।

किसी भी देश में प्रदूषण की रोकथाम तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये सबसे बेहतर उपाय है कि पर्यावरण संबंधी पारंपरिक कानूनों तथा आधुनिक कानूनों को सम्मिलित कर एक बेहतर कानून का निर्माण करके वहाँ के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय सुरक्षा के बेहतर उपाय किए जाएँ तथा इसके लिये सभी सकारात्मक एवं प्रासंगिक उपायों को अपनाया जाए। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिये वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संस्था द्वारा तथा राष्ट्रीय स्तर पर संविधान द्वारा तथा सरकारी प्रावधानों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रयास किए जाने चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण : मानवीय दृष्टिकोण

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में प्रकृति से अनुराग केवल उपयोगितावादी दृष्टि से नहीं वरन पूजा श्रद्धा और आदर की भावना से किया जाता है। वेदों में भी कहा गया है ह्यरक्षाये प्रकृति पातुं लोकाह्न अर्थात प्राणि मात्र के लिये प्रकृति की रक्षा कीजिए। यही पर्यावरणीय संरक्षण का भाव वर्तमान समय में स्टॉकहोम सम्मेलन में दिखाई देता है। सन 1972 में स्टॉक होम में पर्यावरण पर आयोजित प्रथम अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में एक मत से सभी ने पर्यावरण संरक्षण को मानवता की आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया। सौभाग्य से तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने इसका प्रतिनिधित्व किया और इसे एक व्यावहारिक रूप देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जहाँ एक ओर पर्यावरण के संरक्षण को प्राथमिकिता देना बेहिचक स्वीकार किया, वहीं उन्होंने इस बात को जोरदार ढँग से सामने रखा कि इस मुद्दे का समाधान विकास की समस्या के साथ जोड़कर ढूँढ़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रेखांकित किया कि पर्यावरण का संकट वर्तमान में उत्पन्न हुआ है उसके लिये खुद औपनिवेशिक शक्तियाँ कम जिम्मेदार नहीं हैं। तेल हो या खनिज अपनी जरूरत के लिये इन संसाधनों का दोहन करते वक्त प्रकृति के स्वास्थ्य की कोई चिंता संपन्न पश्चिमी देशों ने कभी नहीं की थी।

इस सम्मेलन में विकसित देशों के सामने यह विकल्प रखा गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिये दोहन का त्याग करना चाहिए तथा न्यायोचित मुआवजा देने के लिये उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए। इस सम्मेलन में जीवन को बचाने के लिये प्रगति की परिभाषा के पुनर्विलोकन तथा जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया तथा राज्यों द्वारा भी पर्यावरण विभाग स्थापित किए गए। वास्तव में यह सम्मेलन मानवता की स्पष्ट घोषणा थी कि पर्यावरण विनाश अन्तरराष्ट्रीय समस्या है। अतः पर्यावरण को बचाने की संपूर्ण मानवता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस सम्मेलन में इस मंतव्य को स्वीकार किया गया कि मानवीय पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे लोगों की खुशहाली और पूरे विश्व का आर्थिक विकास जुड़ा है। सभी सरकारों और संपूर्ण मानव जाति का यह दायित्व है कि वह मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिये मिल-जुल कर काम करें, ताकि संपूर्ण मानव जाति और उसकी भावी पीढ़ियों का हित हो सकें। यह घोषणा कारगार साबित हुई और इसको ध्यान में रखकर अनेक देशों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम-कायदों व कानूनों का निर्धारण किया और इन कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में दंड की व्यवस्था की।

भारतीय संविधान व पर्यावरण संरक्षण

आज के दौर में मानव विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि उसे अपने पर्यावरण की ओर देखने का समय नहीं है। वह यह भूलता जा रहा है कि उसे पृथ्वी पर रहना है। विश्व में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध अपने पर्यावरण के प्रति सजगता, जागरूकता, चेतना और पर्यावरण अनुकूलन को विकसित करने की आवश्यकता है और तभी इस गंभीर समस्या का समाधान किया जा सकता है।भारत प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव सजग रहा, इसी कारण उसने संवैधानिक स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान दिया। हमारे देश में पर्यावरण के अनुकूल एक समृद्ध संस्कृति भी रही है यही कारण है कि देश में हर स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान दिया गया और हमारे संविधान निमार्ताओं ने इसका ध्यान रखते हुए संविधान में पर्यावरण की जगह सुनिश्चित की। पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता देते हुए इसे सरकार और नागरिकों के संवैधानिक दायित्व से जोड़ा गया।

हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिये कुछ प्रावधान किए गए हैं। संविधान देश का सर्वोच्च तथा मौलिक कानून है तो समस्त व्यक्तियों, राज्यों पर बाध्यकारी रूप से लागू होता है। प्रारंभ में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रावधान नहीं था लेकिन अनुच्छेद 47 द्वारा स्वास्थ्य की उन्नति हेतु राज्य का कर्तव्य अधिरोपित कर पर्यावरण सुधार किया गया। संसद द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये अधिनियमों को पारित करके संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक एवं मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत कहा गया है -

1. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा।6
2. संविधान के भाग 4क के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी अन्य जीव भी हैं इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दया भाव रखें।
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए, जो उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुँचाती हो।
4. भारतीय संविधान के अनुच्छेदों 252 व 253 को काफी महत्त्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वे पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिये अधिकृत करते हैं।

भारतीय संविधान में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हेतु अनेक प्रावधान व्यापक रूप से विद्यमान है। किसी भी कानून की वैधता के लिये यह अति आवश्यक हो जाता है कि केवल अधिनियम द्वारा संरक्षण न प्राप्त हो बल्कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अधीन बनाया गया हो।8 भारतीय संविधान में न सिर्फ पर्यावरण को बचाने की अवधारणा निहित है, बल्कि पर्यावरण असंतुलन से होने वाले दुष्प्रभावों से भी रक्षा की तरफ ध्यान दिया है।

पर्यावरण संरक्षण : सरकारी प्रयास

संसद द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण के लिये अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं यथा

- वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम (1972)
- जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम (1974)
- वायुप्रदूषण नियंत्रण अधिनियम (1981)
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986)
- खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं निष्पादन अधिनियम (1989)
- ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण अधिनियम (2000)
- भारतीय दंड संहिता (1860)
- इकोवार्म स्कीम

संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित करके सराहनीय प्रयत्न किए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण अतुलनीय योगदान दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के इन ध्येयों में वनस्पतियों, वन रोपड़, जीव जंतुओं और वन्य जीवों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण, पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं।

" इस सम्मेलन में विकसित देशों के सामने यह विकल्प रखा गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिये दोहन का त्याग करना चाहिए तथा न्यायोचित मुआवजा देने के लिये उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए। इस सम्मेलन में जीवन को बचाने के लिये प्रगति की परिभाषा के पुनर्विलोकन तथा जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया तथा राज्यों द्वारा भी पर्यावरण विभाग स्थापित किए गए। वास्तव में यह सम्मेलन मानवता की स्पष्ट घोषणा थी कि पर्यावरण विनाश अन्तरराष्ट्रीय समस्या है।

भारत का जल संसाधन

क्या आप सोचते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है, ऐसा ही रहेगा या भविष्य कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जनांकिकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिक उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण, और जल अभाव का साक्षी होगा। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई माँग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71 प्रतिशत धरातल पानी से आच्छादित है परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3 प्रतिशत ही है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धिता स्थान और समय के अनुसार भिन्न-भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े, संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। इस आलेख में हम भारत में जल संसाधनों, इसके भौगोलिक वितरण, क्षेत्रीय उपयोग और इसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों पर चर्चा करेंगे।

भारत का जल संसाधन

भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45 प्रतिशत, जल संसाधनों का 4 प्रतिशत, जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4,000 घन कि-मी- है। धरातलीय जल और पुनः पूर्तियोग भौम जल से 1,869 घन कि-मी- जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60 प्रतिशत जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1,122 घन कि-मी- है।

धरातलीय जल संसाधन

धरातलीय जल के चार मुख्य स्रोत हैं — नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों, जिनकी लंबाई 1-6 कि-मी- से अधिक है, को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 घन कि-मी- होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक, जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किमी- ;32रु जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है।

भारत के नदी बेसिन

“जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71 प्रतिशत धरातल पानी से आच्छादित है परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3 प्रतिशत ही है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धिता स्थान और समय के अनुसार भिन्न-भिन्न है।

आप जानते हैं कि भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम संकेद्रित है। भारत में कुछ नदियाँ, जैसेझ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग एक-तिहाई भाग पर पाई जाती हैं जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60 प्रतिशत जल पाया जाता है। दक्षिणी भारतीय नदियों, जैसेझ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है।

भौम जल संसाधन

देश में, कुल पुनः पूर्तियोग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन कि-मी- है। तालिका 6-1 दशार्ती है कि कुल पुनः पूर्तियोग्य भौम जल संसाधन का लगभग 46 प्रतिशत गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। उत्तर-पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। देश में राज्यवार संभावित भौम जल के उपयोग को चित्र में दशार्या गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है। परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्त जारी रहती है तो जल के माँग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल-पुथल और विघटन का कारण हो सकती है।

लैगून और पश्च जल

भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित (ल्र्लींल्लिशींं) है। इसी कारण बहुत-सी लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। यद्यपि, सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है, इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है।

जल की माँग और उपयोग

पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई भाग कृषि पर निर्भर है। इसीलिए, पंचवर्षीय योजनाओं में, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ जैसेझ भाखड़ा नांगल, हीराकुड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई हैं। वास्तव में, भारत की वर्तमान में जल की माँग, सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89 प्रतिशत और भौम जल का 92 प्रतिशत जल उपयोग किया जाता है। जबकि औद्योगिक सेक्टर में, सतह जल का केवल 2 प्रतिशत और भौम जल का 5 प्रतिशत भाग ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी, भविष्य में विकास के साथ-साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है।

सिंचाई के लिए जल की माँग

कृषि में, जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक-सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त हैं। उत्तर-पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असपफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरे, फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सपफल हुई है।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85 प्रतिशत भाग सिंचाई के अंतर्गत है। इन राज्यों में गेहूँ और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। निवल सिंचित क्षेत्र का 76-1 प्रतिशत पंजाब में और 51-3 प्रतिशत हरियाणा में, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं जिससे कि इन राज्यों में भौम जल में कमी आ जाती है । गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, म.प्र., प.बंगाल, उ.प्र. आदि राज्यों में कुओं और नलकूपों से सिंचित क्षेत्र का भाग बहुत अधिक है। इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। वास्तव में, कुछ राज्यों, जैसेझ राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लुओराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संखिया के संकेंद्रण की वृद्धि हो गई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई से मृदा में लवणता बढ़ रही है और भौम जल सिंचाई में कमी आ रही है।

संभावित जल समस्या

जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धिता, जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धिता और सीमित होती जा रही है।

जल के गुणों का ह्रास

जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल बाइँ पदार्थों, जैसेझ सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं, वे जल में घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र (०४३ृ २८२३ी) प्रभावित होते हैं। कभी-कभी प्रदूषक नीचे तक पहुँच जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना, दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं।

जल संरक्षण और प्रबंधन

अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धिता और बढ़ती माँग से, सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर/महासागर से प्राप्त जल उपलब्धिता, उसकी अधिक लागत के कारण, नगण्य हो गई है। भारत को जल-

> पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई भाग कृषि पर निर्भर है। इसीलिए, पंचवर्षीय योजनाओं में, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ जैसेझ भाखड़ा नांगल, हीराकुड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई हैं।

संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने हैं, और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीकी और विधयों के विकास के अतिरिक्त, प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल-संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

जल प्रदूषण का निवारण

उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों के उफपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। मैदानों में, नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकाओं के साथ कृषिगत ;उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू ;ठोस और अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिःस्राव नदी में मिल जाते हैं। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सी-पी-सी-बी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;एस-पी-सी- के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मानीटरन किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आँकड़ा दशार्ता है कि जैव और जीवाणविक संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियाँ अहमदाबाद में साबरमती, लखनउफ में गोमती, मदुरई में काली, अडयार, कूअम ;संपूर्ण विस्तारद्ध, वैगई, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी/विषैली धातुओं, फ़्लूओराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। वैधानिक व्यवस्थाएँ, जैसेझ जल अधनियम 1974 ;प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। परिणाम यह है कि 1997 में प्रदूषण पैफलाने वाले 251 उद्योग, नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है, उसके भी सीमित प्रभाव हुए। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिप्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से, कृषिगत कार्यो तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है।

जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग

पुनः चक्र और पुनः उपयोग, दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धिता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग, जैसे शोधित अपशिष्ट जल, उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प हैं और जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में, पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है। फिर भी, पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्तियोग्य जल की उपादेयता व्यापक है।

जल संभर प्रबंधन

जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य, मुख्य रूप से, धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधयों, जैसेझ अंतः स्रवण तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन

“उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों के उफपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। मैदानों में, नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकाओं के साथ कृषिगत ;उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू ;ठोस और अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिःस्राव नदी में मिल जाते हैं।

और पुनर्भरण शामिल हैं। तथापि, विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनोंझ प्राकृतिक ;जैसेझ भूमि, जल, पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल-संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल- संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। ह्यहरियालीह्ल केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल-संभर विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। नीरू-मीरू ;जल और आप कार्यक्रम ;आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद ;अलवर राजस्थान में के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएँ जैसेझ अंतः स्रवण तालाब ताल जोहड़ की खुदाई की गई है और रोक बाँध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में जल-संभर विकास परियोजनाएँ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सपफल हुई हैं। फिर भी सफलता कुछ की ही कहानियाँ हैं। अधिकांश घटनाओं में, कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पर ही हैं। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धिता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है।

वर्षा जल संग्रहण

वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विध है। इसका उपयोग भूमिगत जलभृतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विध है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूँद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड् ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धिता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फलुओराइड और नाइट्रेट् स जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है और यदि इसे जलभृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है।

वर्षा जल संग्रहण के प्राकृतिक तरीके

देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षाजल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों, जैसेझ झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढाँचे जिन्हें कुंड अथवा टाँका ;एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जानी जाती है जिनका निर्माण घर अथवा गाँव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों को समझने के लिए चित्र देखिए। बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविध का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए, भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त माँग-आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है क्योंकि पुनर्भरण से भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है क्योंकि जल की माँग, अधिकांश नगरों और शहरों में पहले ही आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी हैं। उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुष्क और अधर्शुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय हैं। फिर भी, वैयक्तिक उपभोक्ता, घरेलू और समुदायों के दृष्टिकोण से, सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है।

> “जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल-संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल- संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। ह्यहरियालीह्ल केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल-संभर विकास परियोजना है।

आतंकवादी दीमक

एक सुन्दर और आमरामदायक घर हर इंसान का सपना होता है। दिन रात मेहनत-मशक्कत करके वह इस सपने को साकार करता है। ऐसे में दीमक जैसे विनाशक जीव इस सपने के ऊपर एक ग्रहण बन जाते हैं। दीमक हमारे आवासीय भवनों के लिये एक बहुत बड़ा खतरा है।

मानव जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से आवास का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य जीवन भर मेहनत-मशक्कत करने के उपरान्त एक छोटे से घरौंदे का निर्माण करता है। यह घर उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान होता है। सर्दी-गर्मी, धूप-छाँव, सुख-दुख, हर मौसम, हर स्थिति में यह घर उसको एक छत एक आसरा देता है, उसका सहारा बनता है। नए घर में ऐसी ही नई आशा और विश्वास के साथ वह अपना गृह निवेश करता है। किन्तु यह घर मात्र मनुष्य का ही नहीं अपितु अन्य कई जीव-जन्तुओं का ठिकाना बन जाता है। प्रायः ही घरों में कॉकरोच, मच्छर, छिपकली जैसे न जाने कितने ही जीव अपने ठोर-ठिकाने बना लेते हैं और साथ लाते हैं कई परेशानियाँ। ये जीव तो फिर भी अक्सर हमारी नजरों के सामने घूमते-फिरते दिखाई देते रहते हैं, किन्तु कुछ जीव तो ऐसे भी होते हैं जिनके पनपने के बाद भी हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे घरों में मौजूद भी हैं। ऐसा ही एक जीव है-दीमक।

क्या है दीमक

दीमक छोटे-छोटे कीट हैं जो प्रायः घरों के पुराने दरवाजों, खिड़कियों या दीवारों के कोनों में देखने को मिलती है और लकड़ी और लकड़ी की बनी चीजें जैसे फर्नीचर आदि को कुतरकर खा जाते हैं। इन दीमकों का घर में होना बहुत ही नुकसानदेह होता है। वैसे तो दीमकों का प्रकोप हर मौसम में देखने को मिल ही जाता है परन्तु वर्षा ऋतु में यह सबसे अधिक तेजी से फैलती है। खिड़की, दरवाजों और लकड़ी के सामानों के साथ-साथ ये कागज में भी बहुत जल्द फैलती है। जिस वस्तु में एक बार दीमक लग जाये वह शीघ्र ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है।

वैज्ञानिक वर्गीकरण

देखने में भले ही दीमक चींटी की भाँति होती है, परन्तु इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण चीटियों से भिन्न और उसकी अपेक्षा कम विकसित माना जाता है। दीमक इंसेक्टा आइसॉप्टेरा (ल्लरीूइं,रङ्ग्स्रइीश१) वर्ग-गण के सदस्य हैं, इंसेक्टा-कीड़े और आइसॉप्टेरा बराबर पंख वाला, अर्थात दीमक ऐसे कीड़े हैं जिनके आगे और पीछे के पंख लगभग समान आकार के होते हैं। अध्ययन के अनुसार अब तक 1,500 से भी अधिक दीमकों की जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ही 220

“ मानव जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से आवास का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य जीवन भर मेहनत-मशक्कत करने के उपरान्त एक छोटे से घरौंदे का निर्माण करता है। यह घर उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान होता है। सर्दी-गर्मी, धूप-छाँव, सुख-दुख, हर मौसम, हर स्थिति में यह घर उसको एक छत एक आसरा देता है, उसका सहारा बनता है। नए घर में ऐसी ही नई आशा और विश्वास के साथ वह अपना गृह निवेश करता है।

विभिन्न प्रजातियों की दीमक पाई जाती है।

दीमकों का निवास

माना जाता है कि दीमक पिछले 20-30 लाख वर्षों से पृथ्वी पर हैं और इनका उल्लेख अनेक पुराणों और महाकथाओं में भी पाया गया है।

अध्ययन के अनुसार, दीमक गरम तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में ही पनपती है। यह समूहों में बस्तियाँ बनाकर रहती है, जिन्हें टरमिटेरियम (शी१३१४) या वाल्मीक कहते हैं। जिनका निर्माण मिट्टी, पानी और दीमकों की लार से होता है।

दीमक हल्की गीली मिट्टी में अपनी लार मिलाकर अपनी बस्ती का निर्माण करते हैं। इनकी लार में मौजूद द्रव्य धूप में सूखकर कड़ा और मजबूत हो जाता है। इस प्रकार दीमक मिट्टी के अन्दर या आस-पास तथा नमी वाले स्थान पर पाये जाते हैं। अपनी प्रजाति, क्षेत्र और स्थान के अनुसार दीमकों की बस्तियों के भिन्न-भिन्न आकार होते हैं। एक साधारण वाल्मीक 2 से 10 फुट तक की ऊँचाई का हो सकता है। यहाँ तक की 20-20 फीट ऊँचे दीमकों की बस्तियों को भी देखा गया है।

दीमकों की सामाजिक प्रणाली

एक ही वाल्मीक में रहने वाली दीमक के भी अनेक आकार और प्रकार होते हैं। इन बस्तियों में रहते दीमकों का आकार एक छोटी-सी चींटी से लेकर बड़े चींटों के बराबर तक होता है। यह बस्तियाँ भी साधारण नहीं होती, दीमक के घर अर्थात बस्तियों में बहुत ही संगठित सामाजिक प्रणाली होती है। इन बस्तियों को सुचारू रखने हेतु दीमकों के समूहों में श्रमिक, सिपाही और सेवक सब होते हैं। एक ही वाल्मीक में रहते प्रत्येक दीमक का अपना एक कार्य होता है। प्रत्येक बस्ती में एक रानी तथा एक राजा होते हैं जो पंखवार और बस्ती के निमार्ता होते हैं। इसके बाद कुछ दीमक जनक होते हैं और कुछ बंध्या। जनक दीमक पंखदार होते हैं, ये जाति को आगे बढ़ाते है और नई बस्तियों का निर्माण करते हैं। बंध्या श्रेणी की दीमकों में कुछ दीमक श्रमिक होते हैं, जो अपनी-अपनी श्रेणियों के अनुसार भोजन एकत्रण, रानी की देखभाल, बस्ती की सफाई और पालन-पोषण का कार्य करते हैं और कुछ सिपाही होते हैं, जो अपनी प्रजाति के अनुसार अपने बड़े जबड़े अथवा अपनी सूँडें से नाशक द्रव्य की पिचकारी द्वारा शत्रु से बस्ती की रक्षा करते हैं।

दीमकों का भोजन

दीमकों का मुख्य भोजन मृत लकड़ी या लकड़ी के उत्पादों में मौजूद सेल्यूलोस होता है। इसी कारण दीमक मनुष्य द्वारा उपयुक्त लकड़ी और चमड़े की वस्तुओं के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये कुर्सी, मेज, दरवाजे, खिड़की आदि से लेकर दरी, कम्बल, कालीन तथा किताबें आदि सभी को खा जाते हैं। दीमक किसी भी वस्तु को बाहर से खाना नहीं शुरू करती। यह वस्तुओं में किसी एक किनारे से चुपचाप घुस जाती है और फिर अन्दर-ही-अन्दर उसे खाकर खोखला कर देती है। यही कारण है कि हमें दीमकों द्वारा किया गया नुकसान वस्तु के पूर्ण रूप से नष्ट होने के बाद ही दिखाई देता है।

कैसे आती है घर में दीमक

दीमक घरों में कई प्रकार से घुस सकती है जिनमें से सबसे मुख्य प्रकार है घरों में लकड़ी और मिट्टी का सीधा सम्पर्क इस प्रकार का दीमक सक्रमण उन घरों में

“एक ही वाल्मीक में रहने वाली दीमक के भी अनेक आकार और प्रकार होते हैं। इन बस्तियों में रहते दीमकों का आकार एक छोटी-सी चींटी से लेकर बड़े चींटों के बराबर तक होता है। यह बस्तियाँ भी साधारण नहीं होती, दीमक के घर अर्थात बस्तियों में बहुत ही संगठित सामाजिक प्रणाली होती है। इन बस्तियों को सुचारू रखने हेतु दीमकों के समूहों में श्रमिक, सिपाही और सेवक सब होते हैं। एक ही वाल्मीक में रहते ।

देखने को मिलता है जिसमें लकड़ी के फर्श, पोर्च में लकड़ी की सीढ़ियाँ, मिट्टी को छूते लड़की के बने खिड़की के फ्रेम आदि का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि घरों की दीवारों में किसी प्रकार की दरार या जगह होती है तो दीमक उसकी सहायता से भी घर में प्रवेश कर सकती है।

दीमक दीवारों और नींव आदि में लगे जोड़ों और धातु के पदार्थों जैसे पाइप आदि के द्वारा भी घरों में प्रवेश कर लेती है।

कैसे पता चलेगा दीमकों का?

दीमक अंधेरे, आर्द्र और संरक्षित वातावरण में रहती है जिस कारण उन्हें खोजना बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि दीमकों द्वारा गम्भीर क्षति होने तक हमें उनके घरों में होने का पता नहीं चलता। साथ ही, चूँकि दीमक लकड़ी को अन्दर से खाते हुए अपना रास्ता बनाते हैं, इसलिये भी इनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। परन्तु कुछ ऐसे सामान्य से संकेत हैं जिनकी जाँचकर हम अपने घर या व्यावसायिक परिसर के आस-पास दीमक के होने का अनुमान लगा सकते हैं।

दीमक की बांबी

दीमक की बांबी (फोटो साभार - पीएक्सहीयर)

दीमकों के घरों में होने का सबसे सामान्य संकेत है घरों की दीवार पर मिट्टी की नालियों का पाया जाना। बिना दिखाई दिये खाद्य स्रोत तक पहुँचने हेतु भूमिगत दीमक मिट्टी, गन्दगी और मलबे से बने आश्रय नालियों का निर्माण करती है। ये भूरे रंग की नालियाँ अक्सर बाहरी दीवारों से घरों के अन्दर अथवा लकड़ी के स्रोत तक पहुँचती हुई दिखाई देती हैं। दीमकों के होने का दूसरा बड़ा संकते है घर में दीमक के पंखों का पाया जाना। आमतौर पर सबसे पहले घरों में पंखों वाले दीमकों का आगमन होता है। ये दीमक प्राय ही खिड़की और फर्श पर अपने पंखों के अवशेष छोड़ जाते हैं जो घरों में दीमक के होने का संकेत देते हैं। लकड़ी को बजाने पर यदि खोखली अथवा कागजी सी आवाज उत्पन्न होती है तो यह भी घरों में दीमक के होने का संकेत है। आमतौर पर दीमक बाहरी लकड़ी अथवा पेंट की एक पतली परत को छोड़कर लकड़ी को अन्दर से पूरी तरह से खा जाते हैं। इस कारण ऐसी लकड़ी पर खटका करने से खोखली अथवा कागजी सी आवाज उत्पन्न होती है जो घर में दीमक के होने का संकेत देती है।

यदि इस प्रकार का कोई भी संकेत घरों में मिलता है तो वहाँ तुरन्त ही दीमक उपचार एवं नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

दीमक नियंत्रण का घरेलू उपचार

घरों से दीमक को समाप्त करने के लिये पुराने समय से ही कुछ घरेलू उपाय और उपचार अपनाए जाते हैं जो काफी हद तक दीमकों को नियंत्रण में रखते हैं।

1. ऐसे में सबसे अधिक उपयोग किये जाने वाला उपचार है-धूप यदि घर के किसी भी लकड़ी के फर्नीचर में दीमक लग जाये तो उसे तुरन्त ही बाकी लकड़ी के सामान से दूर कर, घर से बाहर निकाल कर धूप में रख देना चाहिए। ऐसे प्रतिदिन दीमक के समाप्त हो जाने तक उसे लगातार धूप में रखना चाहिए। एक सप्ताह में वह लकड़ी दीमक से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएँगी।
2. माना जाता है कि दीमक कड़वी महक से दूर भागते हैं इसीलिये जिस जगह पर दीमक लगी हुई हो वहाँ यदि करेले या नीम का रस छिड़क दिया जाये तो वातावरण में कड़वी महक से सभी दीमक धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। ऐसा सप्ताह भर करने से उस स्थान पर आमतौर पर फिर से दीमक नहीं लगती।
3. लालमिर्च की मदद से भी घर से मौजूद दीमक को समाप्त किया जा सकता है। जिस-जिस स्थान पर दीमक हो वहाँ-वहाँ लाल मिर्च का पाउडर छिड़क देने से दीमक धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है।
4. यहाँ तक की नमक भी दीमक को भगाने में कारगर है। नमक में बहुत से ताकतवर गुण होते हैं जो दीमक को समाप्त करने में मदद करते हैं इसलिये जहाँ-जहाँ दीमक लगी दिखाई दे, उन सभी जगहों पर नमक का छिड़काव कर देने से भी दीमक खत्म हो जाती है।

5. साथ ही, सन्तरे के तेल के स्प्रे के प्रयोग द्वारा भी फर्नीचर में लगी दीमक को हटाया जा सकता है। सन्तरे के तेल में डी-लिमोनेन नामक एक सक्रिय पदार्थ होता है जो सम्पर्क में आते ही दीमक को मार गिराता है।
6. दीमक के बिल पर बोरिक एसिड का छिड़काव करने से भी वह मर जाती है।
7. दीमक के पनपने वाले स्थान पर नीम का पाउडर या उसके तेल का छिड़काव करने से कुछ ही दिनों में दीमक समाप्त हो जाती है।
8. घर में दीमक के बिल के आस-पास कार्डबोर्ड की कुछ पट्टियों को गीला कर-के रखने से कुछ ही घंटों में उस पर सभी दीमक इकट्ठी हो जाते हैं ऐसा होने पर उस पट्टी को जला देने से सारे दीमक नष्ट हो जाते हैं।
9. किसी छोटे-मोटे लकड़ी के सामान में लगी दीमक को हटाने के लिये उसे कुछ दिनों तक एक बड़े फ्रीजर में डाल देने से भी उसके सारे दीमक समाप्त हो जाते हैं।
10. घर में सही वातानुकूलन, हवा की आवाजाही और नमी के नियंत्रण द्वारा भी दीमक को पनपने से रोका जा सकता है क्योंकि इन्हें पनपने के लिये नमी की आवश्यकता होती है।

दीमक नियंत्रण व उपचार के ये घरेलू उपाय बहुत कारगर और बचत वाले हैं परन्तु ये दीमक के विरुद्ध कोई पुख्ता इलाज नहीं है।

दीमकरोधी उपचार से पूर्व सावधानियाँ

भवनों में दीमकरोधी उपचार से पूर्व कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए-

1. भवनों में दीमकरोधी उपचार किसी कुशल तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त दीमक नियंत्रण विशेषज्ञ से ही करवाना चाहिए।
2. वर्षा काल, वर्षा से ठीक पहले अथवा ठीक बाद, तेज धूप या तेज हवा में दीमकरोधी उपचार नहीं करवाना चाहिए।
3. उच्च क्वालिटी तथा प्रमाणिक दीमकनाशक दवाओं का ही प्रयोग कराया जाना चाहिए।
4. दीमकनाशक दवाओं को पंजीकृत एवं वैध अनुज्ञप्ति धारक विक्रेता से ही खरीदना चाहिए।
5. बिना नामपत्र बैच संख्या, पंजीकरण संख्या व उत्पादन तिथि की, समाप्ति तिथि के बाद की, खुली, रिसती अथवा बिना सील वाली दीमक नाशकदवा नहीं खरीदनी चाहिए।

6. दीमकनाशक दवाओं का भण्डारण नहीं करना चाहिए तथा अति आवश्यक स्थिति में उन्हें बच्चों और पशुओं की पहुँच से दूर, सीधी धूप और बारिश से बचाकर, दवाई की वास्तविक पैकिंग में ही रखना चाहिए और भण्डारण क्षेत्र पर चेतावनी संकेत प्रदर्शित करने चाहिए।
7. दीमकनाशक दवाओं के छिड़काव से पूर्व निदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना अनिवार्य है।
8. आवश्यकता के अनुसार ही दीमकनाशक का घोल तैयार करना चाहिए जिसे 24 घंटे के पश्चात प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
9. दीमकनाशक दवाओं के छिड़काव से पूर्व सदैव सुरक्षात्मक वस्त्रों अर्थात दस्ताने, मुखावरण, टोपी, चौगा आदि पहनना अनिवार्य है।
10. दीमकनाशक दवाओं के छिड़काव के दौरान नाक, आँख, कान और हाथों आदि अंगों के बचाव का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।
11. दीमकनाशक दवाओं को उचित मात्रा मे ही प्रयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
12. दीमकनाशक दवाओं के छिड़काव के दौरान खाना-पीना या धूम्रपान आदि

“दीमकों के घरों में होने का सबसे सामान्य संकेत है घरों की दीवार पर मिट्टी की नालियों का पाया जाना। बिना दिखाई दिये खाद्य स्रोत तक पहुँचने हेतु भूमिगत दीमक मिट्टी, गन्दगी और मलबे से बने आश्रय नालियों का निर्माण करती है। ये भूरे रंग की नालियाँ अक्सर बाहरी दीवारों से घरों के अन्दर अथवा लकड़ी के स्रोत तक पहुँचती हुई दिखाई देती हैं। दीमकों के होने का दूसरा बड़ा संकते है घर में दीमक के पंखों का पाया जाना।

निषेध है।
13. दीमकनाशक दवाओं का छिड़काव हवा की दिशा में करना चाहिए।
14. दीमकनाशक दवाओं के छिड़काव के पश्चात उपयुक्त छिड़काव उपकरण तथा बाल्टियों आदि को डिटर्जेंट आदि से साफ किया जाना चाहिए तथा उपयुक्त बाल्टियों और कंटेनरों को साफ करने के बाद भी घरेलू प्रयोग में नहीं लाना चाहिए।
15. दीमकनाशक दवाओं के छिड़काव के तुरन्त बाद, छिड़काव किये गए स्थान पर पशुओं का तथा बिना सुरक्षात्मक कपड़ों के मनुष्यों का प्रवेश निषेध है।
16. बचे हुए दीमकनाशक दवा के घोल को नाली या पास के तालाब में बहाना निषेध है।
17. दीमकनाशक दवाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव के जहर के लक्षण सामने आने पर प्राथमिक उपचार करके, तुरन्त चिकित्सक को दिखाना अनिवार्य है। सही उपचार एवं जाँच हेतु चिकित्सक को दीमकनाशक दवा का खाली कंटेनर भी दिखाना चाहिए।

एक सुन्दर और आरामदायक घर हर इंसान का सपना होता है। दिन-रात मेहनत-मशक्कत करके वह इस सपने को साकार करता है। ऐसे में दीमक जैसे विनाशक जीव इस मापने के ऊपर एक ग्रहण बन जाते हैं। दीमक हमारे आवासीय भवनों के लिये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये छोटे-छोटे कीट बड़ी-से-बड़ी इमारत को स्वाहा करने में सक्षम हैं अतः इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। इन विनाशक-जीवों के उचित प्रबन्धन के बिना एक सुन्दर घर का सपना अधूरा ही रहेगा। भवन निर्माण से पूर्व और उसके पश्चात भी नियमित रूप से दीमकों की जाँच करते रहना चाहिए। दीमकनाशक दवाओं का बार-बार अथवा अनुचित प्रयोग करने से दीमक प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर सकते हैं जिससे और अधिक घातक दवाओं के मिश्रण का प्रयोग करना पड़ सकता है। अतः दीमक संक्रमण के पता चलने पर विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार तुरन्त ही दीमक उपचार कराकर भविष्य में अधिक खर्चे और खतरे तथा वातावरण तथा जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव दोनों से बचा जा सकता है।

अब आवश्यकता है कि भवनों में हानिरहित तथा पर्यावरण सुरक्षित दीमक प्रबन्धन की ओर समुचित प्रयास किये जाएँ जिससे किसी भी स्थिति में भवनों में इन दीमकनाशक दवाओं की मात्रा अनुमत सीमा से अधिक न हो। हमारा घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने घर को कीटों से सुरक्षित करें।

सीएसआईआर-सीबीआरआई द्वारा भवनों में दीमक नियंत्रण

भवन निर्माण हेतु प्रायः उच्च गुणवत्ता और दाम वाली लकड़ी जैसे- देवदार, साल, शीशम, सागौन आदि का उपयोग किया जाता है तथा दीमक संक्रमण के कारण जल्द ही लकड़ी को बदलवाना काफी महंगा पड़ता है। इस कारण भवनों में दीमक नियंत्रण करना अति आवश्यक हो गया है और क्योंकि दीमक स्वाभाविक रूप से छिप कर लकड़ी नष्ट करता है अतः भवन में थोड़ा सा भी संक्रमण दिखाई देने पर शीघ्र ही उसका उपचार किया जाना चाहिए।

भवनों में दीमक नियंत्रण हेतु विश्व भर में विभिन्न प्रकार की दीमकनाशक दवाएँ, बेटिंग सिस्टम, फिजिकल बैरियर, पेस्टिसाइड आधारित फोम, स्टील की जाली आदि जैसे बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं। भारत में भी विषैले कीटनाशकों पर आधारित बहुत सी दीमकनाशक दवाएँ मौजूद हैं जिसकी प्रोयगविधि की सम्पूर्ण जानकारी भारतीय मानक क्र 6313 में उपलब्ध है।

सीएसआईआर-केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड़की भवन निर्माण में अनुसन्धान एवं विकास कार्यों के लिये प्रतिबद्ध है। इसी कारण भवनों में दीमकों के संक्रमण से सुरक्षा हेतु संस्थान लगातार भवनों में दीमक नियंत्रण एवं उपचार पर अनुसन्धान करते हुए नित नवीन तकनीक विकसित कर रहा है। संस्थान ने वैज्ञानिक डॉ. बी.एस. रावत के निर्देशन में भवनों में दीमक प्रबन्ध हेतु मोडिफाइड ग्राउंड बोर्ड टेस्ट, दीमक ग्रसित भवनों में दीमकरोधी कार्य, मिट्टी में कीटनाशकों के अपघटन टेस्ट, दीमकों की बांबियों में टेस्ट तथा दीमक की सिमुलेटिड गैलरियों पर टेस्ट आदि बहुत से अध्ययन तथा प्रयोग किये हैं।

दीमक उपचार हेतु देश भर में अनेक विकल्प मौजूद हैं तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी दीमक नियंत्रण कार्य को सम्मिलित किया गया है। सीएसआईआर-केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड़की भी समय-मसय पर दीमक नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करता रहता है जिनमें दीमक प्रबन्ध, दीमकनाशक दवाओं का उचित प्रयोग, अपेक्षित सावधानियाँ, नए-नए उत्पादों आदि से सम्बन्धित जानकारी दी जाती है।

दीमकनाशक दवाओं का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की दीमकनाशक दवाओं का प्रयोग होता है। परन्तु इन दवाइयों का बहता प्रयोग भी स्वास्थ्य के लिये संकट सिद्ध हो रहा है। अक्सर लोग इन दवाइयों को खरीद कर बिना पूरी जानकारी या सावधानी के स्वयं ही अपने घर पर दीमक का उपचार करने लगते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

जहाँ दीमक और अन्य कीट अस्थमा, कंजक्टिवाइटिस, न्यूमोनिया, डायरिया, सेटीसीमिया, पैरालिसिस, चिकिनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, पीलिया, टायफाइड, कॉलरा, रेबीज तथा खतरनाक वायरस जैसे- स्वाइन फ्लू, इबोला, जीका वायरस आदि जैसी हानिकारक बीमारियाँ फैलाते हैं, वहीं उचित सावधानी के बिना प्रयोग की जाने वाली दीमकनाशक दवाओं के सीधे और लम्बे समय तक सम्पर्क में आने से कैंसर, अस्थमा, अंधापन, पार्किंसन आदि अनेक प्रकार की घातक बीमारियाँ होने का खतरा रहता है। सर्वेक्षण के अनुसार अनुचित रूप से दीमकनाशक दवाओं का प्रयोग करने के कारण दुनिया में 25 लाख लोग प्रतिवर्ष बीमार होते हैं, जिनमें से लगभग 5 लाख लोग असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं।

टर्माइट बैट सिस्टम

टर्माइट बैट सिस्टम (फोटो साभार - अमेजन)

चिन्ता और गम्भीरता का विषय यह है कि कई बार इन दीमकनाशक दवाओं के अनुचित प्रयोग का स्वास्थ्य पर पड़ता नकारात्मक प्रभाव तुरन्त सामने नहीं आता है अथवा तुरन्त कोई बड़ी बीमारी का रूप नहीं लेता है। इन दवाइयों का विषाक्तता के कुछ लक्षण जैसे-आनुवंशिक बदलाव, भ्रूण में अंगों का विकास अवरुद्ध होना, जन्मजात कैंसर, ल्यूकेमिया, नपुंसकता, अंधापन, त्वचा सम्बन्धी रोग तथा गंजापन आदि तो वर्षों बाद परिलक्षित होते हैं। परन्तु तुरन्त नजर में आते लक्षणों जैसे- सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, आँखें लाल हो जाना, लगातार आँखों से पानी बहना, धुँधला दिखाई देना, त्वचा में जलन, त्वचा लाल होना तथा चकत्ते पड़ना, भूख न लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, साँस लेने में परेशानी, दम घुटना आदि को हम दवाई के प्रभाव से नहीं जोड़ पाते हैं और सामान्य बीमारी समझकर इन्हें गम्भीरता से नहीं लेते हैं, जिससे ये जान के लिये भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। भारतीय बाजार में दीमकनाशक दवाएँ आसानी से उपलब्ध हैं, जिस कारण लोग इसके प्रयोग को हानिकारक नहीं समझते हैं। घरों के साथ-साथ खेती में भी लोग बिना उचित सावधानी के इन दवाओं का प्रयोग करते हैं। धूप तथा हवा आदि से फसलों पर इन दवाइयों का दुष्प्रभाव कम तो हो जाता है परन्तु मिट्टी पर यह असर वर्षों तक बना रह सकता है। मिट्टी से ये दवाइयाँ बहकर नदी तथा तालाबों में जाकर जल, जलीय शाक तथा मछलियों आदि को प्रदूषित करती हैं। इस तरह इन प्रदूषित कृषि उत्पाद, जल, जलीय शाक एवं जीव और प्रभावित चारे के कारण दूध आदि द्वारा इन दवाइयों के अवशेष मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं।

भवन निर्माण हेतु प्रायः उच्च गुणवत्ता और दाम वाली लकड़ी जैसे- देवदार, साल, शीशम, सागौन आदि का उपयोग किया जाता है तथा दीमक संक्रमण के कारण जल्द ही लकड़ी को बदलवाना काफी महंगा पड़ता है। इस कारण भवनों में दीमक नियंत्रण करना अति आवश्यक हो गया है और क्योंकि दीमक स्वाभाविक रूप से छिप कर लकड़ी नष्ट करता है अतः भवन में थोड़ा सा भी संक्रमण दिखाई देने पर शीघ्र ही उसका उपचार किया जाना चाहिए।

मुद्दे, चुनौतियाँ और उपाय

देश का लगभग 4.6 करोड़ हेक्टेयर इलाका बाढ़ सम्भावित क्षेत्र हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के लिए ढाँचागत उपाय किए जा चुके हैं उनका क्षेत्र करीब 1.9 करोड़ हेक्टेयर है। ढाँचागत उपायों के साथ ही गैर ढाँचागत उपायों पर भी ध्यान देना होगा। 175 बाढ़ पूवार्नुमान केन्द्रों के तन्त्र का रखरखाव भी किया जा रहा है जिसके जरिए भरोसेमन्द बाढ़-पूर्व चेतावनी मिल जाती है और पहले ही बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय कर लिए जाते हैं।पानी हमारे जिन्दा रहने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के आर्थिक विकास का एक साधन भी है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका प्रकृति में सुरक्षित भण्डार सीमित है, अतः हमें इसके सतत विकास और कुशल प्रबन्धन की योजना तैयार करनी है ताकि बढ़ती जनसंख्या, विस्तारित हो रहे उद्योगों और तेजी से शहरीकरण के कारण बढ़ती जरूरतें पूरी की जा सकें और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें।

उपलब्ध और उपयोग लायक जल

देश में हर साल लगभग 1,170 मिलीमीटर वर्षा होने का अनुमान लगाया गया है। इसे अगर देश में होने वाली कुल बर्फबारी और ग्लेशियरों से मिलने वाले जल की मात्रा के साथ मिला लें, तो यह लगभग 4,000 अरब घनमीटर बैठती है। लेकिन अगर वाष्पीकरण के जरिए नष्ट होने वाले पानी का भी हिसाब लगाएँ, तो देश में कुल 1,869 अरब घनमीटर पानी होने का अनुमान है। यह उपलब्ध सारा जल भौगोलिक और अन्य कारणों से काम में नहीं आ पाता और ऐसा अनुमान है कि इसमें से सिर्फ लगभग 1,123 अरब घनमीटर पानी ही काम लायक होता है। इस मात्रा का 690 अरब घनमीटर जल सतही और 433 अरब घनमीटर फिर से भरपाई किया हुआ पानी होता है। जल की इस उपलब्धता में भी देश और काल की विभिन्नता के कारण अन्तर आता है।

जल संसाधन विकास की सम्भावनाएँ और उपलब्धियाँ

“ढाँचागत उपायों के साथ ही गैर ढाँचागत उपायों पर भी ध्यान देना होगा। 175 बाढ़ पूवार्नुमान केन्द्रों के तन्त्र का रखरखाव भी किया जा रहा है जिसके जरिए भरोसेमन्द बाढ़-पूर्व चेतावनी मिल जाती है और पहले ही बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय कर लिए जाते हैं।पानी हमारे जिन्दा रहने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के आर्थिक विकास का एक साधन भी है।

देश में जल संसाधनों का विकास आमतौर पर सिंचाई सुविधाओं के सृजन, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, उद्योगों की पानी की जरूरतें पूरी करने और पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दे सुलझाने के आसपास घूमता है।

सिंचाई विकास

वर्तमान स्थिति के अनुसार इस समय कुल जितनी जमीन पर खेती की जा रही है उसका 44 प्रतिशत यानी लगभग 6.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित है। यह स्थिति तब है जब अनुमानों के अनुसार 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। इस कुल सिंचित भूमि में से 7.6 करोड़ हेक्टेयरकी सिंचाई सतही जल और लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर की सिंचाई भूजल साधनों से की जा सकती है। 1951 में योजनाबद्ध विकास शुरू होने से पहले 2.26 करोड़ हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की व्यवस्था की जा चुकी थी।

लेकिन इस समय शेष सिंचाई सम्भावित क्षेत्रों को यह सुविधा देने के लिए सोच-समझकर योजना बनाने की जरूरत है और इसके लिए बेहतर जल प्रबन्धन व्यवहारों का इस्तेमाल करना होगा। यह एक बड़ी चुनौती है। इस तथ्य को देखते हुए यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जल संसाधनों के विकास के आसान और सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का इस्तेमाल किया जा चुका है और अब जो नयी जल संसाधन परियोजनाएँ शुरू की जा रही है उनमें जल सम्बन्धी और भौगोलिक सीमाएँ बाधक बनेंगी। तथापि कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे कि देश के फालतू पानी का उपयोग किया जा सके और इसके लिए नदियों को जोड़ना और भूजल की कृत्रिम तरीके से भरपाई करना जरूरी होगा।

उम्मीद की जाती है कि इनमें से पहले कदम के जरिए 3.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन की अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएँ सृजित की जा सकेंगी, जबकि बाद वाले उपाय के द्वारा करीब 36 अरब घनमीटर पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।

पेयजल आपूर्ति

भारत के शहरी क्षेत्रों में 1990 में करीब 90 प्रतिशत लोगों और वर्ष 2000 में 93 प्रतिशत लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध था। वर्ष 2008 तक इस स्थिति में सुधार हुआ और यह सुविधा करीब 96 प्रतिशत लोगों को उपलब्ध हो गई। ग्रामीण भारत में भी 1990 में जहाँ सिर्फ 58 प्रतिशत लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध था, वहीं 2008 में यह संख्या बढ़कर 73 प्रतिशत तक आ गई।

इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त मानिटरिंग कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोषकी रिपोर्टों के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 1990 तक जहाँ सिर्फ 7 प्रतिशत इलाके में सुधरी स्वच्छता व्यवस्था उपलब्ध थी, वहीं यह 2008 में बढ़कर लगभग 21 प्रतिशत तक आ गई। शहरी इलाकों में 1990 तक 49 प्रतिशत क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था थी वहीं वर्ष 2008 में यह सुविधा 54 प्रतिशत लोगों को उपलब्ध हो गई।

उक्त आँकड़ों से जाहिर है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य के आलोक में, जिसमें वर्ष 2013 तक सभी ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता व्यवस्था पहुँचा देने कालक्ष्य रखा गया है।

पनबिजली विकास

देश के लगभग 15 प्रतिशत ब्लॉकों/तालुकों/मण्डलों में इस समय भूजल का जरूरत से अधिक दोहन हो रहा है। एक और चुनौती सतही जल के अत्यधिक इस्तेमाल से जुड़ी हुई है जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई की नालियाँ समस्याग्रस्त हो रही हैं और अनेक इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।अनुमान लगाया गया है कि भारत में 1,50,000 मेगावाट पनबिजली पैदा किए जाने की सम्भावित क्षमता है। लेकिन अभी तक इसकी सिर्फ 21 प्रतिशत क्षमता का विकास किया जा सका है और दस प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता विकसित करने पर काम चल रहा है। विकास की धीमी गति के कारणों में सम्भावित स्थलों की दुर्गम स्थिति, पुनर्वास, पर्यावरण और वन सम्बन्धी मुद्दे तथा अन्तरराज्यीय समस्याएँ

> “यह एक बड़ी चुनौती है। इस तथ्य को देखते हुए यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जल संसाधनों के विकास के आसान और सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का इस्तेमाल किया जा चुका है और अब जो नयी जल संसाधन परियोजनाएँ शुरू की जा रही है उनमें जल सम्बन्धी और भौगोलिक सीमाएँ बाधक बनेंगी। तथापि कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे कि देश के फालतू पानी का उपयोग किया जा सके ।

शामिल हैं। इसके अलावा इन परियोजनाओं को चालू करने में लम्बा समय लगता है। भौगोलिक समस्याएँ भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा का यह नवीकरणीय रूप विकसित किया जा सके। अपेक्षाकृत ढंग से देखा जाए तो पनबिजलीघर संचालन में किफायती होते हैं और कम से कम अनुरक्षण लागत के जरिए इनसे अधिकाधिक लाभ उठाया जा सकता है।

बाढ़ प्रबन्धन बोर्ड

अनुमान लगाया गया है कि देश का लगभग 4.6 करोड़ हेक्टेयर इलाका बाढ़ सम्भावित क्षेत्र हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के लिए ढाँचागत उपाय किए जा चुके हैं उनका क्षेत्र करीब 1.9 करोड़ हेक्टेयर है। ढाँचागत उपायों के साथ ही गैर ढाँचागत उपायों पर भी ध्यान देना होगा। 175 बाढ़ पूवार्नुमान केन्द्रों के तन्त्र का रखरखाव भी किया जा रहा है जिसके जरिए भरोसेमन्द बाढ़-पूर्व चेतावनी मिल जाती है और पहले ही बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय कर लिए जाते हैं। मैदानी भागों में बाढ़ सम्भावना के अनुसार क्षेत्रवार वर्गीकरण सहित अनेक गैर ढाँचागत उपायों की भी गुंजाइश है और इसके अनुसार काम होना चाहिए।

भविष्य में जल आवश्यकताओं का अनुमान

समन्वित जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय आयोग ने अनुमान लगाया है कि देश में 83 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए और बाकी मात्रा का उपयोग घरेलू, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

इस आयोग ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक यह माँग बहुत बढ़ जाएगी। अनुमानों के अनुसार यह 1,180 अरब घनमीटर तक पहुँच सकती है। अगर हम पहले से मान लें कि सतही पानी और भूजल व्यवस्थाओं के प्रबन्धन में कुशलता आएगी और खेती और अन्य क्षेत्रों में पानी का इस्तेमाल बेहतर ढंग से होने लगेगा, तो भी सिंचाई के लिए पानी की जरूरत बढ़ जाएगी।

अनुमान लगाया है कि कुल जितनी जरूरत होगी उसका वर्तमान के 83 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2050 में 69प्रतिशत भाग सिंचाई पर खर्च होगा। देश के जल क्षेत्र को बढ़ती आबादी, घटती गुणवत्ता और भूजल के अत्यधिक दोहन के चलते अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण देश के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है और जो सुविधाएँ सृजित की चुकी हैं उनके जरिए इष्टतम से कम उपयोग हो पा रहा है।

1991 में जहाँ प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5,177 घनमीटर होने का अनुमान था, वहीं आबादी बढ़ जाने, तेजी से शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण अब यह घटकर लगभग 1,650 घनमीटर तक पहुँच गया है। अनियोजित विकास और भूजल के विनियमन के लिए समुचित कानूनों के अभाव के चलते भूजल का जरूरतसे ज्यादा दोहन हो रहा है जिसके कारण देश के अनेक भागों में भूजल भण्डारों में कमी आ रही है।

देश के लगभग 15 प्रतिशत ब्लॉकों/तालुकों/मण्डलों में इस समय भूजल का जरूरत से अधिक दोहन हो रहा है। एक और चुनौती सतही जल के अत्यधिक इस्तेमाल से जुड़ी हुई है जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई की नालियाँ समस्याग्रस्त हो रही हैं और अनेक इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।

नदियों में प्रदूषण बढ़ गया है और यह भी सर्वविदित है कि भूजल की गुणवत्ता खराब हुई है। प्रदूषण का एक प्रमुख कारण शहरी क्षेत्रों की जल-मल निकासी समस्या है। साथ ही, उद्योगों से निकलने वाले रसायनों प्रदूषित पानी भी इस समस्या को बढ़ा रहा है। प्रदूषण का एक और बड़ा कारण कृषिकर्म में रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल भी है।

इसके अलावा हमारे देश में इस समय जो दो प्रमुख समस्याएँ मौजूद हैं उनमें से एक का केन्द्रबिन्दु पानी है। ये समस्याएँ हैं- जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा। जलवायु परिवर्तन से पैदा समस्याओं पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से इन दोनों चुनौतियों में पानी की समस्या भी प्रमुख है। हालांकि अभी तक जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन अनेक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण देश और काल की शर्तों के अधीन अनेक क्षेत्रों में, खासतौर से बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में यह समस्या और उग्र रूप धारण कर सकती है।

इसीलिये पर्याप्त और भरोसमन्द आँकड़ों और सूचनाओं के आधार पर अनुसन्धान और अध्ययन करने की तुरन्त जरूरत है ताकि मात्रात्मक रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सके और इसके निवारण के उपाय किए जा सकें।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्रवाई योजना प्रधानमन्त्री ने जून 2008 में शुरू की थी। इस कार्रवाई योजना के अन्तर्गत आठ राष्ट्रीय मिशन गठित किए गए हैं जिनमें राष्ट्रीय जल मिशन भी एक है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, बबार्दी को कम से कम स्तर पर लाना और राज्यों में समता आधारित वितरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए समन्वित जल संसाधन विकास और प्रबन्धन तकनीकें अपनाई जाएँगी। राष्ट्रीय जल मिशन ने जो पाँच लक्ष्य तय किए हैं वे निम्नलिखित हैं:

1. सार्वजनिक रूप से व्यापक आँकड़ा आधार और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन।
2. जल संरक्षण और संवर्धन की राज्य और नागरिकों की योजना को प्रोत्साहित करना।
3. जिन क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन हो चुका है उन पर और ऐसी आंशका वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।
4. जल उपयोग कुशलता में 20 प्रतिशत वृद्धि करना।
5. बेसिन स्तर के समन्वित जल संसाधन प्रबन्धन को प्रोत्साहित करना।

जल संसाधन मन्त्रालय ने एक वेब समर्थ जल संसाधन सूचना तन्त्र के विकास की शुरूआत की है। इसके लिए अन्तरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय दूरसंवेदी केन्द्र का सहयोग लिया जा रहा है। इसमें कुछ संवेदनशील और वगीर्कृत सूचनाओं को छोड़कर शेष आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिए जाएँगे। इस व्यवस्था को 11वीं योजना के अन्त तक पूरी तरह से संचालन योग्य बना दिया जाएगा। इससे सभी हितधारकों को आँकड़े आसानी से मिल सकेंगे और इनका बेहतर ढंग से नियोजन और विनियमन किया जा सकेगा।

जल संसाधन मन्त्रालय ने जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन शुरू किए हैं। इस उद्देश्य से मन्त्रालय के सर्वोच्च संगठनों- केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने घनिष्ठ सहयोग करते हुए काम शुरू किया है और ये इस मामले में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि जल उपयोग की कुशलता में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाए।

जल संसाधन विकास के महत्वपूर्ण उपाय

जल संसाधन मन्त्रालय सिंचाई भागीदारी प्रबन्धन को बढ़ावा देता है और इसने जल उपभोक्ता संघ गठित करने के लिए काम किया है। अब तक लगभग 57,000 ऐसे संघ गठित किए जा चुके हैं। जरूरत है कि इन्हें संचालन योग्य और प्रभावशाली बनाया जाए। भागीदारी सिंचाई प्रबन्धन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे विधानसभाओं द्वारा पास कराए जाने के लिए राज्यों को भेज दिया गया है। स विषय में राज्यों के साथ बराबर सम्पर्क किया जा रहा है।सतत विकास और जनकल्याण के लिए कुशल प्रबन्धन के उद्देश्य सिर्फ राज्यों के बीच बेहतर सहयोग और समझदारी के जरिए पूरे किए जा सकते हैं। इस तथ्य को देखते हुए यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि संविधान के अनुसार जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, नाली व्यवस्था, जल भण्डारण, राज्य

समन्वित जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय आयोग ने अनुमान लगाया है कि देश में 83 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए और बाकी मात्रा का उपयोग घरेलू, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इस आयोग ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक यह माँग बहुत बढ़ जाएगी। अनुमानों के अनुसार यह 1,180 अरब घनमीटर तक पहुँच सकती है। अगर हम पहले से मान लें कि सतही पानी और भूजल व्यवस्थाओं के प्रबन्धन में कुशलता आएगी।

सरकारों के कार्य क्षेत्र में आते हैं।
इस दिशा में केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि इन राज्य सरकारों में अधिकतम तालमेल सुनिश्चित किया जाए और सहमति के जरिए अन्तरराज्यीय नदियों के मुद्दे सुलझाकर राज्य सरकारों द्वारा सहयोग सुनिश्चित किया जाए।
जल संसाधनों के विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से जल सम्बन्धी मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस उद्देश्य से जल संसाधन मन्त्रालय कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएँ कार्यन्वित कर रहा है जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, कमान एरिया विकास कार्यक्रम एवं जल संसाधन कार्यक्रम, बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम, जल निकायों आदि के पुनरुद्धार, नवीकरण और मरम्मत की योजनाएँ शामिल हैं। कुएँ खोदकर भूजल की भरपाई करने की एक योजना भी शुरू की गई है।
भौगोलिक विभिन्नता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से हमें जल संसाधनों के विभिन्न उपाय करने होंगे और इसके लिए जलाशयों, भूजल भण्डारों और परम्परागत जल निकायों के द्वारा जल संरक्षण के विभिन्न उपाय करने होंगे। भौगोलिक विभिन्नताओं की समस्या सुलझाने के लिए हमें अनेक उपाय करने होंगे। इसके लिए जिन क्षेत्रों में पानी अधिक है वहाँ से उसे कमी वाले क्षेत्रों की तरपफ भेजना शामिल है।
भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में सम्भाव्यता रिपोर्टें और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का काम शुरू किया है। इसके लिए राष्ट्रीय योजनाओं के तहत चिन्हित परियोजनाएँ पहले हाथ में ली गई हैं। इनमें से एक योजना है देश की नदियों को आपस में जोड़ने की, जिसका उद्देश्य है कमी वाले क्षेत्रों तक अतिरिक्त पानी पहुँचाना। जल संसाधन मन्त्रालय ने वर्षा जल संग्रहण के प्रोत्साहन की भी योजनाएँ बनाई है। इनके जरिए भूजल की भरपाई की जाएगी और केन्द्रीय भूजल बोर्ड लोगों के सामने उदाहरण के रूप में पेश करने के लिएयोजनाएँ ला सकेगा।

उन्नत प्रबन्धन

बेहतर प्रबन्धन व्यवहारों को अपनाकर और समुचित विनियमन, बजटिंग और जल उपयोग की लेखा परीक्षा अन्य वे महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनके जरिए जल उपयोग कुशलता बढ़ाई जा सकती है। सृजित सुविधाओं के अपेक्षाकृत खराब अनुरक्षण के कारणों में एक यह है कि इस काम के लिए समुचित बजट नहीं मिल पाता।
इस उद्देश्य से और सिंचाई सुविधाओं की निरन्तरता बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता जरूरी है। तेरहवें वित्त आयोग ने इस समस्या पर ध्यान दिया है और वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक चार वर्षों के लिए 5,000करोड़ रुपये का विशेष जल प्रबन्धन अनुदान स्वीकृत किया है। यह विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के अधीन है और राज्यों द्वारा जल की भरपाई के उद्देश्य पूरा करने में सहायक होगा।

सृजित सुविधाओं का कम इस्तेमाल

सृजित सुविधाओं का कम इस्तेमाल हो पाना एक और चुनौती है। सृजित सुविधाओं की 85 प्रतिशत क्षमता का ही इस्तेमाल किया जा सका है। यह अन्तर लगातार बढ़ता रहा है। जिन कारणों से सृजित सुविधाओं की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पाता उनमें (क) समुचित संचालन और अनुरक्षण की कमी, (ख) अधूरी वितरण व्यवस्था, (ग) कमान एरिया विकास योजना का पूरा न हो पाना, (घ) मूल डिजाइन में बाद में किए गए परिवर्तन और (घ) सिंचित भूमि का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाना शामिल है। स्पष्ट है कि बेहतर हार्डवेयर के रूप में तन्त्र सुधार के आधुनिक साधन और सॉफ्टवेयर के रूप में बेहतर प्रबन्धन इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जल उपयोग के लिए सृजित सुविधाओं में सुधार

भारत में सिंचाई व्यवस्था की वर्तमान कुशलता का स्तर अपेक्षाकृत काफी कम है और इसे सुधारने की पर्याप्त गुंजाइश है। समन्वित जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय आयोग ने अनुमान लगाया है कि भारत में सतही पानी से सिंचाई कुशलता वर्तमान 35 से 40 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 60 प्रतिशत के स्तर पर लाई जा सकती है।
इसी तरह भूजल से सिंचाई की कुशलता वर्तमान 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत के आसपास की जा सकती है। कुशलता में इस प्रकार से सृजित सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए समुचित संचालन और अनुरक्षण, विस्तार, नवीकरण और परियोजनाओं के आधुनिकीकरण तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के उपाय करने होंगे। नमी संरक्षण व लघु सिंचाई के उपाय भी करने पड़ेंगे।
साथ-ही-साथ, यह भी जरूरी होगा कि वित्तीय निरन्तरता सुनिश्चित की जाए और इसके लिए सिंचाई दरें संशोधित की जाएँ तथा जल उपभोक्ता संघ आदि के गठन को बढ़ावा देकर भागीदारी प्रबन्धन का रास्ता अपनाया जाए। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी और व्यवहार किसानों को सिखाए जाएँ ताकि पानी की प्रत्येक बूँद से अधिक फसल का नारा सार्थक किया जा सके।
जल संसाधन मन्त्रालय इस उद्देश्य से एक कृषक भागीदारी कार्रवाई अनुसन्धान कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थानों के जरिए चला रहा है जिसके द्वारा खेती को लाभप्रद और ज्यादा उत्पादक बनानेवाली उपलब्ध प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की जा रही है। अन्तरिम रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि किसानों से इन कार्यक्रमों का बहुत माकूल जवाब मिल रहा है और इन कार्यक्रमों के जरिए पैदावार बढ़ाने और सिंचाई के पानी में बचत करने में सहायता मिली है।
बड़ी जल सुविधाओं की कुशलता में सुधार के उपायों के अतिरिक्त जल प्रसंस्करण के अन्य उपायों पर भी जोर देना जरूरी है। इन उपायों में पानी का पुनः उपयोग, वर्षा जल संग्रहण और भूजल की भरपाई तथा जल सम्भरणविकास शामिल हैं।

भागीदारी प्रबन्धन

भागीदारी प्रबन्धन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जल संसाधन मन्त्रालय सिंचाई भागीदारी प्रबन्धन को बढ़ावा देता है और इसने जल उपभोक्ता संघ गठित करने के लिए काम किया है। अब तक लगभग 57,000 ऐसे संघ गठित किए जा चुके हैं। जरूरत है कि इन्हें संचालन योग्य और प्रभावशाली बनाया जाए। भागीदारी सिंचाई प्रबन्धन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे विधानसभाओं द्वारा पास कराए जाने के लिए राज्यों को भेज दिया गया है। स विषय में राज्यों के साथ बराबर सम्पर्क किया जा रहा है।
निष्कर्ष
निरन्तरता को बराबर ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के जरूरी उपाय करने की तुरन्त आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि जल संसाधनों का निरन्तर विकास और कुशल प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाए। उपलब्ध जल संसाधनों के समन्वित और व्यापक विकास के जरूरी उपाय किए जाने के अलावा जल प्रबन्धन नीतियाँ बनाना भी जरूरी है ताकि देश में सही ढंग से समन्वित विकास किया जा सके और समाज के हर सदस्य को इसके लाभ मिल सकें।
इसके लिए स्थानीय जल संसाधन सम्बन्धी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को सहयोग करना होगा और जल क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों से जूझने में सहयोग करना पड़ेगा। नागरिकों को जल क्षेत्र के साथ हाथ मिलाना होगा चाहे वे केन्द्रीय सरकार के हों अथवा राज्य सरकारों के, या फिर पंचायती राज निकायों, स्थानीय निकायों, औद्योगिक घरानों अथवा अन्य किसी वर्ग से सम्बन्धित हों। घरेलू इस्तेमाल के लिए स्वच्छ जल की माँग पूरी करने, सिंचाई के लिए सतत विकासशील मूल सुविधाएँ तैयार करने और विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी को आगे आना होगा। ऐसा करते हुए जरूरी होगा कि पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाए।

> “बेहतर प्रबन्धन व्यवहारों को अपनाकर और समुचित विनियमन, बजटिंग और जल उपयोग की लेखा परीक्षा अन्य वे महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनके जरिए जल उपयोग कुशलता बढ़ाई जा सकती है। सृजित सुविधाओं के अपेक्षाकृत खराब अनुरक्षण के कारणों में एक यह है कि इस काम के लिए समुचित बजट नहीं मिल पाता।

मेष गुरु की कृपा से भाग्य की बृद्धि होगी।कर्म स्थान का शनि मेहनत के बाद ही सफलता देगा।शनिबार की संध्या में लड्डू गरीबों में बांटे।सेहत का ध्यान रखें।भगवान श्री सूर्यनारायण को अर्ध्य प्रदान करें। शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल है।

बृषभ मन खिन्न रहेगा।बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी।जीवन में आनंद का वातावरण बनाने के लिए दुर्गासप्तशती का पाठ करें।विद्यार्थी के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुकूल अवसर हैं। शुभ अंक 2 और शुभ रंग सफेद या ऑफ वाइट।

मिथुन स्वास्थ्य का ध्यान रखें।प्रतिष्ठा तो मिलेगी।लेकिन धनागमन में थोड़ी परेशानी होगी।अष्टम शनि के लिए चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें।दशम सूर्य आपके जीवन में विशेष कृपा बनाएगा।मा के महालक्ष्मी रूप की पूजा करें। शुभ अंक 3 रंग हरा और लाल।

कर्क सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।घर के स्त्री पक्ष का सेहत चिंता का कारण बनेगा।प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुकूल समय है।हनुमान जी की आराधना करें।बजरंगबाण का पाठ करें। शुभ अंक 7। शुभ रंग- गुलाबी

सिंह मत्र के वेश में छुपे शत्रु से सावधानी की जरूरत है।श्री लुक्ष्मी नारायण की पूजा से धन लाभ होगा।संध्या प्रहर घी का चतुर्मुख दीपक अपने घर के मुख्यद्वार पर प्रतिदिन जलाए।उत्सव और मांगलिक कार्य की बातें करने का उपयुक्त समय है। शुभ रंग नीला। शुभ अंक 8।

कन्या पंचम शनि करियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर देंगे।विद्या व बुद्धि से सफलता प्राप्त होंगे।गुरु के प्रभाव से लीवर या पेट की समस्या रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप या श्रवण करें। शुभ रंग पीला। शुभ अंक 3।

बृश्चिक आपके आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन आगमन का योग है।भाई के लिए समय अनुकूल नही है।बाएं सुर बाले पीले गणपति का तस्बीर घर में रखें।प्रतिष्ठा व सम्मान का योग है। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 5।

तुला भाग्य का राहु राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे।गुरु की कृपा से शत्रु व रोग का नाश होगा।शनि माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नही है।चांदी के पात्र से गाय का कच्चा दूध नदी में बहाएं।अनुकूलता बनी रहेगी। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 4।

मकर जिद्द छोड़ना होगा।बाएं हाथ की कलाई में पीला धागा बांधने सेनुक्सान कम होगा।राहु अचानक व विचित्र परिणाम दे सकता है।कालभैरव जी की पूजा करें। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 7।

कुम्भ झूठ से नफरत होगी।झूठे लोगों से सामना होगा।लाभ होंगे लेकिन मन के अनुकूल नही।लेकिन मान सम्मान बढेगा।मंगल कार्य के लिए आगे बढ़े।आवश्यकता को कम करें।चोट चपेट से बचना होगा।हल्दी का गांठ अपने पर्स में रखें।ॐ नमो नारायणाय का जाप करें। शुभ रंग-गुलाबी। शुभ अंक 8।

धनु धन का आगमन होगा।लेकिन सूर्यास्त के बाद दूध व दही का सेवन नही करें।आत्मभिमान से बचना होगा।अहंकार को हावी नही होने दे।हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 6। शुभ रंग हरा।

मीन सूर्य की कृपा से पद व प्रतिष्ठा की बृद्धि होगी।गुस्सा पर नियंत्रण रखें।दुश्मन से सचेत जरूरी है।नजर बचना होगा।घर की शांति राहु के कारण नियंत्रण में नही रहेगा। सफेद कपड़े में सिंधा नामक घर के मुख्य द्वार पर बांधे। शुभ रंग -हरा। शुभ अंक 9।

पक्की की जाए निश्चित आय

किसानों की एक और बड़ी समस्या यह है कि सरकार करीब दो दर्जन फसलों का एमएसपी घोषित तो कर देती है लेकिन उसको खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करती। हकीकत यह है कि पंजाब, हरियाणा, पूर्वी व उत्तरी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि को छोड़कर कहीं भी एमएसपी पर फसल खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है

किसान लंबे अरसे से फसलों के वाजिब दाम की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग से सरकार भी पूरी तरह सहमत है। इस मुद्दे पर किसी अन्य पक्ष को भी कोई आपत्ति नहीं है। इस बात को सभी लोग मानते हैं किसानों को उनकी फसल का उचित एवं लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मूल्य प्रणाली शुरू की गई थी। प्रारंभ में गेहूँ और धान सहित सिर्फ दो फसलों के लिये यह व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1986 में यह 22 जिंसों के लिये लागू की गई। कृषि मूल्य एवं लागत आयोग (सीएसीपी) अब शायद 24 या 25 फसलों के एमएसपी तय करता है। इस व्यवस्था में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता था उसका आकलन खेती की लागत के आधार पर होता है। कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों और संसदीय समितियों द्वारा दर्जनों रिपोर्टों में कहा जा चुका है कि एमएसपी प्रणाली में तमाम तरह की खामियाँ हैं इन्हें दूर करने की जरूरत है। कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कृषि मंत्रालय की इकाई है। यह आयोग जिस आधार के जरिए लागत का हिसाब लगाता है उसमें कई बड़ी खामियाँ हैं। इसके तहत सिंचित और गैर सिंचित क्षेत्रों में खेती की लागत के औसत के आधार पर एमएसपी तय किया जाता है। हकीकत यह है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहाँ पानी के अभाव में किसान खाद व बीज का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाते। उनकी अच्छे बीज और महँगा खाद खरीदने की क्षमता नहीं होती। जाहिर है उनकी लागत काफी कम आती है। इसीलिए उनकी उत्पादकता बहुत कम होती है। मोटे तौर पर यह बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। भारत में 60 फीसद खेती पूरी तरह से बारिश पर आधारित है। केवल 40 फीसद खेती के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। बारिश आधारित खेती में 1.2 टन प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन है जबकि सिंचित क्षेत्र में यह औसत चार टन प्रति हेक्टेयर है।

जो किसान चार टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लेता है उसमें खाद, बीज, कीटनाशक एवं निराई व गुड़ाई के एवज में ज्यादा लागत आती है। सीएसीपी असिंचित और सिंचित क्षेत्र की लागत का औसत लगाता है। जाहिर है यह प्रणाली सटीक नहीं है। जिन क्षेत्रों में उत्पादकता कम है उनके पास बेचने के लिये सरप्लस फसल होती ही नहीं है। ऐसे में इन किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई महत्त्व ही नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं वहाँ सरप्लस फसल होती है। इन फसलों की लागत काफी ज्यादा होती है। जब ये किसान अपनी फसल बेचते हैं तो उन्हें मुनाफा मिलना तो दूर पूरी लागत भी नहीं मिल पाती है।

एमएसपी की खामी

एमएसपी की इस खामी को दूर करने के लिये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान किसान आयोग का गठन किया गया था जिसका पहला अध्यक्ष मुझे बनाया गया था। इस दिशा में मैंने कई सुझाव दिए लेकिन कुछ दिन बाद ही केंद्र में मनमोहन सरकार का गठन हो गया। जाहिर है मेरे सुझाव सिरे नहीं चढ़ पाए। इसके बाद डॉ. एमएस स्वामीनाथन को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। स्वामीनाथन ने बड़ा ही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया कि किसान की जो लागत बनती है उसमें मोटे तौर 50 फीसद लाभ जोड़कर एमएसपी तय किया जाए। पहले लागत में सिर्फ 10 फीसद ही मुनाफा जोड़ा जाता था। वर्ष 2014 में भाजपा जब लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उसने अपने घोषणा पत्र में बड़े ही जोर-शोर से कहा था कि वह सत्ता में आई तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। कोई भी पार्टी इस रिपोर्ट को खारिज नहीं करती है। मोदी सरकार से किसानों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया।

पिछले दिनों इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई तो सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया कि सरकार किसी भी सूरत में इस सिफारिश को लागू नहीं कर सकती। बाद में भाजपा की ओर से यह भी कहा गया कि यह तो महज चुनावी जुमला था। किसानों की एक और बड़ी समस्या यह

है कि सरकार करीब दो दर्जन फसलों का एमएसपी घोषित तो कर देती है लेकिन उसको खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करती। हकीकत यह है कि पंजाब, हरियाणा, पूर्वी व उत्तरी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि को छोड़कर कहीं भी एमएसपी पर फसल खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ सिर्फ गेहूँ और धान की फसल ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। किसानों की सबसे पहली मांग स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की है। जब भाजपा इस वादे के जरिए सत्ता में आई थी तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया। दूसरी मांग यह है कि जब सरकार एमएसपी तय करती है तो उस भाव पर देशभर में किसानों की पूरी फसल की खरीद की व्यवस्था की जाए। स्थिति यह है कि यदि मूंग का एमएसपी 5000 रुपए है और वह पूरे सीजन 3800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकती रही। हैरानी की बात यह है कि इसकी दाल के भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे नहीं आए जबकि दलहन से दाल तैयार करने में 10 फीसद से ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। कहने का आशय यह है कि किसान साल भर मेहनत करके फसलें तैयार करता है और उसे लागत भी नहीं मिल पाती जबकि बिचौलिए मोटा माल काट रहे हैं। यह तो महज बानगी है। ज्यादातर फसलों के बारे में यही स्थिति है। किसानों की एक और मांग यह है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जब सरकार की इकाई है तो उसकी एमएसपी संबंधी घोषणा पर अमल क्यों नहीं होता। पिछड़ा आयोग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तरह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। यदि किसी जिंस का भाव एमएसपी से नीचे जाता है तो सरकार को सारी फसल एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। तीसरी मुख्य बात यह है कि जब भी देश में किसी जिंस की कमी होती है तो उसका तत्काल आयात कर लिया जाता है। जब किसान को किसी जिंस के वैश्विक बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं तो उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

“एमएसपी की इस खामी को दूर करने के लिये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान किसान आयोग का गठन किया गया था जिसका पहला अध्यक्ष मुझे बनाया गया था। इस दिशा में मैंने कई सुझाव दिए लेकिन कुछ दिन बाद ही केंद्र में मनमोहन सरकार का गठन हो गया। जाहिर है मेरे सुझाव सिरे नहीं चढ़ पाए। इसके बाद डॉ. एमएस स्वामीनाथन को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। स्वामीनाथन ने बड़ा ही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया कि किसान की जो लागत बनती है ।

पानी से परवरिश

उत्तर बिहार में पानी अथवा दलदली क्षेत्र लोगों को आर्थिक सम्बल और आजीविका उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाता है लेकिन अब तक इसका पूरा दोहन नहीं हुआ है। हालांकि स्थानीय स्तर पर हुए प्रयास सफलता की कई कहानियाँ बयां करते हैं लेकिन सरकारी प्रयास न के बराबर ही हुए हैं। पानी के अर्थतंत्र के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालती अनिल अश्विनी शर्मा व मोहम्मद इमरान खान की रिपोर्ट

बिहार में दलदली क्षेत्र से मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित होती है

दलदली भूमि (वेटलैंड) का नाम जेहन में आते ही अक्सर लोग-बाग नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं या आमतौर पर लोगों के चेहरे पर नकारात्मकता का भाव उभरता है। लेकिन उत्तर बिहार के दरभंगा जिले के तारवाड़ा गांव के मुन्ना सहनी और सुपौल जिले के दभारी गाँव के दिनेश मुखिया ने अपनी हाड़तोड़ मेहनत के दम पर दलदली भूमि पर लोगों की इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में तब्दील कर दिखाया। उन्होंने दलदली भूमि को उपजाऊ भूमि की तरह ही अपनी आजीविका का मुख्य साधन बनाया। मुन्ना सहनी कहते हैं, ह्लमेरे लिये दलदली भूमि बेकार की भूमि नहीं है बल्कि यह पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सबसे समृद्ध हिस्सा है। मैं इसी दलदली भूमि पर मछली पालन व मखाने की खेती साथ-साथ कर रहा हूँ और इससे अच्छी-खासी आमदनी (प्रति एकड़ 15 से 18 हजार रुपए) हुई है। मुन्ना सहनी एवं दिनेश मुखिया, दोनों ही छोटे किसान हैं और पिछले कुछ सालों के विपरीत अब उनके चेहरों पर चिन्ता नजर नहीं आ रही। क्योंकि उन्होंने दलदली क्षेत्रों को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। किसी समय घोर उपेक्षित रहने वाले ये दलदली क्षेत्र अब इनके और इनके पड़ोसियों के लिये आजीविका का मुख्य स्रोत बन चुके हैं। ये किसान मुख्यतया मछुआरा जाति से हैं, जिन्हें स्थानीय लोग सहनी या मल्लाह कहकर बुलाते हैं। इनकी ही तरह सैकड़ों अन्य किसान भी हैं जो पहले की तुलना में अब काफी खुशहाल हैं। स्थानीय भाषा में इस जमीन को ह्यचौरह्ल कहा जाता है और अब तक इसे बंजर या बेकार ही समझा जाता था। लेकिन अब इन दलदली क्षेत्रों में मत्स्य पालन के साथ-साथ मखाना व सिंघाड़ा जैसी जलीय फसलों की खेती हो रही है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो वर्षों से बेकार पड़े इन दलदली क्षेत्रों के एक या दो एकड़ के छोटे टुकड़ों पर ही मत्स्य पालन या मखाने की खेती कर रहे हैं। हालांकि इन दलदली क्षेत्रों का लाभ अकेले छोटे एवं हाशिए पर पड़े किसान ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि कई अन्य लोगों ने भी इस भूमि को लाभप्रद बनाने के लिये भारी निवेश किया है। उदाहरण के लिये मुजफ्फरपुर जिले में सराय्या ब्लॉक के नरसन चौर को लिया जा सकता है, जहाँ राजकिशोर शर्मा व राजेश शर्मा ने संयुक्त उद्यम की शुरूआत की है। इसके अलावा शिवराज सिंह भी मुजफ्फरपुर जिले के ही बंद्रा ब्लॉक में आने वाली कोरलाहा चौर में सफलतापूर्वक मत्स्य पालन कर रहे हैं। इसके अलावा वह दलदली भूमि का एक और बड़ा हिस्सा इसी काम के लिये विकसित करने में जुटे हुए हैं। उत्तरी बिहार में इनके जैसे लगभग 24 से अधिक लोग इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं।

मुन्ना सहनी दरभंगा जिले के किरतपुर ब्लॉक के अन्दर आने वाले तारवाड़ा गाँव में लगभग 10 एकड़ दलदली भूमि में मखाने की खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन भी कर रहे हैं। लेकिन दिनेश ने सुपौल जिले के सुपौल ब्लॉक में पड़ने वाले दभारी गाँव में भूमि मालिकों (किसानों) से पट्टे पर लगभग 50 एकड़ की दलदली भूमि ली है। वह कहते हैं, ह्लआठ साल पहले तक दलदली भूमि का कोई उपयोग नहीं था। भूमि मालिकों को इससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैंने एक पहल की और शुरूआत में कुछ एकड़ में मछली पालन के साथ-साथ मखाने की खेती शुरू की। बाद में मैंने उसका और विस्तार भी किया।

मुन्ना व दिनेश दोनों को मत्स्य पालन एवं मखाने की खेती के लिये और दलदली भूमि की आवश्यकता है। वे और भी जमीन पट्टे पर लेकर इस दिशा में निवेश करना चाहते हैं लेकिन पूँजी के मामले में स्थानीय प्रशासन एवं बैंकों की

उदासीनता आड़े आ रही है। मुन्ना कहते हैं, ह्लमेरे पास पूँजी नहीं है, सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। आज से पाँच साल पहले तक मुन्ना कोसी नदी में बालू खोद कर एवं उसे बेचकर जीवन-यापन किया करते थे। लेकिन आज वे खुश हैं। वे पूरे ब्लॉक में अकेले ऐसे हैं जिसने अपनी आजीविका के लिये दलदली भूमि के उपयोग का एक मॉडल विकसित करने में सफलता तो पाई है, साथ ही अन्यों के लिये भी रोजगार के अवसर बनाए हैं। वह कहते हैं, ह्लगभग 20 से 25 स्थानीय लोग मेरे साथ मजदूरी या अन्य सम्बन्धित कामों में लगे हैं। मेरे तालाबों से मछलियाँ खरीदकर लोग उन्हें बेच भी रहे हैं। प्रारम्भ में सुधार धीमा और लाभ कम था लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। हम खुश हैं कि दलदली भूमि ने हमारी किस्मत बदल दी है। इन दलदली क्षेत्रों की बदौलत मेरा जीवन स्तर पाँच वर्ष पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गया है। मैं और दस एकड़ जमीन पट्टे पर लेना चाहता हूँ।

बिहार के दलदली क्षेत्र की मखाना एक अहम उपज है

मुन्ना बताते हैं कि जहाँ तक दलदली क्षेत्रों की बात है, सरकार से मिली छोटी सी सहायता भी उनके जैसे लोगों की मदद कर सकती है और एक बड़ा बदलाव ला सकती है। सरकार चाहे तो बहुत विकास हो सकता है। उनसे प्रेरित होकर तीन अन्य लोगों ने अलग-अलग चौर में ऐसा ही करने की कोशिश की लेकिन निवेश के लिये धन की कमी के कारण उन्हें काम बीच में ही बन्द करना पड़ा। दिनेश ने कहा सरकार से मिली थोड़ी सी मदद हम जैसे लोगों के लिये, जो कि कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी बड़ी राहत होगी। कुछ मदद मिल जाए तो बड़ा बदलाव सम्भव है। पैसे की कमी से कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कई लोग इस क्षेत्र में आने के लिये उत्सुक हैं।

> “मैं इसी दलदली भूमि पर मछली पालन व मखाने की खेती साथ-साथ कर रहा हूँ और इससे अच्छी-खासी आमदनी (प्रति एकड़ 15 से 18 हजार रुपए) हुई है। मुन्ना सहनी एवं दिनेश मुखिया, दोनों ही छोटे किसान हैं और पिछले कुछ सालों के विपरीत अब उनके चेहरों पर चिन्ता नजर नहीं आ रही। क्योंकि उन्होंने दलदली क्षेत्रों को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया है।

Rohit Kumar (Gagan)

9386475346, 9835055706

Sorry Madam

Men's Wear Shop

Wholesaler & Retailer

Stylish Shirt, T-Shirt,
Jeans, Pant, Sweater,
Track, Suit, Jacket,
Shoe Etc.

KANKARBAGH, LIGH 96, NEAR TEMPO STAND, PATNA-20

FORD HOSPITAL, PATNA

A NABH Certified Multi Super-Speciality Hospital

PATNA

A 105-Bedded Hospital Run by Three Eminent Doctors of Bihar

उत्कृष्ठ एवं अपनत्व की अनुभूति

Dr. Santosh Kr.

Dr. B. B. Bharti

Dr. Arun Kumar

PATIENT SAFETY & QUALITY OF CARE
NABH
PRE ACCREDITED

Best Promising Multi Speciality Hospital 2018 Bihar.

हृदय रोग चिकित्सा के लिए बेहतरीन टीम

2nd Multi Speciality NABH Certified Hospital of Bihar

फोर्ड हॉस्पीटल में उपलब्ध सेवाएं

क्लीनिकल सर्विसेस

- कार्डियोलॉजी
- क्रिटीकल केयर
- न्यूरोलॉजी
- स्पाईन सर्जरी
- नेफ्रोलॉजी एवं डायलेसिस
- ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा
- ओब्स एवं गॉबनेकोलौजी
- पेडिएट्रिक्स
- पेडिएट्रिक सर्जरी
- साइचिरेट्री एवं साइकोलॉजी
- रेस्पिरेट्री मेडिसिन
- यूरोलॉजी
- सर्जिकल ऑन्कोलौजी

Empaneelled with CGHS, ECR, CISF, NTPS, Airport Authority, Power Grid & other Leading PSUs, Bank, Corp. & TPS

New Bypass (NH-30) Khemnichak, Ramkrishna Nagar, Patna- 27
Helpline ; 9304851985, 9102698977, 9386392845, Ph.: 9798215884/85/86
E-mail : fordhospital@gmail.com web. : www.fordhospital.org